सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार (सिविल)
केन्द्रीय स्वायत्त निकाय
2023 की सं. 25

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
केन्द्रीय स्वायत्त निकाय
2023 की सं. 25

प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया गया:

लोक सभा -

राज्य सभा -

विषय-सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		*v*
विहंगावलोकन		*vii - xv*
अध्याय-I: सामान्य सूचना		
इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	1
केन्द्रीय स्वायत्त निकायों का विहंगावलोकन	1.2	1
केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की गतिविधियां एवं लेखापरीक्षा	1.3	2
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की तुलना में केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	1.4	3
केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में शासन	1.5	5
विभिन्न मंत्रालयों के अधीन केंद्रीय स्वायत्त निकायें	1.6	5
केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	1.7	7
लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में बकाया	1.8	10
संसद में लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	1.9	10
केंद्रीय स्वायत्त निकायों को अनुदान एवं उनका उपयोग	1.10	11
केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखाओं का प्रमाणीकरण	1.11	14
केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियां	1.12	14
केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं में पाई गई आम कमियां	1.13	15
लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर	1.14	16

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय II: शिक्षा मंत्रालय		
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागपुर, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नागपुर एवं गोवा		
2015-16 से 2020-21 तक की अवधि हेतु केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को *तदर्थ* बोनस का अस्वीकार्य भुगतान - ₹378.10 लाख	2.1	17
केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार		
अपूर्ण चाहरदीवारी पर निष्फल व्यय - ₹0.71 करोड़	2.2	19
भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता		
प्राध्यापकों को उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) वेतनमान के अस्वीकार्य अनुदान के कारण वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान	2.3	21
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर		
संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के प्रति नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अंशदान का अस्वीकार्य भुगतान	2.4	23
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी		
नई भर्ती किए गए संकाय सदस्यों को वेतन वृद्धि का अधिक भुगतान - ₹2.78 करोड़	2.5	25
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली		
गैर-परामर्शी सेवा हेतु सेवा प्रदाता के चयन की गलत पद्धति परिहार्य भुगतान का कारण बनी - ₹6.47 करोड़	2.6	26
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर		
विद्युत शुल्क का अधिक भुगतान - ₹2.63 करोड़	2.7	29
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान		
₹1.49 करोड़ का परिहार्य भुगतान	2.8	31

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज		
आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियों के कारण ₹3.78 लाख का गबन	2.9	33
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना		
गलत मूल्य सूचकांक को अपनाने के कारण ठेकेदार को वित्तीय लाभ	2.10	35
राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), भोपाल		
भोपाल विकास प्राधिकरण को जमा कार्य के लिए ₹1.45 करोड़ का अधिक अग्रिम भुगतान ₹2.38 करोड़ के समग्र अवरोधन का कारण बना	2.11	40
अध्याय III: विदेश मंत्रालय		
नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर		
दरों को गलत प्रकार से अपनाने का परिणाम निर्माण की अतिरिक्त लागत में हुआ	3.1	44
अध्याय IV: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर		
एमएडीसी नागपुर को ₹68.09 लाख की राशि के जल प्रभारों का अधिक भुगतान	4.1	47
महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (एमजीआईएमएस)/कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, सेवाग्राम, वर्धा		
वर्धा में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के लिए सृजित अतिरिक्त सुविधा के निष्क्रिय होने के कारण ₹3.00 करोड़ का निष्फल व्यय	4.2	48
राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे		
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एनएआरआई को ₹1.53 करोड़ की सीमा तक ब्याज की गैर-वापसी	4.3	49

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चण्डीगढ़		
जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अपालन का परिणाम राजकोष को हानि में हुआ	4.4	52
अध्याय V: गृह मंत्रालय		
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण		
रिहायशी आवास के पट्टे पर अनधिकृत व्यय- ₹14.01 करोड़	5.1	56
अध्याय VI: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
दूरदर्शन, प्रसार भारती		
₹38.50 करोड़ के निष्फल व्यय	6.1	59
अध्याय VII: जल शक्ति मंत्रालय		
ब्रह्मपुत्र बोर्ड		
ब्याज अर्जित करने का अवसर खोना	7.1	62
कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड		
कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का अस्वीकार्य भुगतान	7.2	64
अध्याय VIII: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय		
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन		
ईडीएलआई लाभ का कम भुगतान- ₹52.72 लाख	8.1	67
अध्याय IX: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय		
मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान		
सावधि जमा में निवेश में विलम्ब के कारण ब्याज की हानि	9.1	70
परिशिष्ट	**75-131**	
अनुलग्नक	**133-136**	

प्राक्कथन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है। नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के विभिन्न प्रावधानों के अधीन केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के वित्तीय लेन-देनों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षित संगठन अलग-अलग विशेषता तथा अनुशासन वाले केन्द्रीय स्वायत्त निकायें हैं। ये संगठन जो नीतियों हेतु रूपरेखाएं तैयार करने से लेकर अनुसंधान करने तथा सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने आदि की विविध गतिविधियों में लगे हैं, को अनिवार्य रूप से सरकार से वित्तीय सहायता में से सार्वजनिक उपयोगिता की कुछ विनिर्दिष्ट सेवाएं करना अथवा सरकार के कुछ कार्यक्रमों एवं नीतियों को निष्पादित करना प्रत्याशित है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मामलों के साथ-साथ वे मामले हैं जो पिछले वर्षों में संज्ञान में आए थे। कुछ मामलों में मार्च 2022 के बाद के लेन-देन की लेखापरीक्षा के परिणामों का भी उल्लेख किया गया है।

विहंगावलोकन

स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे

संसद द्वारा निर्मित विधि या उसके अंतर्गत स्थापित तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करते हुए, निकायों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन सांविधिक रूप से लेखापरीक्षा हेतु लिया जाता है। अन्य संगठनों (निकायों या सोसायटियों) की लेखापरीक्षा *उक्त* अधिनियम की धारा 20(1) के अधीन लोक हित में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न सामान्य, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण क्षेत्र के मंत्रालयों के अधीन सीएबी के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (अनुपालन के साथ-साथ वित्तीय) शामिल हैं।

भारत सरकार ने 2021-22 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को अनुदानों/ऋणों के प्रति ₹130109.63 करोड़ जारी किए। ₹11178.47 करोड़ की राशि 31 मार्च 2022 तक अप्रयुक्त अनुदान थी।

सीएजी द्वारा 2021-22 के दौरान सीएजी (डीपीसी) के अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(।) के तहत 472 सीएबी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, 254 सीएबी (53.81 *प्रतिशत*) ने 30 जून 2022 की अंतिम तिथि के पश्चात् तथा 31 दिसंबर 2022 से पूर्व अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए (47 *प्रतिशत* सीएबी ने 31 अक्तूबर 2022 तक तथा सात *प्रतिशत* ने 31 दिसंबर 2022 तक अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए)। 26 सीएबी (5.51 *प्रतिशत*) के लेखे नियत तिथि से छः महीने बीत जाने के पश्चात् भी बकाया थे। वर्ष 2021-22 के लिए 283 स्वायत्त निकायों के लेखाओं को 31 दिसंबर 2022 तक संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ सं. 1.7, 1.9 तथा 1.10, पृष्ठ सं. 7, 10 तथा 11)

वर्ष 2021-22 के लिए 376 सीएबी के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए आंतरिक नियंत्रण एवं आम कमियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नानुसार है:

(i) वर्ष 2021-22 के लिए 220 सीएबी की आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई थी।

(ii) वर्ष 2021-22 के लिए 152 सीएबी की अचल परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

(iii) वर्ष 2021-22 के लिए 147 सीएबी की वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

(iv) वर्ष 2021-22 के लिए 138 सीएबी वसूली/नकद आधार पर अनुदानों का लेखांकन कर रहे थे जो कि वित्त मंत्रालय के साथ-साथ शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखाओं के सामान्य प्रारूप के साथ-साथ असंगत था।

(v) वर्ष 2021-22 के लिए 175 सीएबी ने उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर लेखाबद्ध नहीं किया था।

(vi) वर्ष 2021-22 के लिए 37 सीएबी ने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने लेखाओं को संशोधित किया। संशोधनों का प्रभाव 2021-22 के दौरान ₹182.79 करोड़ तक परिसम्पत्तियों/देयताओं का कम होना तथा अधिशेष में ₹209.83 करोड़ तक की निवल कमी था।

(पैराग्राफ सं. 1.12 तथा 1.13, पृष्ठ सं. 14 तथा 15)

शिक्षा मंत्रालय

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागपुर, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नागपुर एवं गोवा

2015-16 से 2020-21 तक की अवधि हेतु केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को *तदर्थ* बोनस का अस्वीकार्य भुगतान - ₹378.10 लाख

पांच केन्द्रीय स्वायत्त निकायों ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी भी आदेश के अभाव में अपने कर्मचारियों को *तदर्थ* बोनस का भुगतान किया, जिसका परिणाम 2015-16 से

2020-21 तक की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को ₹378.10 लाख की राशि के अस्वीकार्य भुगतान में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.1, पृष्ठ सं. 17)

केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार

अपूर्ण चाहरदीवारी पर निष्फल व्यय - ₹0.71 करोड़

केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार ने चाहरदीवारी के निर्माण पर ₹0.71 करोड़ का निष्फल व्यय किया क्योंकि भूमि अतिक्रमण के कारण सभी बाधाओं से मुक्त नहीं थी।

(पैराग्राफ सं. 2.2, पृष्ठ सं. 19)

भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता

प्राध्यापकों को उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) वेतनमान के अस्वीकार्य अनुदान के कारण वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान

भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता द्वारा ऑन रोल 40 *प्रतिशत* प्राध्यापकों तक पात्रता को सीमित करने के बजाय, मंत्रालय के अनुदेशों के उल्लंघन में पूर्ण संकाय संख्या के 40 *प्रतिशत* को योग्य के रूप में मानकर, प्राध्यापकों को उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) प्रदान करने का परिणाम कुल ₹65.29 लाख तक वेतन एवं भत्तों के अधिक भुगतान में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.3, पृष्ठ सं. 21)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर

संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के प्रति नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अंशदान का अस्वीकार्य भुगतान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर ने संविदात्मक कर्मचारियों हेतु एनपीएस के प्रति नियोक्ता के अंशदान का ₹70.12 लाख का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.4, पृष्ठ सं. 23)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी

नई भर्ती किए गए संकाय सदस्यों को वेतन वृद्धि का अधिक भुगतान - ₹2.78 करोड़

मौलिक नियमावली के उल्लंघन में, खड़गपुर एवं गुवाहाटी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सीधी भर्ती के आधार पर चयनित नव नियुक्त संकाय सदस्यों की वेतन वृद्धि की अनुमति दी जिसका परिणाम ₹2.78 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ (मार्च 2022 तक)।

(पैराग्राफ सं. 2.5, पृष्ठ सं. 25)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली

गैर-परामर्शी सेवा हेतु सेवा प्रदाता के चयन की गलत पद्धति अधिक भुगतान का कारण बनी - ₹6.47 करोड़

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा गैर-परामर्शी सेवाओं हेतु सेवा प्रदाता के चयन हेतु सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 तथा नियमपुस्तिका के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन की विफलता का परिणाम तीसरे न्यूनतम बोलीकर्ता (एल-3) के चयन में हुआ तथा परिणामस्वरूप दिसम्बर 2019 से मार्च 2023 के बीच की अवधि के दौरान कुल ₹5.26 करोड़ के परिहार्य भुगतान का कारण बना। संस्थान हाउसकीपिंग अनुबंध की विस्तारित अवधि के दौरान सबसे कम तकनीकी रूप से अनुकूल सेवा प्रदाता का चयन करके ₹6.47 करोड़ के व्यय से बच सकता था।

(पैराग्राफ सं. 2.6, पृष्ठ सं. 26)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

विद्युत शुल्क का अधिक भुगतान - ₹2.63 करोड़

आईआईटी, खड़गपुर ने अपनी उपभोक्ता श्रेणी के लिए लागू दर की पुष्टि किए बिना वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु विद्युत खपत पर लागू उच्च दरों पर विद्युत शुल्क का अदा किया जिसका परिणाम मार्च 2018 से मई 2022 तक की अवधि के दौरान ₹2.63 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.7, पृष्ठ सं. 29)

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

₹1.49 करोड़ का परिहार्य भुगतान

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इसको आबंटित भूमि की लागत का समय पर पूरा भुगतान करने में विफल रहा जिसका परिणाम ₹1.49 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.8, पृष्ठ सं. 31)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियों के कारण ₹3.78 लाख का गबन

यह सुनिश्चित करने कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर से नीलामी की गई कितनी सामग्री को उठाया गया है तथा राजस्व की वास्तविक प्राप्ति को सुरक्षित रखने में विफलता का परिणाम ₹3.78 लाख के गबन में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.9, पृष्ठ सं. 33)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना

गलत मूल्य सूचकांक को अपनाने के कारण ठेकेदार को वित्तीय लाभ

आईआईटी पटना द्वारा कीमत वृद्धि दावों में गलत मूल्य सूचकांक को अपनाने तथा अंतिम बिलों के अनुमोदन का परिणाम ठेकेदार को ₹3.47 करोड़ के वित्तीय लाभ में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.10, पृष्ठ सं. 35)

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) - भोपाल

भोपाल विकास प्राधिकरण को जमा कार्य के लिए ₹1.45 करोड़ का अधिक अग्रिम भुगतान ₹2.38 करोड़ के समग्र अवरोधन का कारण बना

एनआईटीटीटीआर, भोपाल ने प्रस्तावित निर्माणों की संभाव्यता को सुनिश्चित किए बिना बीडीए को निर्माण कार्य सौंपा तथा बिना कोई अनुबंध/एमओयू किए अग्रिम के रूप में अनुमानित लागत के 85 *प्रतिशत* से अधिक जारी किया जो 11 वर्षों से अधिक समय के लिए निधियों के अवरोधन का कारण बना।

(पैराग्राफ सं. 2.11, पृष्ठ सं. 40)

विदेश मंत्रालय

नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर

दरों को गलत प्रकार से अपनाने का परिणाम निर्माण की अतिरिक्त लागत में हुआ

नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर ने अनुमानित लागत का परिकलन करने में गलत दरों को अपनाया तथा इसका परिणाम ₹4.89 करोड़ की अतिरिक्त लागत में हुआ जिसमें से ₹3.67 करोड़ पहले ही ठेकेदार को अदा किए जा चुके थे।

(पैराग्राफ सं. 3.1, पृष्ठ सं. 44)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर

एमएडीसी, नागपुर को ₹68.09 लाख राशि के जल प्रभारों का अधिक भुगतान

आवासीय मकानों तथा छात्रावास हेतु घरेलू-आवासीय श्रेणी के जल कनेक्शन प्राप्त न करने का परिणाम एमएडीसी, नागपुर को कुल ₹68.09 लाख के जल प्रभारों के अधिक भुगतान में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 4.1, पृष्ठ सं. 47)

महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (एमजीआईएमएस)/कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, सेवाग्राम, वर्धा

वर्धा में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के लिए सृजित अतिरिक्त सुविधा के निष्क्रिय होने के कारण ₹3.00 करोड़ का निष्फल व्यय

एमजीआईएमएस, वर्धा में बच्चों के लिए स्थापित 100 बेड के डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (डीईआईसी) के लिए अतिरिक्त सुविधा, अपेक्षित स्टाफ की गैर-नियुक्ति के कारण पिछले तीन वर्ष से निष्क्रिय रही जिसका परिणाम योजना उद्देश्यों की गैर-उपलब्धि के अलावा ₹3.00 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 4.2, पृष्ठ सं. 48)

राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एनएआरआई को ₹1.53 करोड़ की सीमा तक ब्याज की गैर वापसी

राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे ने जैव-सुरक्षा प्रयोगशाला (बीएसएल-3) के निर्माण हेतु फरवरी 2006 में ₹2.70 करोड़ की लागत पर एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ जमा कार्य का एक अनुबंध निष्पादित किया। कार्य को अक्तूबर 2010 में पूरा किया गया था हालांकि अंतिम बिल का कार्य के समापन के 12 वर्षों से अधिक के पश्चात भी निपटान नहीं किया गया है। एचएससीसी से व्यय का अंतिम विवरण प्राप्त न करने का परिणाम ₹1.53 करोड़ की सीमा तक अर्जित ब्याज की वापसी में विलम्ब में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 4.3, पृष्ठ सं. 49)

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चण्डीगढ़

जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अपालन का परिणाम राजकोष को हानि में हुआ

पीजीआईएमईआर, चण्डीगढ़ ने जनशक्ति सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक अभिकरण के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। सेवा प्रदाता ने न तो इनवॉइस पर जीएसटी का दावा किया और न ही सरकार के पास देय जीएसटी जमा किया। पीजीआईएमईआर द्वारा जीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधान के अपालन का परिणाम जीएसटी के कारण राजकोष को ₹8.06 करोड़ की सीमा तक हानि में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 4.4, पृष्ठ सं. 52)

गृह मंत्रालय

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

रिहायशी आवास के पट्टे पर अनधिकृत व्यय - ₹14.01 करोड़

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण द्वारा मै. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड से तीन आवासीय फ्लैटों को पट्टे पर लेने हेतु गृह मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन न लेने का परिणाम ₹14.01 करोड़ के अनधिकृत तथा निष्फल व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 5.1, पृष्ठ सं. 56)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

दूरदर्शन, प्रसार भारती

₹38.50 करोड़ का निष्फल व्यय

दूरदर्शन ने फ्री टू एयर चैनलों को प्रसारित करने हेतु ₹5.50 करोड़ *प्रतिवर्ष* की लागत पर पट्टे पर एक नया ट्रांसपोंडर किराए पर लिया तथा अपनी अवसंरचना सुविधाओं को भी उन्नत किया। तथापि, ट्रांसपोंडर को किराए पर लेने के छः वर्षों से अधिक तथा उन्नयन के तीन वर्षों के बीत जाने के पश्चात् भी वह इन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सका था क्योंकि इस ट्रांसपोंडर के माध्यम से किसी भी चैनल को प्रसारित नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, इसका परिणाम मई 2012 से अप्रैल 2019 तक की अवधि के लिए ट्रांसपोंडर के किराए पर लेने में ₹38.50 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 6.1, पृष्ठ सं. 59)

जल शक्ति मंत्रालय

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

ब्याज अर्जित करने का अवसर खोना

ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी ने सहायता-अनुदान निधियों को जमा करने के लिए चालू खातों हेतु वर्तमान फ्लेक्सी जमा योजना को परिचालित नहीं किया जिसके कारण अप्रैल 2020 से मार्च 2022 के दौरान ₹3.94 करोड़ का ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया गया।

(पैराग्राफ सं. 7.1, पृष्ठ सं. 62)

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड

कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का अस्वीकार्य भुगतान

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय (जल शक्ति मंत्रालय) के आदेशों का उल्लंघन में कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि संस्वीकृत की, जिसके परिणामस्वरुप ₹104.56 लाख का अस्वीकार्य भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ सं. 7.2, पृष्ठ सं. 64)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

ईडीएलआई लाभ का कम भुगतान - ₹52.72 लाख

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना,1976 के प्रावधानों के अनुसार, मृत सदस्यों के नामांकित व्यक्तियों को स्वीकार्य ईडीएलआई आश्वासन लाभों का ₹52.72 लाख का कम भुगतान।

(पैराग्राफ सं. 8.1, पृष्ठ सं. 67)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

सावधि जमा में निवेश में विलम्ब के करण ब्याज की हानि

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने विभिन्न अवसरों पर सावधि जमा खातों में कॉर्पस निधि का निवेश/पुनर्निवेश करने के संबंध में समय से निर्णय नहीं लिया था जिसका परिणाम अप्रैल 2014 से दिसंबर 2020 के बीच की अवधि के दौरान कुल ₹56.32 लाख के ब्याज की हानि में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 9.1, पृष्ठ सं. 70)

अध्याय-I

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों के अधीन केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (अनुपालन के साथ-साथ वित्तीय) शामिल है।

इस प्रतिवेदन को नौ अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है जो निम्नवत है:

अध्याय-I में सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धाराओं 19(2) तथा 20(1) के तहत लेखापरीक्षित भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधीन सीएबी की कुल संख्या सहित सीएबी से संबंधित सामान्य सूचना, सीएबी एवं सीपीएसई (केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों) की तुलना, सीएबी द्वारा सीएजी को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब, संसद को लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब, सीएबी द्वारा अप्रयुक्त अनुदान सहित विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी अनुदान तथा सीएबी के लेखाओं के प्रमाणीकरण में सुधार हेतु नई पहल शामिल हैं। आगे, इसमें विभिन्न मंत्रालयों के सीएबी की वित्तीय लेखापरीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ भी शामिल हैं।

अध्याय-II से IX में सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्रों के तहत आने वाले विभिन्न सिविल मंत्रालयों/विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां शामिल हैं।

1.2 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों का विहंगावलोकन

स्वायत्त निकाय विशिष्ट कानूनी अस्तित्व सहित निकाय या प्राधिकरण हैं एवं जो संसद के अधिनियमों के माध्यम से सरकार द्वारा स्थापित हैं या विभिन्न केन्द्रीय या राज्य/संघ शासित क्षेत्र, सोसायटियों, ट्रस्टों आदि से संबंधित संविधियों के तहत या किसी अन्य रूप में पंजीकृत हैं। ये निकाय या प्राधिकरण को अपने दैनिक कार्य पद्धति के लिए स्वतंत्र हैं तथा सरकार से दूरी बनाकर काम करते हैं, यद्यपि मंत्रालय/विभागों का इन पर सामान्य निदेशन एवं पर्यवक्षण के मामलों में नियंत्रण है। जबकि समग्र जोर संबंधित मंत्रालय द्वारा के विजन एवं नीति परिप्रेक्ष्य द्वारा समर्पित है, फिर भी, उनको विशेष कार्यों या विशेष कार्यक्रमों या सरकार की नीतियों का निष्पादन करने या सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं का कार्य प्रमाणित करने का कार्य सौंपा गया है।

इस संबंध में, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 का नियम 230(6) निर्दिष्ट करता है कि अनुदान संस्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों को अनुदान देने को विनियोजित करते समय न केवल आंतरिक रूप से सृजित संसाधनों पर ही विचार करना चाहिए अपितु प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों या संगठनों द्वारा आंतरिक संसाधन सृजन हेतु लक्ष्य निर्धारित करने पर भी विचार करना चाहिए, विशेष रूप से जहां अनुदान प्रत्येक वर्ष आवर्ती आधार पर दिए गए हैं। इसलिए इस प्रकार एमएचआरडी के पत्र संख्या एफ सं.23011/02/2018-आईएफ.I दिनांक 25 अक्टूबर 2018 द्वारा सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, यूजीसी आदि को एक परामर्शी जारी की गई कि सरकारी अनुदान से अधिक व्यय को आंतरिक राजस्व/कोर्पस निधि से पूरा किया जाना चाहिए।

1.3 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की गतिविधियां एवं लेखापरीक्षा

केन्द्रीय स्वायत्त निकाय विविध गतिविधियों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति, पोतपरिवहन, अनुसंधान, सामाजिक न्याय, श्रम आदि से जुड़े हैं। सीएण्डएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन कुछ महत्वपूर्ण सीएबी को **तालिका सं. 1.1** में सूचीबद्ध किया गया है:

तालिका सं. 1.1: कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की गतिविधियां

क्र. सं.	सीएबी का नाम	उद्देश्य/कार्य
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना, प्रांसगिक क्षेत्रों में अनुसंधान करना तथा अधिगम को आगे और उन्नत करना एवं ज्ञान का प्रसार करना।
2.	भारतीय प्रबंधन संस्थान	वैश्विक मानकों के प्रबंधन ज्ञान का प्रसार करने तथा उद्यमों के लीडर तैयार करना जिनका समाज तथा राष्ट्र निर्माण में महत्व होगा।
3.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	विज्ञान, वाणिज्य तथा मानविकी के क्षेत्र में शिक्षण तथा अनुसंधान।
4.	पत्तन न्यास	पत्तन न्यास नागरिक एवं समुद्री विधि के अधीन वाणिज्यिक समुद्र पत्तनों के माध्यम से पोतपरिवहन तथा व्यापार के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है।
5.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा अन्य अस्पताल एवं चिकित्सा संस्थान	भारत में पूर्व स्नातक तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण के प्रतिमान विकसित करने के साथ-साथ अस्पताल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में एम्स की स्थापना की गई थी।
6.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम	श्रम लाभों के विनियमन तथा प्रबंधन हेतु सामाजिक सुरक्षा संगठन
7.	विशेष आर्थिक क्षेत्र	आर्थिक गतिविधि का सृजन, माल के निर्यात तथा सेवाओं एवं निवेशों को प्रोत्साहन।

***सूचना का स्रोत** : सीएबी की आधिकारिक साइट*

संसद द्वारा स्थापित विधि द्वारा या उसके तहत तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा हेतु विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करते हुए, निकायों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के तहत सांविधिक रूप से लेखापरीक्षा करने हेतु रखा गया है। अन्य संगठनों (निगमों या सोसायटियों) की लेखापरीक्षा *उक्त* अधिनियम की धारा 20(1) के तहत लोक हित में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। इन प्रावधानों के तहत संचालित की गई लेखापरीक्षा की प्रवृत्ति में वार्षिक लेखाओं के प्रमाणीकरण, अनुपालन के साथ-साथ निष्पादन लेखापरीक्षा का परिणाम भी शामिल है। इसके अलावा, केन्द्रीय स्वायत्त निकाय जो संघ सरकार से अनुदानों/ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं; *उक्त* अधिनियम की धाराएं 14(1) तथा 14(2) के प्रावधानों के तहत उनकी लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम,1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन आने वाले केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) तैयार किए जाते हैं।

1.4 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की तुलना में केन्द्रीय स्वायत्त निकाय

भारत के सीएजी की भूमिका सीएबी की तुलना में सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा करने में भिन्न है जैसा कि **तालिका सं. 1.2** में दिया गया है:

तालिका सं. 1.2: सीएबी और सीपीएसई की तुलना

मानदंड	सीएबी	सीपीएसई
सार	सीएबी एक विशिष्ट संविधि के तहत स्वायत्त संगठन या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 या अन्य किसी संविधि या संसद या राज्य विधायिका द्वारा पारित अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी के रूप में स्थापित किए गए हैं।	कोई भी सरकारी कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक कम्पनी के रूप में परिभाषित है जिसमें केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सकार या सरकारें या केंद्र सरकार द्वारा आंशिक रूप से एवं एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से भाग प्रदत्त शेयर पूंजी 51 *प्रतिशत* से कम नहीं होता है तथा जिसमें वह कम्पनी शामिल है जो सरकारी कम्पनी की सहायक है।

मानदंड	सीएबी	सीपीएसई
सीएजी की भूमिका	सीएजी लेखे द्वारा प्रमाणित हैं किये जाते जहां वह डीपीसी अधिनियम के अधिदेश (धाराएं 19(2) तथा 20(1) के तहत) के तहत निकाय या प्राधिकरण के प्रमुख लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करता है।	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143 (7) के प्रावधानों के अतर्गत साथ पठित सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 तथा उसके तहत बनाए गए विनियमों के कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, सीएजी सीपीएसई के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में सनदी लेखापरीक्षक नियुक्त करता है तथा कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा किये जाने की शैली पर निदेश देता है। इसके अतिरिक्त, सीएजी के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।
लेखाओं का प्रारूप	सीएबी के लिए वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा निर्दिष्ट लेखाओं के एक समान प्रारूप के अनुसार लेखांकन वर्ष 2001-02 से अपने लेखाओं को संकलित करना अपेक्षित है। तत्पश्चात, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने 2015 में लेखाओं का संशोधित प्रारूप जारी किया जिसका पालन एमओई के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सीएबी द्वारा किया जाना है। सभी सीएबी के लिए वाणिज्यिक लेखांकन पर आधारित अपने लेखाओं को तैयार करना अपेक्षित है।	सीवीएसई के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में दिये गये प्रारूप में वित्तीय विवरणी को तैयार करना तथा केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनिवार्य लेखांकन मानक जो लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति की परामर्श पर बने हैं। का पालन करना अपेक्षित है।

***सूचना का स्रोत**: कंपनी अधिनियम, डीपीसी अधिनियम, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम 2020*

1.5 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में शासन

सीएबी के शीर्ष प्रशासनिक निकाय को शासन परिषद या शासन निकाय या शासक मंडल कहा जाता है। ये निकाय सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं जिसमें सचिव/वित्तीय सलाहकारों तथा अन्य सरकारी पदाधिकारियों को नामित किया जाता है। सीएबी में संबंधित क्षेत्रों में उचित तत्परता तथा सीएबी के प्रभावी कार्यकरण हेतु विशेषज्ञ समितियां जैसे कि क्रय समिति, निर्माण कार्य समिति, वित्त समिति है। प्रत्येक सीएबी का अपना संगठनात्मक ढांचा है जो क्षेत्र अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है। शिक्षा क्षेत्र में, प्रशासन, वित्त तथा लेखा स्कंध की अध्यक्षता रजिस्टार द्वारा की जाती है तथा उप-कुलपति समग्र प्रशासनिक प्रमुख होता हैं।

1.6 विभिन्न मंत्रालयों के अधीन केन्द्रीय स्वायत्त निकायें

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन कुल 472 सीएबी हैं जिनमें से 392 सीएबी सामान्य, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा पर्यावरण क्षेत्र के मंत्रालयों के अधीन कार्य करते हैं। मंत्रालय-वार सीएबी **तालिका सं. 1.3** में दर्शाए गए हैं जिनमें **क्र. सं. 1 से 25 तक (हरा शेड किया गया) सीएबी सामान्य**, **सामाजिक**, **वैज्ञानिक तथा पर्यावरण क्षेत्र के मंत्रालयों के अधीन आते है**:

तालिका सं. 1.3: मंत्रालय-वार सीएबी का विवरण

क्र. सं.	मंत्रालय	सीएबी की सं.
1.	कृषि	9
2.	आयुष	18
3.	रसायन एवं उर्वरक	7
4.	उपभोक्ता मामले	1
5.	सहकारिता	1
6.	संस्कृति	40
7.	शिक्षा	199
8.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	8
9.	विदेश मामले	5
10.	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी	3
11.	खाद्य प्रसंस्करण	2

क्र. सं.	मंत्रालय	सीएबी की सं.
12.	स्वास्थ्य	37
13.	गृह	7
14.	सूचना एवं प्रसारण	2
15.	जल शक्ति	8
16.	श्रम	4
17.	विधि एवं न्याय	5
18.	अल्पसंख्यक मामले	3
19.	ग्रामीण विकास	1
20.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	5
21.	कौशल विकास	2
22.	सामाजिक न्याय	11
23.	जनजातीय कार्य	1
24.	महिला एवं बाल विकास	5
25.	युवा मामले एवं खेल	8
26.	नागर विमानन	2
27.	कोयला	1
28.	वाणिज्य एवं उद्योग	24
29.	संचार	1
30.	कॉर्पोरेट कार्य	2
31.	रक्षा	5
32.	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी	1
33.	वित्तीय सेवाएं विभाग	5
34.	भारी उद्योग	2
35.	आवास एवं शहरी कार्य	5
36.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	3
37.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	3
38.	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग	16
39.	विद्युत	4
40.	रेलवे	2
41.	वस्त्र	4
	कुल	**472**

1.7 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

सदन के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात की समिति (सीओपीएलओटी) ने अपनी प्रथम रिपोर्ट (5वीं लोक सभा) 1975-76 में सिफारिश की थी कि प्रत्येक **केन्द्रीय स्वायत्त निकाय को लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन माह की अवधि के भीतर अपने लेखाओं को पूर्ण कर लेना चाहिए तथा उन्हें लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराना चाहिए।**

जीएफआर 2017 के नियम 237 के अनुसार, लेखापरीक्षा हेतु वार्षिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण जिनके परिणामस्वरूप सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है तथा संसद में समय से प्रस्तुतीकरण हेतु नोडल मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण के लिए निर्धारित तिथियां को **तालिका सं. 1.4** में सूचीबद्ध की गई हैं:

तालिका सं. 1.4 : वार्षिक लेखाओं एवं पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में समय-सीमा

कार्य	समय-सीमा
स्वायत्त निकाय द्वारा संबंधित लेखापरीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने वाले अनुमोदित एवं प्रमाणित वार्षिक लेखे तथा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा का प्रारम्भ	30 जून
संबंधित स्वायत्त निकाय/सरकार को लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र के साथ अंग्रेजी संस्करण में अंतिम एसएआर जारी करना	31 अक्टूबर
नोडल मंत्रालय को संसद के पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत किए जाने हेतु इनका प्रस्तुतीकरण	31 दिसम्बर

सभी मंत्रालयों के अधीन सीएबी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब को **तालिका सं. 1.5** में दर्शाया गया है। **सामान्य, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा पर्यावरण क्षेत्र के मंत्रालयों के अधीन सीएबी** द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब को भी **तालिका सं. 1.5** में क्र. सं. 1 से 25 तक (हरा शेड किया गया) दर्शाया गया है।

तालिका सं 1.5 : विभिन्न मंत्रालयों के सीएबी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

क्र. सं.	मंत्रालय	सीएबी की सं.	निर्धारित समय (30.06.2022) के अंदर प्रस्तुत किए गए सीएबी लेखाओं की सं.	लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब (अर्थात निर्धारित समय 30.06.2022 के बाद तथा 31.12.22 से पहले)	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखे अभी (31.12.2022 तक) प्राप्त नहीं हुए
1.	कृषि	9	5	4	0
2.	आयुष	18	5	13	0
3.	रसायन एवं उर्वरक	7	3	4	0
4.	उपभोक्ता मामले	1	1	0	0
5.	सहकारिता	1	1	0	0
6.	संस्कृति	40	14	23	3
7.	शिक्षा	199	86	106	7
8.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	8	3	4	1
9.	विदेश मामले	5	2	3	0
10.	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी	3	1	2	0
11.	खाद्य प्रसंस्करण	2	1	1	0
12.	स्वास्थ्य	37	19	17	1
13.	गृह	7	0	5	2
14.	सूचना एवं प्रसारण	2	1	1	0
15.	जल शक्ति	8	2	4	2
16.	श्रम	4	3	1	0
17.	विधि एवं न्याय	5	3	2	0
18.	अल्पसंख्यक मामले	3	1	2	0
19.	ग्रामीण विकास	1	0	1	0
20.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	5	3	2	0
21.	कौशल विकास	2	0	2	0
22.	सामाजिक न्याय	11	5	6	0
23.	जनजातीय कार्य	1	1	0	0
24.	महिला एवं बाल विकास	5	2	2	1
25.	युवा मामले एवं खेल	8	1	6	1
26.	नागर विमानन	2	0	2	0
27.	कोयला	1	0	1	0

क्र. सं.	मंत्रालय	सीएबी की सं.	निर्धारित समय (30.06.2022) के अंदर प्रस्तुत किए गए सीएबी लेखाओं की सं.	लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब (अर्थात निर्धारित समय 30.06.2022 के बाद तथा 31.12.22 से पहले)	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखे अभी (31.12.2022 तक) प्राप्त नहीं हुए
28.	वाणिज्य एवं उद्योग	24	5	18	1
29.	संचार	1	0	1	0
30.	कॉर्पोरेट कार्य	2	1	0	1
31.	रक्षा	5	3	2	0
32.	वित्तीय सेवाएं विभाग	5	1	4	0
33.	इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी	1	0	1	0
34.	भारी उद्योग	2	0	0	2
35.	आवास एवं शहरी कार्य	5	2	2	1
36.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	3	1	1	1
37.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	3	2	1	0
38.	विद्युत	4	2	2	0
39.	रेलवे	2	1	1	0
40.	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग	16	11	5	0
41.	वस्त्र	4	0	2	2
	कुल	**472**	**192**	**254**	**26**

यह पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, 254 सीएबी (53.81 *प्रतिशत)* ने 30 जून 2022 की अंतिम तिथि के पश्चात् तथा 31 दिसंबर 2022 से पूर्व अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए (47 *प्रतिशत* सीएबी ने 31 अक्तूबर 2022 तक तथा सात प्रतिशत ने 31 दिसंबर 2022 तक अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए)। 26 सीएबी (5.51 *प्रतिशत*) के लेखे नियत तिथि से छः महीने बीत जाने के पश्चात् भी बकाया थे। सीएबी द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब हेतु सामान्य कारण शासन परिषद/शासन निकाय/वित्त समिति द्वारा लेखाओं का गैर अनुमोदन, वित्तीय विवरणी की तैयारी में विलम्ब, लेखापरीक्षा को न सौंपना आदि थे।

1.8 लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में बकाया

14 सीएबी ने 2021-22 की अवधि (मार्च 2022 तक) से पहले एवं एक से आठ वर्षों के बीच की विलंबित सीमा से अपने लेखाओं को प्रस्तुत नहीं किया है जैसा कि **परिशिष्ट-I** में विवरण दिया गया है।

लेखापरीक्षा हेतु लेखाओं के गैर-अंतिमीकरण एवं गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण कोई आश्वासन नहीं मिल सका, कि क्या :

- अनुदानों का प्रत्याशित उद्देश्य हेतु निर्धारित नियमों के अनुसार उपयोग किया गया था।
- प्राप्तियों का सही प्रकार से निर्धारण, प्राप्ति तथा उनको लेखाबद्ध किया गया था।
- अधिशेष निधियों तथा अव्ययित शेष के निवेश हेतु एक उपयुक्त प्रणाली स्थापित थी।
- देयताओं का सृजन वैध था, तथा सभी ज्ञात देयताओं एवं हानियों हेतु प्रावधान किए गए थे।
- परिसम्पत्तियां तथा अन्य संसाधन मौजूद थे।
- लेखांकन अभिलेख सटीक तथा पूर्ण थे; और
- उनके परिचालन में धोखा-धड़ी एवं गड़बड़ी नहीं थी।

यह इन स्वायत्त निकायों में कमजोर वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण की कमी को भी इंगित करता है।

1.9 संसद में लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सीएबी के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को 31 दिसम्बर तक संसद के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। सदन के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजातों की समिति (सीओपीएलओटी) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए 31 दिसम्बर तक संसद के समक्ष सीएबी के लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति जैसा कि **तालिका सं. 1.6** में दर्शाई गई है:

तालिका सं. 1.6: संसद के समक्ष सीएबी के लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति

क्र.सं.	लेखाओं का वर्ष	31 दिसम्बर तक सीएजी द्वारा जारी एसएआर	31 दिसम्बर तक एसएआर जारी किए गए एवं संसद में प्रस्तुत किए गए	एसएआर जारी किए गए लेकिन 31 दिसम्बर तक संसद में प्रस्तुत नहीं किए गए
1	2020-21	226	49 (21.68 *प्रतिशत*)	177 (78.32 *प्रतिशत*)
2	2021-22	376	93 (24.73 *प्रतिशत*)	283 (75.27 *प्रतिशत*)

31 दिसम्बर तक सीएबी को एसएआर जारी करने के बावजूद उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के लिए **177 (78.32 *प्रतिशत*)** सीएबी तथा वर्ष 2021-22 के लिए कि **283 (75.27 *प्रतिशत*)** सीएबी के लेखाओं पर एसएआर क्रमश: 31 दिसम्बर 2021 तथा 31 दिसम्बर 2022 **(परिशिष्ट-II एवं III)** को संसद के समझ प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

1.10 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को अनुदान एवं उनका उपयोग

जीएफआर, 2017 का नियम 230(5) बताता है कि केन्द्रीय स्वायत्त निकाय जो अनुदान प्राप्त करते हैं, को पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का पृथक रूप से हिसाब रखना चाहिए। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए अंतिम लेखाओं के प्रस्तुतीकरण हेतु मानक प्रारूप तैयार किया है। सभी अनुदान संस्वीकृति प्राधिकारियों को सभी केन्द्रीय स्वायत्त संगठनों पर मानक प्रारूपों में अपने वार्षिक लेखाओं के अनुपालन अनुरक्षण तथा प्रस्तुत करने के नियम की अनुपालना करनी चाहिए।

अव्ययित शेष हेतु जीएफआर का नियम 230(7) बताता है कि जब एक ही संस्थान अथवा संगठन को एक ही उद्देश्य हेतु आवर्ती सहायता अनुदान संस्वीकृत की जाती है तो अनुवर्ती अनुदान को संस्वीकृति देते समय पिछले अनुदान के अव्ययित शेष को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सभी भुगतानों के संबंध में संभावित सीमा तक 'सही समय पर निर्गम' के सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए।

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, सांविधिक निकायों/संगठनों को जारी अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को संबंधित निकायों/संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 12 माह के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, अप्रयुक्त अनुदान सहित विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी अनुदान **तालिका सं. 1.7** में दिया गया है जिसमें क्र. स.1 से 25 (हरे रंग में दर्शाया गया है) तक सामान्य, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा पर्यावरण क्षेत्र के मंत्रालय के अधीन आते हैं:

तालिका सं. 1.7: अप्रयुक्त अनुदान सहित विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय	मंत्रालय/यूजीसी (यूसी के अनुसार) द्वारा जारी अनुदान	मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्रों (यूसी) के अनुसार अप्रयुक्त अनुदान
1.	कृषि	8883.1	321.56
2.	आयुष	1606.03	34.13
3.	रसायन एवं उर्वरक	374.65	192.66
4.	उपभोक्ता मामले	12.06	2.38
5.	सहकारिता	341.01	136.46
6.	संस्कृति	845.98	132.04
7.	शिक्षा	51878.09	4532.58
8.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	344.08	2.62
9.	विदेश मामले	600.86	122.71
10.	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी	10.4	1.48
11.	खाद्य प्रसंस्करण	16.5	5.38
12.	स्वास्थ्य	15215.55	2265.84
13.	गृह	679.88	35.07
14.	सूचना एवं प्रसारण	2804.57	1.99
15.	जल शक्ति	2168.65	922.23
16.	श्रम	23449.72	0.00
17.	विधि एवं न्याय	180.51	12.64
18.	अल्पसंख्यक मामले	लागू नहीं	लागू नहीं
19.	ग्रामीण विकास	105.48	5.36
20.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	6469.18	0.00

क्र.सं.	मंत्रालय	मंत्रालय/यूजीसी (यूसी के अनुसार) द्वारा जारी अनुदान	मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्रों (यूसी) के अनुसार अप्रयुक्त अनुदान
21.	कौशल विकास	19.5	4.77
22.	सामाजिक न्याय	767.1	117.44
23.	जनजातीय कार्य	1057.74	14.86
24.	महिला एवं बाल विकास	लागू नहीं	लागू नहीं
25.	युवा मामले एवं खेल	1229.95	192.21
26.	नागर विमानन	29.82	4.63
27.	कोयला	29.61	0.00
28.	वाणिज्य एवं उद्योग	1037.91	71.4
29.	संचार	113.06	21.63
30.	कॉर्पोरेट कार्य	102.13	0.00
31.	रक्षा	813.39	459.86
32.	वित्तीय सेवाएं विभाग	301.82	86.93
33.	इलैक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी	1578	13.46
34.	भारी उद्योग	500	118.84
35.	आवास एवं शहरी कार्य	931.23	26.28
36.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	3755.22	620.35
37.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	241.19	323.14
38.	विद्युत	247.96	64.09
39.	रेलवे	25.89	0.00
40.	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग	345.05	203.83
41.	वस्त्र	996.76	107.62
	कुल	**130109.63**	**11178.47**

** लागू नहीं- संबंधित मंत्रालयों द्वारा जारी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।*

उपरोक्त तालिका में 31 दिसम्बर 2022 तक कुल 472 सीएबी में से 429 के लेखाओं पर जारी/अप्रयुक्त अनुदान शामिल हैं। शेष 43 सीएबी के संबंध में सूचना/उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रतीक्षित हैं।

2021-22 के दौरान कुल ₹1,30,109.63 करोड़ का कुल अनुदान सीएबी को जारी किया गया, जिसमें से 69.58 *प्रतिशत* शिक्षा मंत्रालय (39.87 *प्रतिशत*), श्रम मंत्रालय (18.02 *प्रतिशत*) एवं स्वास्थ्य मंत्रालय (11.69 *प्रतिशत*) से संबंधित है।

31 दिसम्बर 2022 तक ₹11,178.47 करोड़ की राशि का अव्ययित अनुदान है, जिसमें से 60.82 *प्रतिशत* शिक्षा मंत्रालय (40.55 *प्रतिशत)* तथा स्वास्थ्य मंत्रालय (20.27 *प्रतिशत*) से संबंधित है।

1.11 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखाओं का प्रमाणीकरण

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के तहत सीएजी केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) की लेखापरीक्षा करता है। लेखापरीक्षा के परिणाम पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) के माध्यम से सूचित किए जाते हैं। एसएआर संबंधित मंत्रालयों को जारी की जाती हैं तथा प्रमाणित अंतिम लेखाओं जिन्हें संबंधित मंत्रालयों द्वारा संसद के पटल पर प्रस्तुत किया जाना है के साथ संलग्न किया जाता है।

1.12 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियां

आंतरिक नियंत्रण, संगठन द्वारा वित्तीय एवं लेखांकन सूचना की समग्रता को सुनिश्चित करने, जवाबदेही को बढ़ावा देने तथा धोखाधड़ी को रोकने के लिए कार्यान्वित तंत्र नियमावली तथा प्रक्रियाएं हैं। कानून और विनियम का अनुपालन करने के अतिरिक्त आंतरिक नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता तथा सामयिकता का सुधार करते हुए प्रचालनात्मक दक्षता का सुधार करने में मदद कर सकते हैं।

वर्ष 2021-22 के लिए 472 सीएबी में से 192 सीएबी के लेखे समय पर अर्थात् 30 जून 2022 तक प्राप्त हुए थे। 254 सीएबी के लेखे नियत तिथि के बाद प्राप्त हुए हैं तथा 26 सीएबी ने अपने लेखाओं को 31 दिसम्बर 2022 तक प्रस्तुत नहीं किए हैं।

वर्ष 2021-22 के लिए (दिसम्बर 2022 तक एसएआर जारी की गई) **376** केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की वित्तीय लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कुछ महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण कमियां निम्नवत है:

- 220 सीएबी (58.51 *प्रतिशत*) की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। **(परिशिष्ट-IV)**
- 152 सीएबी (40.42 *प्रतिशत*) की अचल परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। **(परिशिष्ट-V)**
- 147 सीएबी (39.09 *प्रतिशत*) की वस्तु सूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। **(परिशिष्ट-VI)**

1.13 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं में पाई गई आम कमियां

वर्ष 2021-22 के लिए (दिसम्बर 2022 तक एसएआर जारी की गई) 376 सीएबी के वार्षिक लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कुछ समान कमियां निम्नवत हैं

- 138 सीएबी (36.70 *प्रतिशत*) प्रोद्भूत आधार की अपेक्षा वसूली/रोकड़ आधार पर अनुदानों का लेखांकन कर रहे थे जो वित्त मंत्रालय के साथ-साथ शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखाओं के सामान्य प्रारूप के अनुरूप नहीं था। इसका परिणाम सीएबी द्वारा प्राप्त अनुदान तथा अप्रयुक्त अनुदान को गलत दर्शाने में हो सकता है। **(परिशिष्ट-VII)**
- 45 सीएवी (11.96 *प्रतिशत*) ने वर्ष 2021-22 के लिए न तो सरकारी अनुदान से अनुदान पर अर्जित ₹126.29 करोड़ के ब्याज को वापस किया न ही अपने वार्षिक लेखाओं में उसके लिए देनदारी का सृजन किया। आगे, 12 सीएबी ने अनुदान से अर्जित ब्याज की गणना नहीं की क्योंकि ये सीएबी एकल बचत बैंक खाते का रखरखाब कर रही हैं। **(परिशिष्ट-VIII)**
- 175 सीएबी (46.54 *प्रतिशत*) ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाओं का एक समान प्रारूप एवं लेखांकन मानक 15 के उल्लंघन में उपदान एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर लेखांकन नहीं किया है। **(परिशिष्ट-IX)**

- 37 सीएबी (9.84 *प्रतिशत*) ने लेखापरीक्षा संशोधन का प्रभाव के परिणामस्वरूप अपने लेखाओं को संशोधित किया **(परिशिष्ट-X)**। संशोधनों का प्रभाव 2021-22 के दौरान ₹182.79 करोड़ तक परिसम्पत्तियों/देयताओं मे कमी, ₹126.33 करोड़ तक अधिशेष में निवल कमी तथा ₹83.5 करोड़ तक घाटे में निवल वृद्धि का था।

1.14 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर

लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रति अपने उत्तर पैराग्राफों की प्राप्ति छः सप्ताह के भीतर प्रेषित करने के निदेश जारी किए। तदनुसार, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ड्राफ्ट पैराग्राफों को अग्रेषित किया जाता है तथा उनसे वे छह सप्ताह के भीतर अपना उत्तर भेजने का निवेदन किया जाता है पैराग्राफों के संबंध में प्राप्त संबंधित मंत्रालयों/विभागों के उत्तर को उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है। आगे, लेखापरीक्षा के उदाहरण पर, पांच सीएबी से ₹3.73 करोड़ की वसूली हुई है **(परिशिष्ट-1.1)**।

अध्याय II: शिक्षा मंत्रालय

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बॉम्बे, विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागपुर, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान-पुणे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय-नागपुर एवं गोवा

2.1 2015-16 से 2020-21 तक की अवधि हेतु केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को *तदर्थ* बोनस का अस्वीकार्य भुगतान - ₹378.10 लाख

पांच केन्द्रीय स्वायत्त निकायों ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी भी आदेश के अभाव में अपने कर्मचारियों को *तदर्थ* बोनस का भुगतान किया, जिसका परिणाम 2015-16 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को ₹378.10 लाख की राशि के अस्वीकार्य भुगतान में हुआ।

वित्त मंत्रालय (एमओएफ), व्यय विभाग ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (*तदर्थ* बोनस) प्रदान करने हेतु प्रतिवर्ष कार्यालय ज्ञापन (ओएम) जारी किया। केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) को *तदर्थ* बोनस प्रदान करने हेतु आदेशों को पृथक रूप से जारी किया। तदनुसार, एमओएफ ने वर्ष 2014-15 के लिए सीएबी को *तदर्थ* बोनस प्रदान करने हेतु पृथक रूप से आदेश जारी किए। यद्यपि 2015-16 से 2020-21 की अवधि हेतु एमओएफ द्वारा सीएबी को कोई भी ऐसे आदेश पृथक रूप से जारी नहीं किए गए।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2015-16 से 2020-21 की अवधि के दौरान पांच सीएबी के संबंध में एमओएफ से बिना किसी आदेश के ₹378.10 लाख के *तदर्थ* बोनस के अस्वीकार्य भुगतान को पाया। इन सीएबी द्वारा दिए गए तदर्थ बोनस के अस्वीकार्य भुगतान का विवरण नीचे **तालिका सं. 2.1** में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 2.1: *तदर्थ* बोनस का अस्वीकार्य भुगतान

(₹ लाख में)

क्र.सं.	सीएबी का नाम	अवधि	*तदर्थ* बोनस का अस्वीकार्य भुगतान
शिक्षा मंत्रालय			
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बॉम्बे	2015-16 से 2020-21	361.94
2.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (वीएनआईटी), नागपुर	2015-16	13.35

क्र.सं.	सीएबी का नाम	अवधि	*तदर्थ* बोनस का अस्वीकार्य भुगतान
3.	इग्नू, नागपुर	2015-16 से 2017-18	1.24
4.	इग्नू, गोवा	2015-16 से 2017-18	0.40
आयुष मंत्रालय			
5.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे	2016-17	1.17
		कुल	**378.10**

यद्यपि कुछ केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में इसी प्रकार से मुद्दे को सीएजी के 2021 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 2 में भी इंगित किया गया था, फिर भी सीएबी के प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में दो सीएबी जैसे कि आईआईटी, बॉम्बे एवं इग्नू, नागपुर और गोवा ने निम्नवत उत्तर प्रस्तुत किए:

(ए) आईआईटी बॉम्बे ने बताया (मार्च 2022) कि *तदर्थ* बोनस का भुगतान बीओसी संकल्प दिनांक 20 दिसम्बर 1985 के आदेशों के अनुसार किया गया जिसमें बताया कि "निदेशक के आदेशों के अधीन समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए घोषित बोनस फोर्मूला के अनुसार संस्थान के कर्मचारियों एवं दिहाड़ी मजदूरों को बोनस का भुगतान किया जाए"। उन्होंने आगे यह भी बताया कि बीओजी दिनांक 25 मार्च 2022 की बैठक में बोनस मुद्दे को वित्त समिति और उसके बाद बोर्ड तथा अनुमोदन हेतु शिक्षा मंत्रालय (एमओई) को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

(बी) इग्नू, नागपुर एवं गोवा ने उत्तर दिया कि *तदर्थ* बोनस का भुगतान 25 अक्टूबर 2016[1] एवं 10 अक्टूबर 2017[2] को इग्नू मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संस्वीकृति आदेशों के आधार पर अपने कर्मचारियों को किया।

आईआईटी बॉम्बे तथा इग्नू, नागपुर एवं गोवा का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपने कर्मचारियों को *तदर्थ* बोनस के लाभ प्रदान करने हेतु एमओएफ का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है। आईआईटी बॉम्बे का उत्तर स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अपने कर्मचारियों के *तदर्थ* बोनस प्रदान करने से पहले एमओएफ के साथ-साथ प्रशासनिक मंत्रालयों का कोई पूर्व

[1] एफ.सं. आईजी/एफएण्डए/सैलरी/2016-17 दिनांक 25.10.2016

[2] एफ.सं. आईजी/एफएण्डए/सैलरी/2016-17 दिनांक 10.10.2017

अनुमोदन नहीं लिया गया है। इग्नू, नागपुर व गोवा का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एमओएफ, डीओई ओएम दिनांक 3 अक्टूबर 2016[3] एवं 19 सितम्बर 2017[4] का संदर्भ देते हुए क्रमशः 25 अक्टूबर 2016 एवं 10 अक्टूबर 2017 को बोनस के भुगतान के लिए इग्नू मुख्यालय ने संस्वीकृति आदेश जो सीएबी के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं थे। आगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पत्र दिनांक 18 अक्टूबर 2017 ने बताया कि भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 हेतु स्वायत्त निकायों के लिए गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस प्रदान करने के आदेशों को नहीं बढ़ाया।

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर, एनआईएन, पुणे ने जून एवं जुलाई 2022 में आपने कर्मचारियों से ₹1.17 लाख के *तदर्थ* बोनस के संपूर्ण भुगतान की वसूली की। तथापि वीएनआईटी, नागपुर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2022)।

मई 2022 में मामला मंत्रालयों को भेजा गया, उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अप्रैल 2023)।

केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार

2.2 अपूर्ण चाहरदीवारी पर निष्फल व्यय - ₹0.71 करोड़

केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार ने चाहरदीवारी के निर्माण पर ₹0.71 करोड़ का निष्फल व्यय किया क्योंकि भूमि अतिक्रमण के कारण सभी बाधाओं से मुक्त नहीं थी।

केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी), कोकराझार शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन असम में बोडोलैण्ड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के कोकराझार जिले में स्थित एक केन्द्रीय- वित्तपोषित संस्थान है। अगस्त 2016 में बीटीसी ने सीआईटी को, इस अनुबंध के साथ कि भूमि का उपयोग तीन वर्षों के भीतर किया जाना था, 106 एकड़ माप की भूमि आबंटित की।

सीआईटी द्वारा सितंबर 2016 में भूमि का अधिग्रहण किया गया था। मार्च 2017 में, संस्थान ने अतिक्रमण से बचने के लिए नई आबंटित भूमि के चारों ओर एक चाहरदीवारी का निर्माण करने का प्रस्ताव किया। भूमि के अतिक्रमण के खतरे पर विचार करते हुए तत्काल आधार पर बीओजी अध्यक्ष के अनुमोदन की मांग की गई। बीओजी अध्यक्ष ने इस अनुदेश

[3] एमओएफ, व्यय विभाग ओएम सं.7/24/2007/ई।।।(ए) दिनांक 03.10.2016

[4] एमओएफ व्यय विभाग ओएम सं.7/4/201/ई।।।(ए) दिनांक 19.09.2017

के साथ प्रस्ताव को अनुमोदित किया (मार्च 2017) कि मामले को अगली बीओजी बैठक में प्रस्तुत किया जाए तथा कार्य को अगली बीओजी बैठक[5] में अनुमोदन की प्रत्याशा में शुरू किया जा सकता था।

तद्नुसार, संस्थान ने ₹1.34 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 1,100 मीटर[6] की चाहरदीवारी के चरण-I निर्माण हेतु आरेखण, डिजाइन तथा अनुमान तैयार किए तथा लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), बीटीसी, कोकराझार (अप्रैल 2017) को नियुक्त किया जिसने बदले में ₹1.20 करोड़ की लागत पर एक ठेकेदार (जून 2017) को कार्य सौंपा। तथापि, ठेकेदार द्वारा चाहरदीवारी के निर्माण को प्लाट पर रह रहे ग्रामीणों द्वारा विरोध के कारण मार्च 2018 में रोकना पड़ा था। अभिलेखों से यह पाया गया था कि संस्थान इस तथ्य से अवगत (फरवरी 2017) था कि नई आबंटित भूमि पर अतिक्रमण थे परंतु फिर भी चाहरदीवारी के निर्माण के प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ा (मार्च 2017) तथा अतिक्रमित भूमि पर ठेकेदार को कार्य सौंपा (अप्रैल 2017)।

इस प्रकार, सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तिका के पैरा 4.2 में शामिल अनुदेशों, जो अनुबंध करते है कि "विस्तृत अनुमान तथा आरेखण तथा डिजाईनों को केवल यह आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात् ही तैयार किया जाना चाहिए कि साईट उपलब्ध तथा बाधाओं से मुक्त थी," के उल्लघंन में निर्माण कार्य को, यह सुनिश्चित किए बिना कि भूमि बाधाओं/अतिक्रमणों से मुक्त थी, पीडब्ल्यूडी को सौंपा।

यह पाया गया था कि 55 *प्रतिशत* कार्य मार्च 2018 तक समाप्त कर लिया गया था जिसके लिए ठेकेदार को ₹0.71 करोड़ का भुगतान किया गया था। सीआईटी ने अपने उत्तरों (अक्टूबर 2021 तथा जुलाई 2022) में बताया कि भूमि का प्लॉट विवादित था तथा उन्होंने मामले को समाधान हेतु बीटीसी प्राधिकारी के साथ उठाया था। संस्थान ने अपने नवीनतम उत्तर (जनवरी 2023) में बताया है कि अब तक न तो अतिक्रमणों के मामले का समाधान हुआ है न ही बीटीसी से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है।

---

[5] भवन निर्माण समिति ने मई 2017 में बीओजी अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा प्रस्ताव को बीओजी द्वारा जनवरी 2018 में अनुमोदित किया गया था।

[6] यह निर्णय लिया गया था कि ₹पांच करोड़ के साथ 4,600 मीटर की शेष संस्वीकृति को बाद में प्राप्त किया जाएगा।

इस प्रकार, निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व बाधा-मुक्त भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की कमी का परिणाम अपूर्ण चाहरदीवारी पर किए गए ₹0.71 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया (दिसंबर 2022/जनवरी 2023); हालांकि, मंत्रालय का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित (मार्च 2023) है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता

2.3 प्राध्यापकों को उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) वेतनमान के अस्वीकार्य अनुदान के कारण वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान

भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता द्वारा ऑन रोल 40 *प्रतिशत* प्राध्यापकों तक पात्रता को सीमित करने के बजाय, मंत्रालय के अनुदेशों के उल्लंघन में पूर्ण संकाय संख्या के 40 *प्रतिशत* को योग्य के रूप में मानकर, प्राध्यापकों को उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) प्रदान करने का परिणाम कुल ₹65.29 लाख तक वेतन एवं भत्तों के अधिक भुगतान में हुआ।

6वें सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार, केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (आईआईएम सहित) में शिक्षण एवं अन्य स्टाफ के वेतन को शिक्षा मंत्रालय (एमओई) पहले के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के आदेश[7] दिनांक 18 अगस्त 2009 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आदेश के अनुसार, प्राध्यापकों की ₹10,500/- प्रतिमाह के शैक्षणिक ग्रेड वेतन (एजीपी) के साथ वेतन बैंड (पीबी)-4 (₹37,400-67,000) में नियुक्ति की जानी है तथा ₹10,500/- के एजीपी में 6 वर्षों की नियमित सेवा के पश्चात् अधिकतम 40 *प्रतिशत* तक प्राध्यापक के पद किसी भी समय अनुसंधान प्रकाशनों, पीएच.डी पर्यवेक्षण, शिक्षण एवं परामर्श सेवाओं आदि पर आधारित निष्पादन मूल्यांकन के अध्यधीन ₹12,000/- प्रति माह की एजीपी लिए के पात्र होंगे।

आगे, एमएचआरडी के परिपत्र[8] दिनांक 15 सितंबर 2010 के तहत से, ₹12,000/- के एजीपी को, पात्रता की अन्य शर्तों को वही रखते हुए तथा पहले के आदेश दिनांक 18 अगस्त 2009

[7] एफ.सं. 23-1/2008-टीएस.II

[8] सं. 23-1/2008-टीएस. II

को जारी करने की तिथि से संभावित प्रभाव के साथ, ₹67,000-79,000 के एक नए एचएजी वेतनमान के साथ बदल दिया गया था।

भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता (आईआईएमसी), सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन, को आईआईएम अधिनियम, 2017 द्वारा शासित किया जाता है तथा कार्यों को शिक्षा मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान ने, जुलाई 2011 में अपने प्राध्यापकों को एचएजी वेतनाम प्रदान करते समय, एचएजी हेतु पात्र प्राध्यापकों की संख्या को ऊपर उल्लिखित एमएचआरडी के आदेश दिनांक 18 अगस्त 2009 के अनुदेश के उल्लंघन में, किसी भी समय पूर्ण प्राध्यापकों के 40 *प्रतिशत* तक इसको सीमित करने के बजाय प्राध्यापकों, सह-प्राध्यापकों तथा सहायक प्राध्यापकों की संस्वीकृत संकाय संख्या के 40 *प्रतिशत* को लिया। ऐसा करने में, आईआईएमसी ने एचएजी हेतु पात्र के रूप में प्राध्यापकों के 42 पदों (संकाय के 104 कुल संस्वीकृत पदों का 40 *प्रतिशत* लेते हुए) पर विचार किया तथा तदनुसार, संख्या को 20 तक सीमित करने (अर्थात् उस समय ऑन रोल 48 प्राध्यापकों का 40 *प्रतिशत*) के बजाय 32 प्राध्यापकों, जिन्होंने उस समय पात्रता मानदण्ड को पूरा किया था, की एचएजी वेतनमान प्रदान किया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सितंबर 2009 से अप्रैल 2017 के बीच, आईआईएमसी द्वारा 20 के बजाय 47[9] मामलों मे प्राध्यापकों को एचएजी वेतनमान प्रदान किया जिसका परिणाम 27[10] मामलों में अनियमित एचएजी वेतनमान प्रदान किए जाने तथा 31 मार्च 2022 को कुल ₹65.29 लाख तक वेतन एवं भत्तों के परिणामी अधिक भुगतान में हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, आईआईएमसी ने इस संबंध में आईआईएम, बैंगलोर से पूछताछ की तथा यह सूचित (मार्च 2020) किया गया था कि आईआईएम बैंगलौर पूर्ण प्राध्यापकों का 40 *प्रतिशत* लेकर एचएजी वेतनमान प्रदान कर रहा था। बाद में, आईआईएमसी ने मामले को स्पष्टीकरण हेतु शिक्षा मंत्रालय (एमओई) को भेजा (सितंबर 2020)। शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने भी स्पष्ट किया (नवम्बर 2020) कि

---

[9] 32 (सितंबर 2009 से अक्टूबर 2010)+15 (मई 2012 से अप्रैल 2017)।

[10] 47-20=27 (21$^{वें}$ स्थान पर प्राध्यापक को 20 एचएजी पदों में से जब कभी एक पद स्थित होने पर पात्र हो जाना माने जाने से)

एमएचआरडी का आदेश दिनांक 18 अगस्त 2009, जिसमें यह बताया गया था कि किसी भी समय पूर्ण प्राध्यापकों के 40 *प्रतिशत* पद ₹10,500/- के एजीपी में छः वर्षों की नियमित सेवा के पश्चात् ₹12,000/- के एजीपी के लिए पात्र होंगे, स्वतः- व्याख्यात्मक है तथा पात्र संकाय को एचएजी वेतनमान प्रदान करते समय इसको ध्यान में रखा जा सकता है।

आईआईएमसी ने बताया था (दिसंबर 2021) कि इसने एचएजी वेतनमान प्रदान करने में अनियमितताओं की पूछताछ करने के साथ किए गए अधिक भुगतान का परिकलन करने हेतु जनवरी 2021 में एक समिति का गठन किया था तथा अपने नवीनतम उत्तर (जनवरी 2023) में संस्थान ने बताया है कि उसने ऐसे सभी मामलों में संबंधित संकाय का पुनः नियतन करते हुए भुगतान का परिकलन[11] किया है। वसूली प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी गई है तथा आज तक ₹14.90 लाख की राशि को रोका गया है।

मामला दिसंबर 2022 मे मंत्रालय को सूचित किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2023)।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर

2.4 संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के प्रति नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अंशदान का अस्वीकार्य भुगतान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर ने संविदात्मक कर्मचारियों हेतु एनपीएस के प्रति नियोक्ता के अंशदान का ₹70.12 लाख का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

वित्त मंत्रालय, अर्थिक कार्य विभाग (ईसीबी एण्ड पीआर) प्रभाग ने अधिसूचना सं. एफ.सं. 5/7/2003-ईसीबी एण्ड पीआर दिनांक 22 दिसम्बर 2003 के तहत सशस्त्र बल (प्रथम चरण में) को छोड़कर केन्द्र सरकार सेवा में नए प्रवेशकर्ताओं हेतु नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को पुन: स्थापित किया। यह उल्लेख किया गया था कि यह प्रणाली 01 जनवरी 2004 से केन्द्र सरकार सेवा में सभी नई भर्तियों के लिए अनिवार्य होगी। मासिक अंशदान वेतन और डीए का 10 *प्रतिशत* कर्मचारी द्वारा भुगतान किया जाएगा एवं केन्द्र सरकार द्वारा मिलान किया जाएगा। तथापि, व्यक्ति के संबंध में जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, उनके लिए सरकार से कोई अंशदान नहीं होगा।

[11] आईआईएमसी समिति ने 27 मामलों में अधिक भुगतान की राशि को ₹60.45 लाख के रूप में परिकलित किया। आईआईएमसी तथा लेखापरीक्षा (₹65.29 लाख) द्वारा परिकलित राशि में अंतर का कारण पांच मामलों में अलग मूल वेतन/परिकलन अवधि/पात्रता की तिथि को लिए जाने के कारण था।

आगे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर (आईआईटी, गांधीनगर) ने अपनी संविधियों की अनुसूची-डी के अनुसार, अपने पात्र कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार के एनपीएस को अपनाया। आईआईटी, गांधीनगर के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि संविदात्मक कर्मचारी नई पेंशन योजना के अधीन शामिल नहीं हैं, इस तथ्य के बावजूद, संस्थान ने एनपीएस के लिए संविदात्मक कर्मचारियों के समेकित वेतन पर नियोक्ता के अंशदान का भुगतान किया। आईआईटी, गांधीनगर ने 2018-19 से 2021-22 के दौरान एनपीएस के लिए नियोक्ता के अंशदान के रूप में ₹70.12[12] लाख का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर, आईआईटी, गांधीनगर ने उत्तर दिया कि शासक मंडल द्वारा 5 दिसम्बर 2016 को आयोजित अपनी 20वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर इन कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ दिया गया। आगे यह बताया है कि आईआईटी, गांधीनगर की संविधि बताते हैं कि बोर्ड निर्दिष्ट वेतनमान में एवं आगे की अवधि हेतु नवीकरण के प्रावधान सहित पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं संबंधित पद के लिए लागू निबंधन और शर्तों पर संविदा पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। इसलिए, इन संविदात्मक कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ देना संविधि के अनुसार है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईआईटी, गांधीनगर के संविधि ने स्पष्ट रूप से बताया गया कि संस्थान एनपीएस का पालन अपने नियमित कर्मचारियों के लिए 01 जनवरी 2004 से पूरे देश में लाए गए केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार करेगा।

इस प्रकार, एनपीएस का लाभ लेने के लिए संविदात्मक कर्मचारियों को शामिल करने का शासक मंडल का निर्णय (दिनांक 05 दिसंबर 2016) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर 2003 के उल्लंघन में है जिसमें यह बताया गया था कि केन्द्र सरकार के अंतर्गत एनपीएस केवल नई भर्ती हुए नियमित स्टाफ के लिए ही लागू था।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (सितंबर 2022/दिसम्बर 2022); तथापि मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (मार्च 2023)।

---

[12] 2018-19 के दौरान ₹5.18 लाख, 2019-20 ₹17.69 लाख, 2020-21- ₹20.57 लाख एवं 2021-22- ₹26.68 लाख।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी

2.5 नई भर्ती किए गए संकाय सदस्यों को वेतन वृद्धि का अधिक भुगतान - ₹2.78 करोड़

मौलिक नियमावली के उल्लंघन में, खड़गपुर एवं गुवाहाटी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सीधी भर्ती के आधार पर चयनित नव नियुक्त संकाय सदस्यों की वेतन वृद्धि की अनुमति दी जिसका परिणाम ₹2.78 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ (मार्च 2022 तक)।

खड़गपुर एवं गुवाहाटी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की संविधियों के उपखंड 12(1) के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय (पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा जारी (अगस्त/सितम्बर 2009) अनुदेशों के साथ पठित, दोनों संस्थानों ने पद की नियुक्ति के लिए पात्र आन्तरिक एवं बाह्य उम्मीदवारों सहित खुले विज्ञापन के माध्यम से संकाय[13] के पदों को भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए। चयन साक्षात्कार के माध्यम से एवं चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया जाना था। चयन समिति को ऐसे उम्मीदवारों के वेतन की सुरक्षा, यदि कोई हो, का भी प्रावधान करना था।

मौलिक नियमावली का नियम 22(1) (ए) (1), एक सरकारी कर्मचारी जो उनके द्वारा पूर्व में धारित पर से जुड़े कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों से अधिक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त है, का प्रारम्भिक वेतन के नियतन करते हुए बताता है कि उच्च पद में प्रारम्भिक-वेतन-नियतन उनके द्वारा पूर्व में धारित पद के टाइम स्केल में वेतन-वृद्धि प्रदान करने के बाद किया जाना है। यह आगे प्रदान करता है कि सरकारी कर्मचारी के पास यह विकल्प होगा कि वह अपना वेतन या तो उच्च पद पर नियुक्ति की तिथि पर या उसके द्वारा पूर्व में धारित पद के स्केल के समय अगली वेतन-वृद्धि की तिथि पर नियत करवा सकता है। वेतन-नियतन की तिथि हेतु विकल्प चुनने का प्रावधान हालांकि सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध नहीं है।

सीधी भर्ती के आधार पर चयनित नई भर्ती किए गए संकाय सदस्यों की नियुक्त से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि दोनों संस्थानों ने उनके एफआर 22(1)(ए)(1) के तहत उनकी नियुक्ति के समय उनके वेतन नियतन की तिथि के संबंध में विकल्प चुनने की अनुमति दी थी जो सीधी भर्ती के मामलों में अस्वीकार्य है। परिणामस्वरुप, नई भर्ती किए गए संकाय सदस्यों ने उसी संस्थान में या कहीं भी उनके द्वारा पूर्व में धारित पद के टादम

[13] सहायक प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर एवं प्रोफेसर।

स्केल की अगली वेतन-वृद्धि की प्रोद्भवन तिथि से अपने वेतन नियतन का विकल्प चुना। फिर भी नई भर्ती किए गए संकाय सदस्यों को इन विकल्प को चुनने की अनुमति देने से अगली वेतन-वृद्धि की तिथि से नए पद के टाइम स्केल में उच्च स्तर पर उनके वेतन का निर्धारण हुआ। लेखापरीक्षा में ऐसे 54[14] मामलों में की गई नमूना जांच जिसमें इस विकल्प को चुनने की अनुमति देना मौलिक नियमावली के उल्लंघन में था जिसका परिणाम ₹2.78 करोड़[15] (मार्च 2022 तक) के अनुमानित अधिक भुगतान[16] सहित गलत वेतन-नियतन में हुआ।

इनके उत्तर में, शिक्षा मंत्रालय ने बताया है (अप्रैल 2022) कि मामला दोनों आईआईटी के साथ उठाया गया था तथा आईआईटी, खड़गपुर में अधिक भुगतान की वसूली शासक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है (जुलाई 2021)। आईआईटी, खड़गपुर ने ₹1.58 करोड़ की वसूली योग्य राशि में से ₹0.38 करोड़ (सितम्बर 2022 तक) की वसूली की है।

आईआईटी, गुवाहाटी ने सूचित किया है कि आईआईटी, गुवाहाटी के शासक मंडल ने वेतन-वसूली को भी अनुमोदित किया है (अक्टूबर 2022) जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया हैं, आईआईटी खड़गपुर की तरह ही वेतन-नियतन हेतु कदम उठाए गए है तथा नियतन समय में वसूल की जानी वाली राशि की गणना की गई है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली

2.6 गैर-परामर्शी सेवा हेतु सेवा प्रदाता के चयन की गलत पद्धति अधिक भुगतान का कारण बनी - ₹6.47 करोड़

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा गैर-परामर्शी सेवाओं हेतु सेवा प्रदाता के चयन हेतु सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 तथा नियमपुस्तिका के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन की विफलता का परिणाम तीसरे न्यूनतम बोलीकर्ता (एल-3) के चयन में हुआ तथा परिणामस्वरूप दिसम्बर 2019 से मार्च 2023 के बीच की अवधि के दौरान कुल ₹5.26 करोड़ के परिहार्य भुगतान का कारण बना। संस्थान हाउसकीपिंग अनुबंध की विस्तारित अवधि के दौरान सबसे कम तकनीकी रूप से अनुकूल सेवा प्रदाता का चयन करके ₹6.47 करोड़ के व्यय से बच सकता था।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 (जीएफआर) का नियम 197 "गैर-परामर्शी सेवा" को माल या कार्यों, उन्हें छोड़कर जो सेवा से जुड़े या अनुषंगी है, से भिन्न प्रापण की किसी

---

[14] आईआईटी, खड़गपुर में 30 तथा आईआईटी, गुवाहाटी में 24।

[15] 30 संकाय सदस्यों के संबंध में जनवरी 2022 तक आईआईटी, खड़गपुर के लिए ₹1.58 करोड़ तथा 24 संकाय सदस्यों के संबंध में मार्च 2022 तक आईआईटी, गुवाहाटी के लिए ₹1.20 करोड़।

[16] मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा विशेष ड्यूटी भत्ता, यदि कोई हो, का।

विषय वस्तु है जिसमें (परामर्शी सेवाओं से अलग), भौतिक, परिमेय प्रदेय-सेवाएं/परिणाम शामिल होते हैं, जहां निष्पादन मानक स्पष्टत: अभिनिर्धारित किए जा सकते है तथा इसमें वाहन का रखरखाव एवं वाहन को भाड़े पर लिया जाना, भवन सुविधा प्रबंधन, सुरक्षा, फोटोकॉपियर सेवा, पहरेदार, कार्यालय के छोटे-मोटे कार्य, ड्रिलिंग, एरियल फोटाग्राफी, उपग्रह से चित्रण, मानचित्रण आदि की शामिल हैं, के रूप में परिभाषित करता है।

इसके अतिरिक्त, परामर्शी एवं अन्य सेवाओं के प्रापण की नियमपुस्तिका, 2017[17] का पैराग्राफ 9.6.3 बताता है कि अन्य (गैर-परामर्शी) सेवाओं के प्रापण में आमतौर पर तकनीकी रूप से अनुकूल प्रस्तावों में से न्यूनतम मूल्य (एल-1) का चयन करने की प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जैसा माल/कार्यों के प्रापण में होता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (आईआईटीडी) ने मई 2019 में केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद, पोर्टल (सीपीपीपी) पर ₹19.50 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ तीन वर्षों के लिए हाउसकीपिंग सेवाएं हेतु एक निविदा निकाली थी। निविदा के निबंधन एवं शर्तो के आईआईटीडी ने तकनीकी मूल्यांकन का 60 *प्रतिशत* महत्व तथा वित्तीय मूल्यांकन को 40 *प्रतिशत* महत्व प्रदान करते हुए सफल बोलीकर्ता के चयन हेतु गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति को अपनाया। निविदा में नौ बोलीकर्ताओं ने भाग लिया जिसमें से पांच बोलीकर्ता का तकनीकी मूल्यांकन पर आगे उनकी वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन हेतु चयन किया गया था। बोलियों के तकनीकी तथा वित्तीय मूल्यांकन के समापन के पश्चात आईआईटीडी ने एक ठेकेदार का चयन किया जिसने 20 दिसम्बर 2019 से लागू तीन वर्षों के लिए ₹27.39 करोड़ के कुल अनुबंध मूल्य, जो अनुमानित निविदा लागत से लगभग 40 *प्रतिशत* अधिक था, के साथ क्यूसीबीएस पद्धति के अंतर्गत सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईआईटीडी ने हाउसकीपिंग सेवाओं, जो एक गैर-परामर्शी सेवा है, उसके लिए ठेकेदार के चयन हेतु क्यूसीबीएस पद्धति को अपनाते हुए जीएफआर, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन किया। आईआईटीडी के हाउसकीपिंग अनुबंध के कार्य क्षेत्र में बिल्डिंग तथा खुले क्षेत्रों की साफ-सफाई के लिए श्रमशक्ति, उपकरण तथा उपभोग्य की आपूर्ति शामिल है। भवन सुविधाएं प्रबंधन तथा पहरेदार को आउटसोर्स करने को जीएफआर के तहत गैर-परामर्शी सेवा के उदाहरण में शामिल किया गया है। ऐसी सेवाओं में किसी विशेष कौशल-

[17] व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी।

सेट की आवश्कता नहीं थी तथा इनका न्यूनतम लागत पद्धति पर चयन किया जाना अपेक्षित था। यह उचित है कि हाउसकीपिंग सेवाओं की 90 *प्रतिशत* लागत श्रमशक्ति के परिनियोजन, तकनीकी मूल्यांकन हेतु क्यूसीबीएस पद्धति को अपनाने जो वर्तमान मामले में बिल्कुल अपेक्षित नहीं था।

क्यूसीबीएस पद्धति उस बोलीकर्ता के चयन का कारण बनी जिसकी मूल्य बोली तीसरी न्यूनतम (एल-3) थी जो कि एक तकनीकी रूप से अनुकूल बोलीकर्ता (एल-1)[18] द्वारा उद्धृत न्यूनतम मूल्य से 20 *प्रतिशत* अधिक थी। आईआईटीडी ने दिसम्बर 2019 से सितम्बर 2022 (33.3 महीने) के दौरान ठेकेदार को ₹26.13 करोड़[19] जारी किए हैं।

अक्टूबर 2021 में इसे इंगित किए जाने पर, आईआईटीडी ने बताया (दिसम्बर 2021) कि इसकी तकनीकी मूल्यांकन समिति तथा क्रय वित्त समिति क्यूसीबीएस के साथ गई। न्यूनतम अनुकूल बोली से अधिक मूल्य पर ठेकेदार के चयन हेतु जीएफआर प्रावधानों के उल्लंघन में क्यूसीबीएस पद्धति का सहारा लेने का परिणाम एल-1 बोलीकर्ता द्वारा उद्धत सेवाओं की लागत से अधिक ₹5.26 करोड़ (मार्च 2023 तक) के भुगतान में हुआ। ठेंका का एक और वर्ष दिसम्बर 2023 तक विस्तार किया गया है। अनुबंध की विस्तारित अवधि अर्थात् दिसम्बर 2023 तक ठेके की सीमा ₹6.47 करोड़ के लिए न्यूनतम प्राप्त मूल्य पर देय राशि से अधिक कुल अतिरिक्त भुगतानों से न्यूनतम बोलीकर्ता का चयन करते हुए तकनीकी रूप से अनुकूल था, जैसा जीफआर 2017 के तहत निर्धारित है, बचा जा सकता था।

मामला मंत्रालय को प्रेषित किया गया था (मई 2022); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2023)।

18

विवरण	तकनीकी अंक (100 में से)	भारित तकनीकी अंक (60 में से)	सेवा की मासिक उद्धृत लागत	वित्तीय अंक (40 में से)	कुल अंक (100 में से)
एल-1 बोलीकर्ता	73	43.80	₹63,28,482.72	40.00	83.80
चयनित अभिकरण	85	51.00	₹76,08,791.00	33.27	84.27

19 संविदात्मक प्रावधानों के अधीन विक्रेता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के प्रति ₹23.12 करोड़ तथा इससे ली गई अतिरिक्त श्रमशक्ति के प्रति ₹3.01 करोड़

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

2.7 विद्युत शुल्क का अधिक भुगतान - ₹2.63 करोड़

आईआईटी, खड़गपुर ने अपनी उपभोक्ता श्रेणी के लिए लागू दर की पुष्टि किए बिना वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु विद्युत खपत पर लागू उच्च दरों पर विद्युत शुल्क का अदा किया जिसका परिणाम मार्च 2018 से मई 2022 तक की अवधि के दौरान ₹2.63 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर ने खड़गपुर में संस्थान कैम्पस को उच्च वोल्टेज विद्युत (33केवी) की आपूर्ति हेतु पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) नामक बिजली वितरण लाइसेंसधारी के साथ एक अनुबंध[20] हस्ताक्षर किया। डब्ल्यूबीएसईडीसीएल ने उपभोक्ता टाईप 'सार्वजनिक उपयोगिता (33 केवी)' के अनुरूप टैरिफ कोड 'एफ(एटी)' के तहत विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जिसे पश्चिम बंगाल टैरिफ नियामक आयोग (डब्ल्यूबीआरईसी) द्वारा परिभाषित किया गया है, जिससे सभी गैर-लाभकारी शिक्षण संस्थान शामिल है।

डब्ल्यूबीएसईडीसीएल को भुगतान किए गए मासिक विद्युत बिलों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि संस्थान खपत की गई ऊर्जा के 17.5 *प्रतिशत की दर से* विद्युत शुल्क का भुगतान कर रहा था जो वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु खपत किए गए विद्युत के लिए लागू दर थी।

तथापि, डब्ल्यूबीएसईडीसीएल ने स्वयं उपभोक्ता टाईप एफ(एटी) सार्वजनिक उपयोगिता (33 केवी), अर्थात् गैर-औद्योगिक, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु उच्च वोल्टेज विद्युत की आपूर्ति के अधीन आपूर्ति को वर्गीकृत किया तथा तदनुसार, आईआईटी, खड़गपुर 15 *प्रतिशत* की दर पर विद्युत शुल्क अर्थात् वाणिज्यिक प्रयोजनों के अलावा गैर-औद्योगिक हेतु उच्च वोल्टेज विद्युत की आपूर्ति हेतु बंगाल विद्युत शुल्क अधिनियम 1935 यथा संशोधित की प्रथम अनुसूची के खण्ड सी(2) के अनुसार लागू दर में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

इस प्रकार, मार्च 2018 से मई 2022 के दौरान लेखापरीक्षा में की गई नमूना जांच में आईआईटी, खड़गपुर द्वारा अपने उपभोक्ता श्रेणी के अनुसार लागू दर के सत्यापन के बिना 17.5 *प्रतिशत* की उच्च दर पर विद्युत शुल्क के भुगतान का परिणाम ₹2.63 करोड़ की

[20] संशोधन दिनांक 26 फरवरी 2018 सहित अनुबंध दिनांक 16 मार्च 2009 के तहत उपभोक्ता आईडी 932100800

राशि के विद्युत शुल्क के अधिक भुगतान में हुआ। संस्थान को किए गए अधिक भुगतान के परिशोधन एवं प्रतिदाय हेतु मामले को डब्ल्यूबीएसईडीसीएल एवं विद्युत शुल्क निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उठाने की सलाह दी गई।

उत्तर में, संस्थान ने बताया (अक्टूबर 2021) कि उन्होंने शुल्क की कटौती के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल एवं निदेशक विद्युत शुल्क, पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र जारी किए जैसाकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है तथा उत्तर में डब्ल्यूबीईएससडीसीएल ने बताया कि आईआईटी टैरिफ कोड एफ(एटी), सार्वजनिक उपयोगिता सहित शैक्षिक संस्थान है तथा न तो घरेलू उपभोक्ता और नहीं औद्योगिक उपभोक्ता है। तदनुसार, संस्थान के विद्युत बिलों पर 17.5 *प्रतिशत* की दर पर विद्युत शुल्क लगाया जा रहा है।

डब्ल्यूबीएसईडीसीएल का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपभोगिता ने संस्थान के लिए विद्युत आपूर्ति की गैर-व्यवसायिक प्रकृति पर विचार नहीं किया। इसलिए, लेखापरीक्षा ने मामले को विद्युत शुल्क निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार को विद्युत शुल्क की लागू दर पर उनका अवलोकन प्राप्त करने के लिए भेजा (मई 2022)। निदेशालय ने उत्तर में (जून 2022) पुष्टि की कि डब्ल्यूबीएसईडीसीएल आईआईटी, खड़गपुर से 17.5 *प्रतिशत* की उच्च दर पर विद्युत शुल्क गलत तरीके से ले रहे थे तथा डब्ल्यूबीएसईडीसीएल को 17.5 *प्रतिशत* से 15 *प्रतिशत* तक विद्युत शुल्क की दर में संशोधन करने का भी निदेश दिया।

निदेशालय विद्युत शुल्क, पश्चिम बंगाल सरकार के निदेश की अनुपालना के उत्तर में, डब्ल्यूबीएसईडीसीएल ने जून 2022 से 17.5 *प्रतिशत* से 15 *प्रतिशत* तक की विद्युत शुल्क लगाने की दर कम कर दी है, फिर भी संस्थान ने बाद के ऊर्जा बिलों पर अदा किए गए अधिक की वसूली/समायोजन हेतु मामले को डब्ल्यूबीएसईडीसीएल या निदेशक विद्युत शुल्क, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ नहीं उठाया है (नवम्बर 2022) जिसका परिणाम विद्युत शुल्क के अधिक भुगतान में हुआ।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (दिसम्बर 2021); उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 2023)।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

2.8 ₹1.49 करोड़ का परिहार्य भुगतान

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इसको आबंटित भूमि की लागत का समय पर पूरा भुगतान करने में विफल रहा जिसका परिणाम ₹1.49 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के अधीन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के पूरे भारत में 20 क्षेत्रीय केन्द्र हैं। क्षेत्रीय केन्द्रों की एनआईओएस द्वारा संबंधित क्षेत्र में समन्वय एवं अध्ययन केन्द्रों के कार्य का पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य तथा शिक्षार्थियों को शैक्षिक एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए स्थापना की गई है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), जिसका एक क्षेत्रीय केन्द्र जयपुर में है, ने राजस्थान आवासीय बोर्ड, जयपुर (आरएचबी) को अपने क्षेत्रीय केन्द्र के निर्माण हेतु जयपुर में भूमि प्रदान करने (जुलाई तथा अगस्त 2011) के लिए संपर्क किया। आरएचबी ने प्रताप नगर योजना, सेक्टर-26, जयपुर में ₹2.56 करोड़[21] की कुल लागत, जिसमें वार्षिक पट्टा किराया, नगर निगम को देय राशि, संसाधन शुल्क आदि शामिल था, पर 2000 वर्ग मीटर माप की भूमि आबंटित की (जून, 2012)। कथित राशि को आबंटन पत्र जारी करने की तिथि से तीन महीनों की अवधि के भीतर अर्थात् 28 सितंबर 2012 तक अदा किया जाना था तथा यदि राशि को निर्धारित समय के भीतर अदा नहीं किया गया तो आरएचबी को कथित भूमि का दूसरे को आबंटन करने की स्वतंत्रता होगी।

एनआईओएस ने कथित भूमि का मुफ्त में अथवा रियायती दर पर आबंटन का अनुरोध करते हुए जिला कलेक्टर, जयपुर (दिसम्बर 2012) के साथ-साथ मुख्य सचिव राजस्थान सरकार (जनवरी 2013) को संपर्क किया। संभागीय आयुक्त, आरएचबी जयपुर, जिला कलेक्टर जयपुर तथा एनआईओएस अधिकारियों से बनी समिति की संभागीय आयुक्त, आरएचबी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई थी (मई 2013) जिसमें एनआईओएस को कथित भूमि का ₹2.56 करोड़ के स्थान पर ₹2.00 करोड़ के रियायती मूल्य पर आबंटन करने का करने निर्णय लिया गया था। आएचबी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार ₹82.50 लाख का एक बार पट्टा किराया वसूल करने का निर्णय भी लिया गया था। समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर आरएचबी ने एनआईओएस को ₹2.83 करोड़ (नगर निगम को देय विविध व्यय

[21] ₹8250/- प्रति वर्ग मीटर की दर पर+25 *प्रतिशत* अतिरिक्त प्रभार।

जमा ₹82.50 लाख के एक बार पट्टा किराया सहित ₹2.00 करोड़ की भूमि लागत) का मांग नोटिस जारी किया जिसे 31 मई 2013 तक जमा किया जाना था। एनआईओएस के अनुरोध पर जमा करने की तिथि को आगे 31 अगस्त 2013 तक बढ़ा दिया गया था।

एनआईओएस की वित्त समिति ने विविध लागतों सहित भूमि की लागत के प्रति ₹2.00 करोड़ के बजाय ₹1.96 करोड़ की राशि अनुमोदित की (अक्टूबर 2013)। इसने आरएचबी को अदा किए जाने वाले एक बार पट्टा किराया के रूप में ₹82.50 लाख के बजाय ₹65.60 लाख की राशि भी अनुमोदित की (अक्तूबर 2013)। एनआईओएस ने केवल ₹1.96 करोड़ अर्थात् विविध लागत सहित भूमि की अनुमोदित लागत अदा की (नवम्बर 2013) तथा इसने वित्त समिति द्वारा अनुमोदित एक बार पट्टा किराया अदा नहीं किया था। इस प्रकार, भूमि की लागत का ₹4.50 लाख तथा ₹82.50 लाख के एक बार पट्टा किराया का कम भुगतान था जिसके कारण एनआईओएस को भूमि सुपुर्द नहीं की गई थी तथा आरएचबी द्वारा प्रदान की गई छूट एनआईओएस के लिए कालातीत हो गई थी। तथापि, आठ वर्षों के अंतराल के पश्चात (सितम्बर 2021), एनआईओएस द्वारा आरएचबी को ₹1.54 करोड़[22] (ब्याज सहित) अदा किए गए थे। शेष राशि तथा उस पर उपार्जित ब्याज के भुगतान के पश्चात् एनआईओएस को भूमि का अधिकार प्राप्त हुआ (नवम्बर 2021)। परिणामस्वरूप एनआईओएस को भूमि का अधिकार प्राप्त करने के लिए ₹1.49 करोड़ (ब्याज ₹93.16 लाख प्लस ₹56.00 लाख भूमि की लागत के अंतर के रूप में) की अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ी है।

वर्तमान में, एनआईओएस किराये के परिसर से कार्य कर रहा है तथा 2014-15 एवं 2021-22 के बीच ₹52.79 लाख का किराया अदा किया है। वर्ष 2014-15 में किराया ₹3.96 लाख प्रति वर्ष था जो वर्ष 2021-22 में ₹12.57 लाख (अप्रैल 21 से दिसंबर 21) तक बढ़ा है।

आगे, चूंकि क्षेत्रीय केन्द्र जयपुर किराये के परिसर से कार्य कर रहा है इसलिए छात्रों को इसकी अधिकांश सुविधाएं अर्थात् मुक्त कौशल केन्द्र, पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष, स्मार्ट कक्षा, शिक्षार्थी संसाधन केन्द्र की स्थापना, सभी प्रयोगशाला सुविधाओं सहित मॉडल अध्ययन केन्द्र आदि प्रदान नहीं की गई जो किराये के परिसर में प्रचालनात्मक नहीं थीं।

---

[22] ₹60.68 लाख (₹2.56 करोड़ की मलू लागत में से शेष भुगतान घटा ₹1.96 करोड़) +12 *प्रतिशत प्रतिवर्ष* की दर पर ₹93.14 लाख ब्याज।

उत्तर में, एनआईओएस (जुलाई 2022)/मंत्रालय (फरवरी 2023) ने बताया कि अतिरिक्त लागत राशि को आगे और ब्याज लगाए जाने से बचने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अदा किया गया था। आगे, एनआईओएस द्वारा भूमि के अधिग्रहण तथा जुर्माना न लगाने एवं ब्याज को माफ करने के लिए भी आरएचबी को कई अनुरोध किए गए थे। हालांकि, एनआईओएस द्वारा वर्षों के प्रयासों, पत्राचारों तथा अनुनय के बावजूद आएचबी द्वारा अब तक कोई छूट प्रदान नहीं की गई थी।

एनआईओएस/मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि के आबंटन हेतु आएचबी ने ₹2.83 करोड़ की मांग की थी फिर भी वित्त समिति द्वारा केवल ₹2.62 करोड़ अनुमोदित किए गए थे। यद्यपि वित्त समिति ने ₹2.62 करोड़ अनुमोदित किया फिर भी आरएचबी को केवल ₹1.96 करोड़ ही अदा किए गए थे। इस प्रकार, कम भुगतान के कारण, एनआईओएस को भूमि का अधिकार प्राप्त करने के लिए ₹1.49 करोड़ (ब्याज ₹93.16 लाख जमा ₹56.00 लाख भूमि की लागत के अंतर के रूप में) की अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ी है। इसके साथ ही, एनआईओएस को भूमि भी आठ वर्षों के अंतराल के पश्चात (नवम्बर 2021) आबंटित की गई थी जबकि ₹1.96 करोड़ की राशि नवम्बर 2013 में अदा की गई थी। इसके अतिरिक्त, चूंकि आरएचबी द्वारा मांग किए गए ₹82.50 लाख का एक बार पट्टा किराया अदा नहीं किया गया था इसलिए एनआईओएस को वार्षिक रूप से पट्टा किराया अदा करना होगा जो प्रति वर्ष इसके आवर्ती व्ययों पर लागत लागत वृद्धि भी होगी।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

2.9 आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियों के कारण ₹3.78 लाख का गबन

यह सुनिश्चित करने कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर से नीलामी की गई कितनी सामग्री को उठाया गया है तथा राजस्व की वास्तविक प्राप्ति को सुरक्षित रखने में विफलता का परिणाम ₹3.78 लाख के गबन में हुआ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय (एयू) द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए उपयोग की गई उत्तर पुस्तिकाओं तथा वर्ष 2014-15 के लिए प्रवेश परीक्षा पुस्तिकाओं की नीलामी हेतु एक नीलामी समिति का गठन किया गया था (अप्रैल 2016)।

5 मई 2016 को नीलामी हेतु खुली बोली का आयोजन किया गया था जिसमें सबसे अधिक बोलीकर्ता ने पुस्तिकाओं हेतु ₹11.45 प्रति किलोग्राम तथा उत्तर-लिपि हेतु ₹24.52 प्रति

किलोग्राम की बोली लगाई थी जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया तथा कुलपति द्वारा अनुमोदित (09 मई 2016) किया गया था। नीलामी समिति के कार्यवृत्त के अनुसार, बोलीकर्ता को नीलाम की गई सामग्री का वजन करने के लिए विश्वविद्यालय के परिसर में इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीन लगाना अपेक्षित था। आगे, सामग्री का वजन तोल समिति की उपस्थिति में किया जाना था।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (मई 2018) कि कम्पनी ने एयू परिसर में कोई तौल मशीन नहीं लगाई थी तथा नीलामी की गई सामग्री का वजन दूर स्थान धर्मकांटा, बाई का बाग, प्रयागराज में किया गया था। इस प्रावधान को संपदा अधिकारी द्वारा बदला गया था तथा इसे नीलामी समिति की किसी सिफारिश तथा कुलपति के अनुमोदन के बिना किया गया था। लेखापरीक्षा उपलब्ध अभिलेखों से यह पता नहीं लगा सकी थी कि एयू परिसर से कितने ट्रकों ने नीलामी की गई सामग्री को उठाया था। हालांकि अभिलेखों के अवलोकन ने प्रकट किया कि ठेकेदार ने 24 मई 2016 से 01 अगस्त 2016 के दौरान उठाए गए 11 ट्रकों के संबंध में तुलाचौकी की प्राप्तियां प्रस्तुत की परंतु एयू प्राधिकारी द्वारा केवल सात ट्रकों के संबंध मे कुल ₹7.83 लाख की राशि को एयू के खाते में जमा कराया था। आगे, कई अनुस्मारकों (जनवरी/फरवरी 2023) के बावजूद एयू ने उत्तर नहीं दिया था कि क्या इस संबंध में एयू द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

उठाई गई सामग्री के विवरण **तालिका सं. 2.2** में वर्णित है।

तालिका सं. 2.2: उठाई गई सामग्री के विवरण

क्र.सं.	परिसर से सामग्री उठाने की तिथि	वाहन सं.	पुस्तिकाएं अथवा उत्तर-लिपि	भार (कि.ग्रा में)	नीलामी बोली के अनुसार दर (₹ में)	कुल राशि (₹ में)
1.	08.07.2016	UP73A1802	उत्तर स्क्रिप्ट	7045	24.52	172743
2.	11.07.2016	UP62T4420	पुस्तिकाएं	8820	11.45	100989
3.	11.07.2016	UP70DT9867	पुस्तिकाएं	7750	11.45	88738
4.	15.07.2016	UP73A1802	उत्तर स्क्रिप्ट	6705	24.52	164407
5.	21.07.2016	UP70AT4367	पुस्तिकाएं	8545	11.45	97840
6.	30.07.2016	UP62T3712	पुस्तिकाएं	7155	11.45	81925
7.	01.08.2016	UP70AT4367	उत्तर स्क्रिप्ट	3100	24.52	76012
			कुल (i):	**49120**		**782654**

क्र.सं.	परिसर से सामग्री उठाने की तिथि	वाहन सं.	पुस्तिकाएं अथवा उत्तर-लिपि	भार (कि.ग्रा में)	नीलामी बोली के अनुसार दर (₹ में)	कुल राशि (₹ में)
8.	26.05.2016	UP62T4420	ज्ञात नहीं	10720	11.45[23]	122744
9.	03.06.2016	UP70X9297	-वही-	6580		75341
10.	04.06.2016	UP70AT0553	-वही-	10370		118737
11.	05.06.2016	UP70X9297	-वही-	5365		61429
			कुल (ii):	**33035**		**378251**
			कुल योग (i + ii):	**82155**		**1160905**

इंगित किए जाने पर, एयू ने उपरोक्त तालिका में शामिल तथ्य एवं आंकड़ों की पुष्टि की (नवम्बर 2020)। उसने आगे बताया कि विश्वविद्यालय परिसर के बाहर सामग्री का वजन करना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं था।

इस प्रकार, संस्थान एयू परिसर से वास्तव में उठाई नीलामी की गई सामग्री के संबंध में राजस्व की प्राप्ति को सुरक्षित नहीं रख पाया था, जिसका परिणाम ₹3.78 लाख के गबन में हुआ। यह इसके आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियों को दर्शाता है।

मामला मंत्रालय को सूचित करने (जून 2019) के बाद जनवरी 2023 में अनुस्मारक जारी किया गया था; उनका उत्तर (मार्च 2023) प्रतीक्षित है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना

2.10 गलत मूल्य सूचकांक को अपनाने के कारण ठेकेदार को वित्तीय लाभ

आईआईटी पटना द्वारा कीमत वृद्धि दावों में गलत मूल्य सूचकांक को अपनाने तथा अंतिम बिलों के अनुमोदन का परिणाम ठेकेदार को ₹3.47 करोड़ के वित्तीय लाभ में हुआ।

अनुबंध 2008 की सामान्य शर्तों के कीमत वृद्धि खंड (10 सी, 10 सीए और 10 सीसी) में संशोधन के संबंध में कार्य महानिदेशक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा 31 दिसंबर 2008[24] को निर्गत एक कार्यालय ज्ञापन में अन्य बातों में साथ-साथ यह निर्धारित किया गया था कि *"यदि निविदा प्रस्तुतीकरण के बाद अनुसूची एफ में निर्दिष्ट सामग्रियों की कीमत कार्य के लिए अनुसूची एफ में दर्शाए गए आधार कीमत से अधिक बढ़/घट जाती है तो तब अनुबंध की राशि तदनुसार भिन्न होगी"* और *सीमेंट, स्टील सुदृढ़ीकरण और संरचनात्मक स्टील की कीमतों में बढ़ना/घटना मासिक आधार पर महानिदेशक सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्गत कीमत सूचकांकों द्वारा निर्धारित की जाएगी"* । इस

[23] न्यूनतम दर को माना क्योंकि पता नहीं था कि क्या उत्तर लिपि या पुस्तिका है।

[24] ओएम सं. डीजीडब्ल्यू/सीओएन/237ए दिनांक 31 दिसंबर 2008

संदर्भ में, सीपीडब्ल्यूडी की सतर्कता इकाई ने भी एक ज्ञापन (अगस्त 2016[25]) निर्गत किया, जिसमें विभिन्न समझौतों में वृद्धि खंड 10 सीए[26] और 10 सीसी[27] के अनुचित प्रचालन के खिलाफ सावधान करते हुए और अधिक भुगतान के मामले मे ठेकेदार से वसूली करने और सरकारी हित सुनिश्चित करने के लिए कीमत वृद्धि से जुड़े 2015-16 और आगे के दौरान पूरे कार्यों की समीक्षा पर जोर दिया।

आईआईटी पटना के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2019) ने प्रकट किया कि आईआईटी पटना ने दिसंबर 2011 के दौरान बिहटा, पटना में अपने परिसर के अंदर निष्पादित किए जाने वाले दो निर्माण कार्य सौंपे, जैसा **तालिका सं.2.3** में विवरण दिया गया।

तालिका सं.2.3: दिसंबर 2011 के दौरान आईआईटी पटना द्वारा सौंपे गए कार्य के विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी)	पीएमसी द्वारा नियुक्त कार्यकारी अभिकरण	अनुबंध लागत (₹ करोड़ में)	निर्धारित समापन तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	अंतिम भुगतान (₹ करोड़ मे)
I	आवासीय परिसर तथा सेवाएं **(कार्य-ए)**	सीपीडब्ल्यूडी[28]	मैं.एसपीसीएल[29]	184.50	09/14[30].	07/16[31].	194.12[32].
II	शैक्षणिक परिसर हेतु बिल्डिंगें/सुविधाएं/सेवाएं **(कार्य-बी)**	एनबीसीसी[33]	मैं.एसपीसीएल[34]	167.70	06/14[35],	12/15[36].	182.12[37]

25 सं. 24/ईई(v)/आईआर/2015-वीएस-1 दिनांक 05 अगस्त 2016

26 खण्ड 10सीए सीमेंट, इस्पात सुदृढीकरण (थर्मो मेक्निकली ट्रीटेड-टीएमटी बार), संरचनात्मक इस्पात (पाईप्स, फ्रेम्स, एंगल्स, स्टील बार आदि) तथा पीओएल (पेट्रोलियम तेल तथा स्नेहक) के संबंध मे मूल्य वद्धि के संदर्भ में है।

27 खण्ड 10सीसी इस सामग्री के संदर्भ में है जो खण्ड 10सीए तथा श्रम के अधीन शामिल नहीं है।

28 28 दिसंबर 2011 को आईआईटी पटना तथा सीपीडब्ल्यूडी के बीच एक एमओयू किया गया था।

29 सीपीडब्ल्यूडी ने कार्य ए के निष्पादन हेतु एक कार्यकारी अभिकरण (फरवरी 2013) मेसर्स शापूरजी पालोजी एण्ड कम्पनी लिमिटेड को नियुक्त किया।

30 प्रारम्भ तथा समापन तिथि क्रमशः 13 मार्च 2013 तथा 12 सितंबर 2014 (18 माह की अवधि) थी।

31 कार्य को सितबंर 2014 मे पूरा किया जाना था परंतु दिसंबर 2015 तक समय विस्तार प्रदान किया गया।

32 42वें चल लेखा (आरए) सह अंतिम बिल (मार्च 2018) के माध्यम से

33 28 दिसंबर 2011 को परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में आईआईटी पटना तथा एनबीसीसी के बीच एक अनुबंध किया गया था।

34 एनबीसीसी ने उसी कार्यकारी अभिकरण अर्थात् एसपीसीएल को कार्य सौंपा (दिसंबर 2012)

35 प्रारम्भ तथा समापन तिथि क्रमशः 20 दिसंबर 2012 तथा 20 जून 2014 थी (18 माह की अवधि)।

36 कार्य को जून 2014 तक पूरा किया गया था परंतु दिसंबर 2015 तक समय विस्तार प्रदान किया गया।

37 29वां चल रेखा (आरए) सह अंतिम बिल

आईआईटीपी तथा सीपीडब्ल्यूडी के बीच एमओयू के निबंधनों ने प्रावधान किया कि (i) सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अनुमानित सभी अपेक्षित निधियों को आईआईटीपी द्वारा अनुमोदित तथा उपलब्ध कराया जाएगा तथा संस्थान लागत वृद्धि के मामले के संशोधित संस्वीकृति प्रदान करेगा (एमओयू का पैरा 8.8 एवं 8.9)। आईआईटीपी तथा एनबीसीसी के बीच अनुबंध प्रावधान करता है कि एनबीसीसी अंतिम बिल तैयार करेगा तथा आईआईटीपी द्वारा इसके अनुमोदन एवं भुगतान की सिफारिश करेगा (अनुबंध का पैरा VI.5)।

(I) कार्य-ए

कार्य ए के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा एसपीसीएल को खण्ड 10 सीए के अधीन अदा किए गए कीमत वृद्धि बिलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा टीएमटी बार की कीमतों में कटौती के कारण खण्ड 10 सीए के अधीन ठेकेदार के बिल से ₹1.19 करोड़ की वसूली की थी (अगस्त 2019) जबकि वास्तविक वसूली राशि निम्न कारणों से ₹1.57 करोड़ होनी चाहिए थीः

(ए) सीपीडब्ल्यूडी ने डीजी (डब्ल्यू) द्वारा ओएम सं.डीजी/10सीए/25 दिनांक 08 मई 2015 के माध्यम से जारी सूचकांकों के संबंध में वसूली परिकलित की थी जो केवल सेल इस्पात की दरों के लिए लागू थे। तथापि सेल से अलग स्रोतों से इस्पात का भी कार्य में उपयोग किया गया था जिसके लिए विभिन्न कीमत सूचकांक लागू थे।

(बी) साइट सामग्री खाता (एमएएस) के अभिलेख के अनुसार, 6,171 एमटी टीएमटी बार की कुल प्रमात्रा को साइट पर लाया गया था जिसमें से केवल 4,504 एमटी टीएमटी सेल से था तथा शेष अन्य स्रोतों[38] से थी।

(सी) कार्य में लगी कुल टीएमटी बार 5,917 एमटी थी जिसमें से 96 एमटी को बाजार दर पर लगाया था। तथापि, कीमत वृद्धि का परिकलन किया गया था तो 5,917 एमटी की पूर्ण प्रमात्रा का दावा किया गया था जिसने दर्शाया कि कीमत वृद्धि को बाजार दर प्रमात्रा पर भी परिकलित किया गया था।

(डी) लेखापरीक्षा ने उपयोग किए गए 5,821 एमटी की अनुबंध दर को ध्यान में रखते हुए ₹1.57 करोड़ की वसूली परिकलित की (कार्य में उपयोग किए गए 5,917 एमटी - 96 एमटी प्रमात्रा की बाजार दर पर)। इस 5,821 एमटी में सेल (4,504 एमटी) के साथ साथ अन्य स्रोतों से खरीदा गया टीएमटी (1,317 एमटी) शामिल था।

---

[38] टाटा, जेएमआर एव अन्य।

(ई) यह पाया गया था कि अप्रैल 2013 से अप्रैल 2015 के दौरान टीएमटी बार के मूल्यों में कमी के बावजूद सेल से टीएमटी की कीमत सूचकांक अन्य स्त्रोतों से टीएमटी से अधिक रहा। सेल कीमत सूचकांक (5,917.39 एमटी के संबंध में) पर सीपीडब्ल्यूडी द्वारा वसूली हेतु परिकलित राशि (₹1.19 करोड़) लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित राशि (₹1.57 करोड़) से कम होने का कारण, लेखापरीक्षा ने कीमत सूचकांक में अन्य स्रोतों को भी ध्यान दिया (सेल 4,504 एमटी व अन्य स्रोतों 1,317 एमटी) है।

(एफ) इस प्रकार, उपयोग किए गए टीएमटी बार की समग्र प्रमात्रा (5,917 एमटी) को सेल की तुलना में सीपीडब्ल्यूडी ने ₹0.38 करोड़ (₹1.57 करोड़ - ₹1.19 करोड़) की कम वसूली की जिसका परिणाम ठेकेदार को वित्तीय लाभ में हुआ।

सीपीडब्ल्यूडी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2020 तथा फरवरी 2020) कि साइट (i) (एमएएस) लेखा सेल इस्पात के उपयोग को पुष्टि करता है, प्रमाण जैसे कि इनवॉइस एवं एमएएस की प्रति को संदर्भ के लिए संलग्न किया गया है तथा (ii) यदि इस्पात की बाजार दर प्रमात्रा को कीमत वृद्धि परिकलन से हटा दिया जाता है तो इसका परिणाम आगे अतिरिक्त भुगतान में होगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि

(i) एमएएस लेखा भी पुष्टि करता है कि सेल इस्पात की अनुपलब्धता के कारण सेल से अलग भी इस्पात की खरीद की गई थी तथा उपयोग किया गया था। उत्तर के साथ संलग्न इनवाईस कार्य में उपयोग की गई प्रमात्रा (5,917 एमटी) से काफी कम प्रमात्रा (2,820 एमटी) के संबंध में थी। लेखापरीक्षा ने एमएएस लेखे को ध्यान में रखते हुए कीमत वृद्धि का परिकलन किया यह तत्कालीन कार्यकारी अभियंता द्वारा प्रमाणित था;

(ii) सीपीडब्ल्यूडी का दूसरा तर्क भी तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बाजार दर पर खरीदे गए टीएमटी का कीमत वृद्धि परिकलनों में विचार नहीं किया जाना चाहिए; तथा दोनों सेल के साथ साथ अन्य स्रोतों से खरीदे गए टीएमटी के संबंध में लागू कीमतबद्ध सूचकांक के परिकलन में उपयोग किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, इस तथ्य कि लेखापरीक्षा का परिकलन बाजार दर प्रमात्रा को ध्यान में रखे बिना किया गया है के बावजूद यह अभी भी अतिरिक्त भुगतान के बजाय अतिरिक्त वसूली को दर्शाया है।

(II) कार्य-बी

एनबीसीसी द्वारा कार्य बी के संबंध में खण्ड 10 सीए के अधीन एसपीसीएल को अदा किए गए मूल्य वृद्धि बिलों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि सीमेंट, टीएमटी तथा संरचनात्मक इस्पात की कीमत में वृद्धि/गिरावट के कारण एमबीसीसी द्वारा खण्ड 10 सीए के अधीन ठेकेदार के बिल से ₹47.47 लाख की वसूली की गई थी (मई 2018)। तथापि, नीचे दिए गए कारणों से वास्तविक वसूली ₹3.56 करोड़ होनी चाहिए थी:

एनबीसीसी ने परिपत्र डीजीडब्ल्यू/सीओएन/199 दिनांक 02 सितम्बर 2004 के अनुसार खण्ड 10 सीए के लिए कीमत सूचकांकों के आधार पर वसूली की राशि को परिकलित किया जो सीपीडब्ल्यूडी द्वारा संशोधित खण्ड 10 सीए, जिसे सीपीडब्ल्यूडी द्वारा ओएम सं. डीजीडब्ल्यू/सीओएन/237ए के माध्यम से 31 दिसंबर 2008 से प्रचालन में लाया गया था, के आधार पर मासिक आधार पर जारी लागू कीमत सूचकांकों से अलग थे।

इसका परिणाम एनबीसीसी को ₹3.09 करोड़ (₹3.56 करोड़ - ₹0.47 करोड़) की कम वसूली में हुआ जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को वित्तीय लाभ हुआ।

आईआईटी पटना ने मामले पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं की बल्कि इस परियोजना हेतु पीएमसी (जुलाई 2019) की टिप्पणियां प्रेषित की (सितंबर 2019) अर्थात् जिसमें एनबीसीसी ने उल्लेख किया था कि कीमत सूचकांकों पर डीजी, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा शीर्ष "10 सीसी" के अधीन जारी ओएम में उल्लेखित अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के अनुसार माना गया था जो नोट माध्यम से (ii) बताता है कि सीमेंट एवं इस्पात हेतु सूचकांक पर परिपत्र डीजीडब्ल्यू/सीओएन/199 दिनांक 02 सितम्बर 2004 के अनुसार खण्ड 10 सीए के प्रचालन हेतु विचार किया जा सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीमेंट तथा इस्पात हेतु कीमत सूचकांक, जैसा परिपत्र डीजीडब्ल्यू/सीओएन/199 दिनांक 02 सितंबर 2004 में उल्लेखित है, कार्य बी के लिए लागू नहीं थे क्योंकि एनबीसीसी तथा एसपीसीएल के बीच डीजी (डब्ल्यू) सीपीडब्ल्यूडी द्वारा 31 दिसंबर 2008 से संशोधित खण्ड 10 सीए को प्रचालन में लाए जाने के पश्चात् अनुबंध हस्ताक्षर किया गया था (दिसंबर 2011)।

तथापि, आईआईटी पटना ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि एनबीसीसी को देय ₹2.20 करोड़ की राशि के भुगतान को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के बाद रोक लिया गया था।

इस प्रकार, कार्य-ए तथा कार्य-बी दोनों में आईआईटी, पटना क्रमशः सीपीडब्ल्यूडी तथा एनबीसीसी से प्राप्त ठेकेदार के अंतिम बिल को अनुमोदन प्रदान करते समय खण्ड 10 सीए के अनुसार कीमत वृद्धि बिलों की यथार्थता की जांच नहीं की थी जिसका परिणाम ठेकेदार को ₹3.47 करोड़ (कार्य-ए: ₹0.38 करोड़ + कार्य-बी: ₹3.09 करोड़) की सीमा तक वित्तीय लाभ में हुआ।

मंत्रालय ने सूचित किया (मई 2023) कि आईआईटी पटना की लेखापरीक्षा आपत्तियों के कारण भुगतान को रोक दिया है तथा इसी के लिए ठेकेदार दबाव डाल रहे हैं परंतु मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा मुद्दों पर मौन है।

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), भोपाल

2.11 भोपाल विकास प्राधिकरण को जमा कार्य के लिए ₹1.45 करोड़ का अधिक अग्रिम भुगतान ₹2.38 करोड़ के समग्र अवरोधन का कारण बना

एनआईटीटीटीआर, भोपाल ने प्रस्तावित निर्माणों की संभाव्यता को सुनिश्चित किए बिना बीडीए को निर्माण कार्य सौंपा तथा बिना कोई अनुबंध/एमओयू किए अग्रिम के रूप में अनुमानित लागत के 85 *प्रतिशत* से अधिक जारी किया जो 11 वर्षों से अधिक के लिए निधियों के अवरोधन का कारण बना।

सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियमपुस्तिका 2007 के नियम 3.4(2) के अनुसार, स्वायत्त निकायों, जो पूर्ण रूप से सरकारी अनुदानों से वित्तपोषित है तथा जिनसे जमा की प्राप्ति आश्वासित है, के जमा निर्माण कार्य के मामले में कार्य की अनुमानित लागत के 33⅓ *प्रतिशत* अग्रिम के रूप में जमा करवाया जा सकता है। इसके पश्चात् किए गए व्यय के कार्य की प्रगति पर मासिक लेखाओं के प्रतिपादन के साथ-साथ मासिक बिलों के माध्यम से प्रतिपूर्ति करवाई जा सकती है। प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त 33⅓ *प्रतिशत* जमा को अनुमानित व्यय के अंतिम भाग के प्रति समायोजन हेतु रखा जाना चाहिए।

एनआईटीटीटीआर भोपाल (संस्थान) ने जमा कार्य आधार पर मौजूदा ब्लॉक-ए एवं ब्लॉक-ई[39] तथा कम्प्यूटर केन्द्र के ऊपर एक परीक्षा हॉल के उर्ध्वाधर विस्तार के माध्यम से अपनी विस्तारित शैक्षिक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त फ्लोर/स्थान का निर्माण, सृजन करने की

[39] ऊर्ध्वाधर विस्तार का अर्थ मौजूदा ब्लॉक-ए में द्वितीय तल (प्रशासनिक प्रायोजन हेतु उपयोग किया गया) तथा मौजूदा ब्लॉक-ई में द्वितीय तल (शैक्षणिक गतिविधियों हेतु उपयोग किया गया) का निर्माण है।

योजना की। इन निर्माण कार्यों के लिए संस्थान ने भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) को निर्माण, कार्य स्थल, स्थान की संभाव्यता का पता लगाने तथा विस्तृत अनुमान सहित योजनाएं एवं आरेख प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (दिसंबर 2011)। बीडीए ने ऊपरोकथित निर्माण कार्य हेतु विस्तृत अनुमान (₹278 लाख) प्रस्तुत किया (जनवरी 2012) जिसके लिए एनआईटीटीटीआर ने अपना प्रशासनिक अनुमोदन (जनवरी 2012) प्रदान किया। ऐसा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुए संस्थान निर्माण के निबंधनों एवं शर्तों का उल्लेख किया परंतु बीडीए के साथ कोई औपचारिक अनुबंध नहीं किया गया था। इसके पश्चात बीडीए ने एनआईटीटीटीआर द्वारा कार्य सौंपने के पत्र में उल्लेखित शर्तों/दिशानिर्देशों को स्वीकार किया तथा कार्य प्रारम्भ करने के लिए 100 *प्रतिशत* निधियॉ जारी करने का अनुरोध किया जिसके सापेक्ष निदेशक एनआईटीटीटीआर ने जनवरी-फरवरी 2012 में ₹238 लाख[40] (अनुमानित लागत का 85.61 *प्रतिशत*) जारी किए।

उपरोक्त संदर्भ में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

(ए) ₹238 लाख के अग्रिम को कोई संभाव्यता रिपोर्ट प्राप्त किए/अथवा बीडीए के साथ औपचारिक अनुबंध/एमओयू किए बिना केवल बीडीए के सामान्य अनुरोध पर संस्थान द्वारा बीडीए को जारी किया गया था।

(बी) एनआईटीटीटीआर-भोपाल ने विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु वास्तु सलाहकार को नियुक्त किया (मार्च 2012) जिनको उपरोक्त सभी निर्माण कार्यों के लिए संरचनात्मक आरेख प्रस्तुत करना था। कथित सलाहकार ने 06 अक्टूबर 2012 तथा 17 अक्टूबर 2012 को क्रमश: ए-ब्लॉक तथा ई-ब्लॉक के विस्तार निर्माण कार्यों के संबंध में संरचनात्मक आरेख प्रस्तुत किये थे।

(सी) यह देखा गया था कि बीडीए, भोपाल ने 03 मई 2012 को अर्थात् कथित सलाहकार द्वारा ब्लॉक-ए के संबंध में संरचनात्मक आरेख प्रस्तुत करने से पहले ही ब्लॉक-ए के संबंध में विस्तार कार्य शुरू किया था।

(डी) बाद में, अग्रिम जारी करने से नौ (09) महीनों के बीत जाने के पश्चात् ई-ब्लॉक तथा कम्प्यूटर केन्द्र के प्रस्तावित विस्तारों के निर्माण स्थान पर (i) कार्यकारी

---

[40] (i) मौजूदा ब्लॉक-ए.के टॉप फ्लोर का निर्माण- ₹106 लाख, (ii) मौजूदा ब्लॉक-ई के विस्तार (टॉप फ्लोर) का निर्माण- ₹98 लाख तथा (iii) मौजूदा कम्प्यूटर केन्द्र के टॉप फ्लोर पर परीक्षा हाल का निर्माण- ₹74 लाख

अभियन्ता, बीडीए, (ii) प्रो.आई/सी सिविल रखरखाव, एनआईटीटीटीआर तथा (iii) एनआईटीटीटीआर द्वारा नियुक्त वास्तु सलाहकार से बने एक दल द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण किया गया था (19 अक्टूबर 2012)। कार्य स्थल के निरीक्षण के आधार पर बीडीए ने संस्थान (19 अक्टूबर 2012) को अवगत किया कि '*निरीक्षण अधीन बिल्डिंगों, जब निर्माण किया गया था (प्रारम्भ में), आगे के विस्तारों हेतु उपयुक्त संरचनात्मक प्रावधान नहीं छोड़े गए थे जिससे पता चलता है कि कार्य में निहित पेचीदगियों के कारण प्रस्तावित निर्माण कार्यों के निष्पादन की गैर-संभाव्यता है तथा इस प्रकार सौंपे गए कार्य को गैर-लाभकारी माना गया है*'। इससे इस तथ्य को स्थापित किया कि बीडीए भोपाल ने उपरिकथित निर्माण कार्य की संभाव्यता को सुनिश्चित नहीं किया था।

(ई) इसी बीच, बीडीए ने मौजूदा ब्लॉक-ई के निकट एक निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जो संस्थान द्वारा सौंपे गए मूल कार्य (जनवरी 2012) में नहीं था। यह कार्य जाहिर तौर पर प्रारम्भ किया गया था क्योंकि मौजूदा ब्लॉक-ई का ऊर्ध्वाधर विस्तार इसमें शामिल जटिलताओं के कारण संभव नहीं था। इस संदर्भ में संस्थान ने सूचित (मार्च 2023) किया कि उपलब्ध अभिलेखों से यह प्रकट होता है कि बीडीए ने संस्थान के अधिकारियों के साथ मौखिक संचार के आधार पर ब्लॉक-ई के निकट निर्माण कार्य शुरू किया था।

(एफ) विस्तार बिल्डिंग के निर्माण कार्य (मौजूदा ब्लॉक-ई के निकट), जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, के संबंध में अभिलेखों ने दर्शाया कि (एनआईटीटीटीआर के वास्तु सलाहकार ने गुणवत्ता एवं कारीगिरी के संबंध में कुछ मुद्दे (अप्रैल 2015) उठाए थे तथा संस्थान को सुझाव दिया कि कार्य के अगले चरण पर बढ़ने से पहले ठेकेदार द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता एवं सुधार कार्य को पूरा किया जाना चाहिए तथा संरचना की मजबूती की जांच करवाई जानी चाहिए।

(जी) विस्तार निर्माण कार्य ब्लॉक-ए तथा ब्लॉक-ई के निकट निर्माण कार्य को बीडीए द्वारा 2014 से छोड़ दिया गया है जैसा नीचे ***चित्र सं. 2.1*** एवं ***2.2*** से देखा जा सकता है:

मार्च 2023 तक बीडीए भोपाल द्वारा छोड़े गए अर्पूण निर्माण कार्यों की स्थिति को दर्शाते चित्र

चित्र 2.1: मौजूदा ब्लॉक-ए के द्वितीय तल पर अपूर्ण संरचना

चित्र 2.2: ब्लॉक-ई के निकट अपूर्ण संरचना

संस्थान ने स्वीकार किया (जुलाई/दिसम्बर 2022) कि कार्य निर्माण के अपूर्ण चरण पर है तथा उन्होंने बीडीए से कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है। उन्होंने यह भी बताया कि संस्थान लगातार बीडीए के साथ मामले को उठा रहा है। हाल ही में, संस्थान ने बीडीए को शेष कार्य हेतु विस्तृत अनुमान से अलग जमा अग्रिम के संबंध में बीडीए के पास उपलब्ध बकाया राशि का समायोजन करने के पश्चात कार्य-वार निधि उपयोग प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (मार्च 2023)।

संस्थान का उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि करता है। तथ्य यह है कि एनआईटीटीटीआर, भोपाल नें लागू सीपीडब्ल्यूडी मानदण्डों का अनुपालन नहीं किया था तथा ₹92.66 लाख की स्वीकार्यता के प्रति बीडीए को ₹2.38 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया जिसका परिणाम ₹1.45 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ। आगे, संस्थान ने न केवल प्रस्तावित निर्माण स्थान की संभाव्यता को सुनिश्चित करने से पूर्व बीडीए को निर्माण कार्य सौंपा बल्कि वास्तु सलाहकार से संरचनात्मक डिजाइन की प्राप्ति के बिना ही बीडीए को कार्य प्रारम्भ करने को अनुमत किया। प्रस्तावित निर्माण कार्यों के संदर्भ में बीडीए के साथ किसी भी औपचारिक अनुबंध/एमओयू के अभाव में संस्थान ने अर्पूण/छोड़े गए तथा गैर-निष्पादित निर्माण कार्यों के संबंध में बीडीए के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की थी जो 11 वर्षों से अधिक के लिए ₹2.38 करोड़ के समग्र अवरोधन का कारण बना।

मामला अगस्त 2022 में मंत्रालय को सूचित किया गया था। उत्तर मार्च 2023 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय III: विदेश मंत्रालय

नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर

3.1 दरों को गलत प्रकार से अपनाने का परिणाम निर्माण की अतिरिक्त लागत में हुआ

नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर ने अनुमानित लागत का परिकलन करने में गलत दरों को अपनाया तथा इसका परिणाम ₹4.89 करोड़ की अतिरिक्त लागत में हुआ जिसमें से ₹3.67 करोड़ पहले ही ठेकेदार को अदा कर दिए गए थे।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 129 (iv) प्रावधान करता है कि अनुमानों, जिसमें विभिन्न मदों की विस्तृत विशिष्टताएं तथा प्रमात्राएं शामिल हो, को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या अन्य लोक निर्माण संगठनों द्वारा अनुरक्षित दरों की अनुसूची के आधार तैयार किया जाना चाहिए।

नालंदा विश्वविद्यालय ने गैर-आवासीय इमारत के निर्माण का कार्य ₹435.07 करोड़ की लागत पर मैसर्स एनसीसी लिमिटेड को सौंपा (जनवरी 2017)। सौंपी गई कीमत कुल ₹485.19 करोड़ की निविदा में डाली गई अनुमानित लागत (ईसीपीटी) से 10.33 *प्रतिशत* कम थी। उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में शामिल सड़क कार्य की सौंपी गई कीमत ₹30.09 करोड़ थी, जिसकी अनुमानित लागत ₹33.56 करोड़ थी। ईसीपीटी को सड़क निर्माण कार्य हेतु सड़क निर्माण विभाग, बिहार की दरों की अनुसूची (एसओआर) 2016 के आधार पर तैयार किया जाना था। कार्य शुरू करने की निर्धारित तिथि 1 मार्च 2017 थी तथा कार्य के समापन हेतु अपेक्षित समय 36 महीने था। प्रमाणित 52$^{वें}$ रनिंग एकाउंट (आरए) बिल दिनांक 7 जनवरी 2022 के अनुसार 87.59 *प्रतिशत* कार्य समाप्त था तथा ₹435.21 करोड़ (मूल्य संवर्धन, जीएसटी आदि को छोड़कर) का भुगतान किया गया था। अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकट की:

(i) एसओआर ने एसओआर से अधिक श्रम उपकर (एक *प्रतिशत* पर) के प्रति केवल सवंर्धन को अनुमत किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्णय, जो निविदा में डाली गई लागत पर आधारित था, ने एसओआर से अधिक अतिरिक्त आठ *प्रतिशत* का प्रावधान किया।

(ii) सामग्रियों के लदान/उतराई हेतु एसओरआर में ठेकेदार का लाभ (सीपी) तथा उपरिव्यय (ओएच) शामिल था। तथापि, विश्वविद्यालय ने ईसीपीटी तैयार करते समय एक बार

फिर से सामग्रियों के लदान/उतराई हेतु एसओआर में सीपी एवं ओएच को जोड़ा था। इसने अनुमानित लागत को बढ़ाया।

(iii) टिप्पर के किराया प्रभारों के संबंध में एसओआर ₹783/- प्रति घण्टा था। तथापि, विश्वविद्यालय ने ईसीपीटी तैयार करते समय टिप्पर के किराया प्रभारों को ₹1748.00 प्रति घण्टा लिया था।

(iv) एसओआर में सभी कर एवं रॉयल्टी शामिल थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ईसीपीटी में सीमेंट, इस्पात आदि पर बिहार प्रवेश कर शामिल किया। आगे यह पाया गया था कि सीमेंट, इस्पात आदि का केवल बिहार में पटना से ही प्रापण किया गया था इसलिए बिहार प्रवेश कर इस सड़क निर्माण कार्य हेतु देय नहीं होना चाहिए था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर विश्वविद्यालय की टिप्पणी को प्रेषित (मार्च 2021) किया तथा विश्वविद्यालय ने मंत्रालय को अपने उत्तर में बताया कि.

(i) जब निविदा की मांग की गई थी, निर्माण कार्य अनुबंध कर लागू था तथा तद्नुसार आठ *प्रतिशत* की दर पर कार्य अनुबंध कर संघटक को ईसीपीटी में शामिल किया गया था।

(ii) दरों को एसओआर के संबंधित प्रावधानों से प्राप्त किया गया था तथा सीपी एवं ओएच को दोबारा शामिल नहीं किया गया है।

(iii) 20 एमटी टिप्पर जिसका वर्तमान निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा सामग्री स्थानांतरण के लिए सबसे अधिक उपयोग किया गया है, हेतु कोई संदर्भ दर उपलब्ध नहीं था तथा टिप्पर प्रभारों को ₹1748.00 प्रति घण्टा पर लिया गया था।

(iv) उस समय परिदृश्य के दौरान बिहार प्रवेश कर पर विचार किया गया था।

ऊपर दिए गए उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि:

(i) ईसीपीटी में आठ *प्रतिशत* को शामिल करना एसओआर विशिष्टताओं के अनुसार नहीं था। कथित एसओआर ने ईसीपीटी में एसओआर से अधिक केवल एक *प्रतिशत* श्रम उपकर को शामिल करना अनुमत किया।

(ii) सामग्रियों के लदान/उतराई हेतु एसओआर में पहले से ही सीपी एवं ओएस शामिल थे तथा सीपी एवं ओएच को फिर से ईसीपीटी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था।

(iii) टिप्पर की दर, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा ₹1748/घण्टा के रूप में लिया गया था, केवल विभागीय उपयोग के लिए थी तथा यह संबंधित मदों के एसओआर हेतु लागू नहीं थी जैसा ईसीपीटी में विवरण दिया गया है। आगे, विश्वविद्यालय ने सामग्री के लदान/उतराई हेतु 10 टन टिप्पर की दर को लिया इसलिए 10 टन की सामग्री की ढुलाई के संबंध में एसओआर अर्थात् ₹783/- प्रति घण्टा लिया जाना चाहिए था।

(iv) सामग्री की खरीद बिहार (पटना) के अंदर ही की गई थी तथा लागू वेट के सिवाय सभी करों को एसओआर में शामिल किया गया था इसलिए बिहार प्रवेश कर को नहीं लिया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, ईसीपीटी का परिकलन करते समय दरों को गलत प्रकार से अपनाने का परिणाम उपरोक्त सड़क हेतु ₹4.89 करोड़ की अनुमानित अतिरिक्त देयता में हुआ जिसमें से ₹3.67 करोड़ 52$^{वें}$ आरए बिल दिनांक 7 जनवरी 2022 तक ठेकेदार को जारी किए गए थे।

अध्याय IV: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर

4.1 एमएडीसी, नागपुर को ₹68.09 लाख राशि के जल प्रभारों का अधिक भुगतान

आवासीय मकानों तथा छात्रावास हेतु घरेलू-आवासीय श्रेणी के जल कनेक्शन प्राप्त न करने का परिणाम एमएडीसी, नागपुर को कुल ₹68.09 लाख के जल प्रभारों के अधिक भुगतान में हुआ।

महाराष्ट्र विमान पत्तन विकास कम्पनी लिमिटेड, नागपुर (एमएडीसी) विभिन्न उपभोक्ताओं को लागू टैरिफ दरों के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नागपुर जो मिहान में स्थित है, को जल आपूर्ति करता है। उपभोक्ताओं को पेय जल तथा न पीने योग्य (नागपुर का मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल हब हवाई अड्डा) जल के उपयोग के आधार पर घरेलू, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। अक्तूबर 2019 से नवम्बर 2021 के बीच की अवधि के दौरान घरेलू उपयोग हेतु पेय जल पर लागू टैरिफ दरें ₹11.00 से ₹14.52 प्रति हजार लिटर के बीच थी तथा वाणिज्यिक उपयोग हेतु ₹30.00 से ₹39.60 प्रति हजार लीटर के बीच थी।

एम्स, नागपुर ने दो अलग जल कनेक्शनों के लिए, अर्थात् एक अस्पताल की बिल्डिंग, शैक्षणिक ब्लॉक आदि हेतु तथा अन्य छात्रावास सहित आवासीय क्षेत्र हेतु, आवेदन किया था (जून 2019)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएडीसी ने दोनों जल कनेक्शनों को वाणिज्यिक श्रेणी के अधीन आवंटित किया तथा वह दोनों कनेक्शनों पर वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लागू दर पर टैरिफ दर प्रभारित कर रहा था। एम्स, नागपुर अक्टूबर 2019 से नवम्बर 2021 की अवधि के दौरान आवासीय परिसरों पर वाणिज्यिक दर पर जल प्रभार अदा कर रहा था जिसका परिणाम कुल ₹68.09 लाख के जल प्रभारों के अधिक भुगतान में हुआ।

मंत्रालय ने एम्स, नागपुर द्वारा इसको दिए गए उत्तर को लेखापरीक्षा को प्रेषित किया (दिसंबर 2022) तथा एम्स, नागपुर ने मंत्रालय को अपने उत्तर में बताया कि आवासीय क्षेत्र को जल कनेक्शन पर एमएडीसी द्वारा लिया गया निर्णय मनमाना तथा गलत है तथा मामले का समाधान करने हेतु महाराष्ट्र सरकार के साथ मामले को उठाने के लिए उसने मंत्रालय को अनुरोध किया।

महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (एमजीआईएमएस)/कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, सेवाग्राम, वर्धा

4.2 वर्धा में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के लिए सृजित अतिरिक्त सुविधा के निष्क्रिय होने के कारण ₹3.00 करोड़ का निष्फल व्यय

एमजीआईएमएस, वर्धा में बच्चों के लिए स्थापित 100 बेड के डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (डीईआईसी) के लिए अतिरिक्त सुविधा अपेक्षित स्टाफ की गैर-नियुक्ति के कारण पिछले तीन वर्ष से निष्क्रिय रही जिसका परिणाम योजना उद्देश्यों की गैर-उपलब्धि के अतिरिक्त अलावा ₹3.00 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ।

महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, (एनएचएम) के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (एमजीआईएमएस)/कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी (केएचएस), सेवाग्राम, वर्धा में एमसीएच विंग के द्वित्तीय तल पर 100 बेड के डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (डीईआईसी) में अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (मार्च 2017)। डीईआईसी का उद्देश्य प्रशासनिक रुप से छः वर्ष की आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच के दौरान स्वास्थ्य स्थिति का पता चलाने पर बच्चों का रेफरल सहायता प्रदान करना है। डीईआईसी हेतु व्यापक लक्ष्य एवं सेवाओं में जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों की जांच में चयनित स्वास्थ्य स्थिति की 4डी[1] शीघ्र पहचान, समग्र मूल्यांकन, जांच, निदान, अन्त:क्षेप, रेफरल, रोकथाम तथा मनो-सामाजिक अन्त:क्षेप शामिल हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न कार्यों जैसे कि सिविल कार्य,इलेक्ट्रिकल कार्य,फर्नीचर,सौर ऊर्जा पैक, 26 यात्री की लिफ्ट, एचवीए प्रणाली, अग्निशमन कार्य, उपकरण आदि के लिए सोसायटी को ₹ तीन करोड़ के अनुदान की संस्वीकृति प्रदान की।

कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी (केएचएस), सेवाग्राम के द्वित्तीय तल में डीईआईसी भवन के निर्माण हेतु कार्य आदेश 26 फरवरी 2018 को 11 महीने के अंदर पूरा करने की निर्धारित अवधि सहित जारी किया गया। कार्य 1 फरवरी 2019 को पूरा किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीईआईसी भवन का निर्माण कार्य 01 फरवरी 2019 को पूरा हुआ तथा ₹74.09 लाख की राशि के उपकरण मार्च 2019 तक लगाए गए थे। यद्यपि भवन एवं उपकरण तैयार थे फिर भी डीईआईसी की कार्यपद्धति जैसे कि चिकित्सा सेवाएं, दंत चिकित्सा सेवाएं, व्यावसायिक चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सेवाएं, संज्ञानात्मक सेवाएं,

[1] जन्म दोष, बीमारियां, कमियां, विकास में देरी एवं विकलांगता।

श्रवण विज्ञान, दृष्टि सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रयोशाला सेवाएं पोषण सेवाएं, मनो-सामाजिक सेवाएं एवं सेवा समन्वयन हेतु अपेक्षित स्टाफ सिवाय डीईआईसी प्रबंधक की नियुक्ति नहीं की गई थी। पूर्वकथित स्टाफ की नियुक्ति के अभाव में डीईआईसी ने कार्यकरण शुरू नहीं किया। (दिसम्बर 2022)। आगे, ₹74.09 लाख की कीमत के खरीदे गए उपकरण (मार्च 2019) पर तीन वर्ष की वांरटी अवधि भी कालातीत हो चुकी थी।

इस प्रकार, उपकरण के प्रापण की गई लागत सहित प्रायोजना पर किया गया ₹तीन करोड़ का संपूर्ण व्यय पिछले तीन वर्षों से निष्फल हो गया है। इसके अतिरिक्त, छः वर्ष की आयु वर्ग तक के बच्चों में प्राथमिक तौर पर 4डी की शीघ्र जांच तथा स्वास्थ्य जांच के दौरान स्वास्थ्य स्थिति का पता चलने पर बच्चों को रेफरल साहायता प्रदान करने के लिए प्रारम्भिक अंत:क्षेप का मुख्य उद्देश्य भी आज तक अपूर्ण रहा था।

केएचएस के उत्तर को अग्रेषित करते समय मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2022) कि डीन, एमजीआईएमएस, सेवाग्राम ने डीईआईसी क्रियाशील करने के लिए जनशक्ति की संस्वीकृति के संबंध में इस मामले को मिशन निदेशक, एनएचएस मुम्बई के साथ समय-समय पर उठाया है। केएचएस ने आगे सूचित किया (दिसम्बर 2022) कि प्रबंधक के अलावा एक एमबीबीएस डॉक्टर को भी संविदा आधार पर नियुक्त किया गया (अगस्त 2022) शेष जनशक्ति के लिए एनएचएस-जिला एकीकृत स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सोसायटी ने संविदा आधार पर आवेदनों को आमंत्रित किया (अगस्त 2022) तथा आवेदनों की संवीक्षा करने हेतु एक समिति का गठन किया।

राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे

4.3 एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एनएआरआई को ₹1.53 करोड़ की सीमा तक ब्याज की गैर वापसी

राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे ने जैव-सुरक्षा प्रयोगशाला (बीएसएल-3) के निर्माण हेतु फरवरी 2006 में ₹2.70 करोड़ की लागत पर एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ जमा कार्य का एक अनुबंध निष्पादित किया। कार्य को अक्तूबर 2010 में पूरा किया गया था; हालांकि अंतिम बिल का कार्य के समापन के 12 वर्षों से अधिक के पश्चात भी निपटान नहीं किया गया है। एचएससीसी से व्यय का अंतिम विवरण प्राप्त न करने का परिणाम ₹1.53 करोड़ की सीमा तक अर्जित ब्याज की वापसी में विलम्ब में हुआ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) ने राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान (एनएआरआई) पुणे, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

(आईसीएमआर) द्वारा चलाया जा रहा एक अनुसंधान, में एक स्तर-3 जैव-सुरक्षा प्रयोगशाला (बीएसएल-3) की स्थापना करने हेतु ₹196 लाख (मार्च 2003) की राशि संस्वीकृत की। ₹1.40 करोड़ की सहायता अनुदान एनएसीओ द्वारा आईसीएमआर नई दिल्ली को जारी की गई थी (अप्रैल 2006)। संस्वीकृति को एनएसीओ द्वारा द्वारा ₹2.70 करोड़ (मार्च 2009) तक संशोधित किया गया था।

फरवरी 2006 में, एनएआरआई, पुणे ने एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड[2] के साथ पुणे में अपने परिवार में बीएसएल-3 की स्थापना करने के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने हेतु अंतिम परियोजना लागत पर आठ *प्रतिशत* के परामर्शी शुल्क के साथ एक अनुबंध निष्पादन किया। अनुबंध के अनुसार, कार्य को जमा कार्य आधार पर निष्पादित किया जाना था जिसके लिए देय निधियों अग्रिम में एचएससीसी के पास जमा कराया जाना था। इसके अतिरिक्त, अनुधात्मक प्रावधानों ने अनुबद्ध किया कि परियोजना हेतु जारी राशि को एचएससीसी द्वारा एक राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक में खोले गए एक पृथक बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए। उस पर अर्जित ब्याज को एचएससीसी द्वारा एनएआरआई को क्रेडिट किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एचएससीसी को बैंक द्वारा उचित प्रकार से प्रमाणित निधियों के उपयोग तथा उपलब्ध को दर्शाने वाली एक तिमाही बैंक विवरणी भी प्रस्तुत करनी चाहिए। ₹1.40 करोड़ की प्रथम किश्त अप्रैल 2006 में जारी की गई थी जबकि ₹1.30 करोड़ को अंतिम किश्त के रूप में एनएआरआई को मई 2009 में जारी किया गया था जिसे बाद में एनएआरआई द्वारा एचएससीसी को जारी किया गया था।

एनएआरआई द्वारा अप्रैल 2006 में एचएससीसी को ₹1.40 करोड़ की राशि की पहली किश्त के अंतरण के बाद एचएससीसी निविदाएं आमंत्रित की (जुलाई 2006) तथा ₹2.70 करोड़ की निविदा लागत पर बीएसएल-3 के निर्माण हेतु कार्य आदेश प्रदान किया (जनवरी 2007)। कार्य को एक वर्ष के भीतर समापन की निर्धारित तिथि अर्थात् 16 मार्च 2008 के साथ 16 मार्च 2007 को प्रारम्भ किया गया था।

---

[2] पहले हॉस्पिटल सर्विसेस कंसलटेंसी कोर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में जाने वाली एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड एक मिनी रतना सीपीएसई है तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अधीन एनबीसीसी (इंडिया) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है। नवम्बर 2018 में, एनबीसीसी ने एमओएचएफडब्ल्यू के साथ एनबीसीसी (आई) लिमिटेड की सहायक के रूप में एचएससीसी (आई) लिमिटेड के 100 *प्रतिशत* शेयर हेतु शेयर खरीद अनुबंध किया।

एनएआरआई, पुणे में अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया (मार्च 2021) कि बीएसएल-3 के निर्माण कार्य को अक्तूबर 2010 में समापन की अंतिम तिथि (मार्च 2008) से दो वर्ष तथा सात महीनों के विलम्ब से पूर्ण किया था। एचएससीसी ने न तो विलम्ब हेतु औचित्य प्रस्तुत किया और न ही कार्य के निष्पादन में विलम्ब हेतु किसी जुर्माने की वसूली की थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि यद्यपि बीएसएल-3 का निर्माण कार्य समाप्त हो चुका था तथा अक्तूबर 2010 में एनएआरआई को कब्जा दे दिया गया था फिर भी प्रयोशाला को केवल जून 2011 में जाकर ही अनुसंधान गतिविधियों हेतु उपयोग में लाया गया था। तथापि एचएससीसी ने व्यय की त्रैमासिक विवरणी, प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य हेतु किए गए व्ययों की लेखापरीक्षित विवरणी प्रस्तुत नहीं की थी जैसा अनुबंध करार के तहत अपेक्षित था। इसके बजाए, एचएससीसी द्वारा 30 सितम्बर 2015, 24 मार्च 17, 04 जनवरी 22 तथा 12 दिसम्बर 2022 को व्यय की प्रावधानिक विवरणी प्रस्तुत की गई थी। नवीनतम प्रावधानिक विवरणी (12 दिसम्बर 2022) के अनुसार ₹2.70 करोड़ की निधि के कुल निर्गम के प्रति ₹3.28 करोड़[3] का व्यय किया गया था जो ₹57.94 लाख के अधिक व्यय का कारण बना। यह पाया गया था कि ₹44.76 लाख के ठेकेदार के 7वें रनिंग अकांउट (आरए) बिल को 9 मई 2011 को ठेकेदार को अदा किया गया था। हालांकि ₹1.18 करोड़ के अंतिम बिल का अगला भुगतान ठेकेदार को 7 फरवरी 2020 को अर्थात् लगभग नौ वर्षों के अंतर के पश्चात अदा किया गया था। एचएससीसी के पास पड़ी निधि पर दिसम्बर 2022 तक पड़े जमा कार्य पर अर्जित संचयी ब्याज, कुल ₹57.94 लाख के किए गए अधिक व्यय का समायोजन करने के बाद, ₹1.53 करोड़ था। ₹57.94 लाख के अतिरिक्त व्यय को अभी भी आईसीएमआर द्वारा नियमित किया जाना है।

उत्तर में, एनएआरआई ने बताया (दिसम्बर 2022) कि परियोजना के समापन में विलम्ब को लगातार परामर्शदाता के संज्ञान में लाया गया था तथा अंतत: प्रयोगशाला को 2010 में पूर्ण किया गया था। तथापि, अंतिम लेखाओं का अभी भी निपटान नहीं किया गया है।

---

[3] पहला आरए ₹7.49 लाख (2.07.2008), दूसरा आरए ₹31.95 लाख (2.07.2008), तीसरा आरए ₹13.30 लाख (10.12.2008), चौथा आरए `15.19 लाख (16.03.2010), पांचवा आरए ₹14.94 लाख (31.03.2010), छठवां आरए ₹56.84 लाख (28.06.2010), सातवां आरए ₹44.76 लाख (9.05.2011), अंतिम बिल ₹1.18 करोड़ (7.02.2020), ₹56.84 लाख अन्य प्रभार तथा ₹21.65 लाख परामर्श शुल्क।

संस्थान का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलम्ब को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित नहीं किया गया है तथा इस संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था। आगे, ठेकेदार के अंतिम बिल का फरवरी 2020 में निपटान किया गया था परंतु एचएससीसी ने एनएआरआई के साथ अभी भी लेखे का निपटान नहीं किया गया है तथा जमा कार्य के ₹1.53 करोड़ को वापस नहीं किया है। संस्थान की स्वीकृति कि अंतिम लेखे का निपटान नहीं किया गया है, लेखापरीक्षा विवाद को मजबूत करता है।

इस प्रकार, कार्य के समापन के 12 वर्षों के बीत जाने के बाद भी बिल की अंतिम विवरणी प्राप्त करने में विफलता का परिणाम एचएससीसी से जमा कार्य पर ₹1.53 करोड़ के अर्जित ब्याज की गैर-वापसी में हुआ जो एनएआरआई में खराब आंतरिक नियंत्रण तंत्र दर्शाता है। प्राधिकारियों द्वारा कोई जबावदेही निर्धारित नहीं की गई प्रतीत होती है।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (नवम्बर 2022/फरवरी 2023); तथापि मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2023)।

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चण्डीगढ़

4.4 जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अपालन का परिणाम राजकोष को हानि में हुआ

पीजीआईएमईआर, चण्डीगढ़ ने जनशक्ति सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक अभिकरण के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। सेवा प्रदाता ने न तो इनवॉइस पर जीएसटी का दावा किया और न ही सरकार के पास देय जीएसटी जमा किया। पीजीआईएमईआर द्वारा जीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधान के अपालन का परिणाम जीएसटी के कारण राजकोष को ₹8.06 करोड़ की सीमा तक हानि में हुआ।

केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 31(2) के अनुसार, कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति करने वाला एक पंजीकृत व्यक्ति सेवा के प्रावधान से पहले या बाद में लेकिन एक निर्धारित अवधि के भीतर एक कर इनवॉइस विवरण, मूल्य, उस पर प्रभारित कर एवं ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं, को दर्शाते हुए जारी करेगा। आगे, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 33 के अनुसार, जहां कोई भी आपूर्ति प्रतिफल के लिए की जाती है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी आपूर्ति हेतु कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, कर निर्धारण, कर इनवॉइस एवं अन्य समान दस्तावेजों से संबंधित सभी दस्तावेजों में कर की राशि जो उस कीमत का हिस्सा बनेगी जिस पर ऐसी आपूर्ति की जाती है, को प्रमुखता

से उल्लेख करेगा। सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 46 के अनुसार भी धारा 31 में संदर्भित कर इनवॉइस पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विवरण में नामत: माल या सेवाओं की आपूर्ति का कर योग्य मूल्य; कर की दर एवं कर योग्य माल या सेवाओं के संबंध में प्रभारित कर की राशि शामिल होगी।

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान (पीजीआईएमईआर), चण्डीगढ़ ने ₹84.76 लाख प्रति के प्रतिफल के लिए पीजीआइएमईआर में 01 जुलाई 2017 से सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु मै. सुदर्शन फैसिलिटीज प्राइवेट लि. नई दिल्ली (सेवा प्रदाता) के साथ एक अनुबंध किया। करार दो वर्ष की अवधि हेतु आवंटित किया गया, संतोषजनक निष्पादन के आधार पर दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। करार को पीजीआईएमईआर द्वारा जुलाई 2020 तक बढ़ाया गया था। अभिकरण को जारी अधिनिर्णय के अनुसार, उद्धृत दरों में ईपीएफ, ईएसआई न्यूनतम वेतन अधिनियम, ठेका श्रम (आरएण्डए) अधिनियम के अधीन सेवा प्रदाता की सभी सांविधिक दायित्व साप्ताहिक अवकाश/प्रतिस्थापन प्रभार, वर्दी की लागत, कार्मिक के पहचान-पत्र, सुरक्षा उपकरण/वाहन अभिकरणों सभी प्रकार के कर, सेवा प्रभार शामिल होंगे। आगे, निविदा के खंड 12 (के) के अनुसार, सेवा प्रदाता भारत की कर विधि की पूर्ण अनुपालना को सुनिश्चित करेगा तथा प्रत्येक वर्ष रिटर्न दाखिल करने की पुष्टि करने वाली पावती की प्रतियां प्रस्तुत करेगा एवं नियोक्ता को उसके संबंध में सेवा प्रदाता के किसी भी कर, ब्याज, जुर्माना आदि की देयता के सापेक्ष में क्षतिपूर्ति दिलाएगा जो उत्पन्न हो सकती है।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ठेकेदार ने 18 *प्रतिशत* की दर पर जीएसटी का उल्लेख करते हुए जुलाई 2017 से अक्तूबर 2017 तक के बिलों को प्रस्तुत किया। अभिकरण द्वारा जुलाई एवं अगस्त 2017 के लिए दावा किए गए जीएसटी का भुगतान प्रारंभिक रूप से पीजीआईएमईआर द्वारा, किया गया, की वसूली बकाया बिलों से की गई तथा सितम्बर 2017 एवं अक्टूबर 2017 के महीनों के लिए पीजीआईएमईआर द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी। उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत भी, पीजीआईएमईआर के आग्रह पर (नवम्बर 2017) अभिकरण ने नवम्बर 2017 से जून 2020 की अवधि के लिए पृथक रूप से जीएसटी की राशि को उल्लेख किए बिना मासिक रूप से इनवॉइस प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त पीजीआईएमईआर ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 31 एवं 33 के साथ-साथ निविदा के खंड 12(के) के उल्लंघन में जीएसटी जमा करने के सापेक्ष में चालानों की प्रतियां प्राप्त किए बिना अभिकरण को लगातर क महीनों हेतु भुगतान जारी किया। तथापि, मार्च 2020 में पीजीआईएमईआर ने जुलाई 2017 से फरवरी 2020 तक के लिए जीएसटी चालानों को प्रदान करने के लिए अभिकरण

को निदेश दिया तथा जीएसटी अधिकनियम के अनुसार अगले महीने के बिल में कर योग्य मूल्य एवं जीएसटी को अलग से दर्शाने का भी निदेश दिया। सेवा प्रदाता ने मार्च 2020 से आगे के लिए बिलों में 18 *प्रतिशत* जीएसटी को शामिल किया। पीजीआईएमईआर ने बिना जीएसटी के मार्च 2020 से आगे के बिलों को पुन: पारित किया। सेवा प्रदाता ने पुष्टि की कि उन्होंने न ही जीएसटी का वसूल किया है और न ही जमा किया है। जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अपालन का परिणाम ₹8,05,89,125 की राशि के अदत्त आईजीएसटी के रूप में राजकोष को हानि में हुआ।

मामला पीजीआईएमईआर को मार्च 2020, अक्टूबर 2021, नवम्बर 2022 एवं जनवरी 2023 तथा मंत्रालय को फरवरी 2023 में इंगित किया गया था। पीजीआईएमईआर ने उपने उत्तर में (जनवरी 2023) बताया कि सुरक्षा सेवा प्रदाता ने स्वीकार किया था कि उन्होंने पीजीआईएमईआर से न तो जीएसटी प्रभारित किया है और न ही जमा किया है। बार-बार निदेश देने के बावजूद वे जीएसटी चालानों तथा उचित टैक्स इनवॉइस को प्रस्तुत करने में असफल हुए, सुरक्षा सेवा प्रदाता की ओर से जीएसटी का गैर-भुगतान स्पष्ट रूप से एक चूक थी। इसलिए, मामले को जीएसटी विभाग के ध्यान में लाने का निर्णय लिया गया जिसकी जांच हो रही है तथा मै. सुदर्शन फैसिलिटीज प्रा.लि. (अभिकरण) की सेवाएं 31 जुलाई 2020 को समाप्त कर दी गई थी। मंत्रालय ने, संस्थान के उत्तर को दोहराते हुए, बताया (मई 2023) कि जीएसटी अधिनियम के अनुसार जीएसटी इनवॉइस को प्रस्तुत करने की प्रमुख जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की है न कि सेवा प्राप्तकर्ता की है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो प्रमुख नियोक्ता/सेवा प्राप्तकर्ता अर्थात् पीजीआईएमईआर से वसूला जाता है तथा उसे सरकारी राजकोष में जमा किया जाएगा। जीएसटी अधिनियम एवं निविदा के खंड 12 (के) के उल्लंघन में पीजीआईएमईआर ने गलत इनवॉइस/बिलों को स्वीकार किया तथा जीएसटी भुगतान/किए गए/भुगतान योग्य को इंगित करते हुए इनवॉइसिस/चालानों के लिए जोर दिए बिना मासिक इनवॉइस को भुगतान जारी किया। यद्यपि जीएसटी अधिनियम के अनुसार, सही इनवॉइस प्रस्तुत करने की प्रमुख जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की है फिर भी सेवा प्राप्तकर्ता (पीजीआईएमईआर) सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 46 की अनुपालना को सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता है। जीएसटी अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करना तथा ठेकेदार को लगातार महीनों हेतु भुगतान जारी करने से पहले ठेकेदार द्वारा जमा किए जा रहे/जमा किए गए जीएसटी की राशि के लिए इनवॉइस/चालान प्राप्त करने की पीजीआईएमईआर की

ड्यूटी थी क्योंकि जीएसटी तत्व को ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत इनवॉइस में शामिल किए जाने की अनिवार्य रूप से आवश्यकता थी। यदि पीजीआईएमईआर ने मासिक रूप से भुगतान जारी करने से पहले वैध इनवॉइस के भुगतान पर जोर दिया होता तो राजकोष की हानि से बचा जा सकता था।

अध्याय V: गृह मंत्रालय

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

5.1 रिहायशी आवास के पट्टे पर अनधिकृत व्यय - ₹14.01 करोड़

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण द्वारा मै. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड से तीन आवासीय फ्लैटों को पट्टे पर लेने हेतु गृह मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन न लेने का परिणाम ₹14.01 करोड़ के अनधिकृत तथा निष्फल व्यय में हुआ।

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) की स्थापना मार्च 2012 में, सीमा प्रबंधन विभाग, (डीबीएम) गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधीन एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी एवं भारत की सीमाओं पर भूमि पत्तनों के निर्माण का कार्य तथा जहाजी माल और यात्रियों की निर्बाध एवं कुशल आवाजाही की सुविधा के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना प्रदान करने, क्षेत्रीय व्यापर और लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ावा देने एवं सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों को आत्मसात करने का कार्य सौंपा है। डीबीएम एमएचए, के नियमित व्यय बजट के अधीन एलपीएआई को निधियां उपलब्ध करायी जाती है।

एलपीएआई अधिनियम, 2010 की धारा 20(ए) में वर्णित है कि केन्द्र सरकार कोई भी पूंजी जो उपलब्ध करा सकती है जो प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन हेतु या किसी अन्य उद्देश्य हेतु जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित ऐसे निबंधन और शर्तों से जुड़े है, अपेक्षित हो सकती है। आगे, *उक्त* धारा 23 बताता है कि प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने पहले से आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों के कार्यक्रम की विवरणी के साथ-साथ इसके संबंध में वित्तीय प्राक्कलन को भी तैयार करें तथा इसे सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।

एलपीएआई एक सांविधिक निकाय होते हुए भी संपदा निदेशालय के तहत सामान्य पूल रिहायशी आवास हेतु पात्र कार्यालय नहीं है एवं अपने अधिकारियों के लिए अपने स्वयं की रिहायशी सुविधा भी नहीं है। मै. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (एनबीसीसी) जो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पूर्व किदवई नगर में रिहायशी आवास के पुनर्विकास को कार्यान्वित कर रहा था, सरकारी विभागों/पीएसयू आदि को प्रारंभिक तीस वर्षों की अवधि हेतु रिहायशी स्थान को पट्टे पर देने के लिए विज्ञापन दिया (जनवरी 2020)।

एलपीएआई, जो अपने स्वयं के रिहायशी आवास की संभावनाओं की खोज कर रहा था, ने फ्लैटों को प्राप्त करने में अपनी रुचि व्यक्त की। बाद में, अध्यक्ष, एलपीएआई ने अपने अधिकारियों के लिए एनबीसीसी से तीस वर्षों के लिए तीन टाईप-V रिहायशी प्लैटों को पट्टे पर लेने हेतु ₹14.01 करोड़ का प्रस्ताव अनुमोदित किया (फरवरी 2020)। कथित पट्टे हेतु पूरा भुगतान एनबीसीसी को एमएचए से बिना पूर्व अनुमोदन के पूंजीगत अनुदान से किया (फरवरी 2020)। तत्पश्चात्, पूंजीगत सहायता अनुदान की एलपीएआई की आंतरिक निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की गई थी (मार्च 2020)। तीन फ्लैटों का कब्जा एलपीएआई द्वारा 18 जून 2020 को ले लिया गया।

एलपीएआई बोर्ड ने 19 जून 2020 को संपन्न अपनी 24$^{वीं}$ बैठक में (i) पूर्व किदवई नगर पुनर्विकास परियोजना पर एनबीसीसी से ₹14.01 करोड़ की कीमत पर तीन टाईप V क्वार्टर की खरीद हेतु कार्योत्तर संस्वीकृति, एवं (ii) भारत सरकार से इस राशि को सहायता-अनुदान-पूंजी का सृजन से विभाजित करने का अनुरोध करना, के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। तद्नुसार, एलपीएआई द्वारा इस प्रभाव के अनुरोध को अगस्त/सितम्बर 2020 में एमएचए को भेज दिया गया।

तथापि, एमएचए ने अधिग्रहण हेतु *कार्योत्तर* संस्वीकृति प्रदान करने के लिए अस्वीकार कर दिया (अगस्त सितम्बर एवं नवम्बर 2020) एवं इस लेन देन को वापस करने का निदेश दिया। बाद में, एलपीएआई ने आवंटित फ्लैटों को वापस करने के लिए एनबीसीसी से संपर्क किया (सितंबर 2020)। बदले में एनबीसीसी ने सूचित किया (सितंबर 2020) कि अभ्यर्पित किए गए फ्लैटों को वापस पाना संभव नहीं है एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की आवंटित शर्तों के अनुसार इन फ्लैटों की आगे बिक्री का सुझाव दिया।

यह अवलोकन किया गया कि अध्यक्ष, एलपीएआई को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों की प्रयोग केवल सीसीएस/एचएम/एचएस/सचिव (बीएम) द्वारा अनुमोदित योजनाओं/परियोजनाओं हेतु किया जाना था। चूंकि एमएचए के अधीन किसी भी संगठन को वित्तीय शक्तियां व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अपने का.ज्ञा.दिनांक 05 अगस्त 2016 में जैसा कि वर्णित है, बिना पूर्व मूल्यांकन एवं अनुमोदन के परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु "बड़े कार्य" के रूप में प्रत्यायोजित की गई है फिर भी उपरोक्त को एलपीएआई के अध्यक्ष/बोर्ड द्वारा उनके स्तर पर अनुमोदित/संस्वीकृत नहीं किया जा सका तथा प्रस्ताव अनुमोदन हेतु एमएचए को भेजा जाना चाहिए था।

इसे इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2021), एलपीएआई ने सूचित किया (नवम्बर 2021/जनवरी 2023) कि लेनदेन को वापस करने के लिए एमएचए के निदेशों पर, एलपीएआई ने तीन फ्लैटों के दूसरे उपपट्टे के लिए मामले को एनबीसीसी के साथ उठाया है एवं अंतिम निर्णय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्रतीक्षित है। मामला एमएचए को भेजा गया (दिसम्बर 2021); फिर भी, उनके उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मार्च 2023)।

एमएचए के बिना पूर्व अनुमोदन के कुल ₹14.01 करोड़ के रिहायशी फ्लैटों के पट्टे के लिए एलपीएआई का निर्णय इस प्रकार से इसे प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का उल्लंघन था। इन फ्लैटों की खरीद हेतु *कार्योत्तर* मंजूरी प्रदान करने में बोर्ड की कार्रवाई वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों से परे थी।

परिणामस्वरूप, इसका परिणाम न केवल ₹14.01 करोड़ की सीमा तक अनधिकृत व्यय में हुआ अपितु मार्च 2023[1] तक ₹1.30 करोड़ के अनुमानित ब्याज के कारण वित्तीय हानि में भी हुआ।

[1] ₹14.01 करोड़, यदि एलपीएआई द्वारा मार्च 2020 से प्रतिवर्ष तीन *प्रतिशत* की दर पर बचत बैंक खाते में रखे गए

अध्याय VI: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

दूरदर्शन, प्रसार भारती

6.1 ₹38.50 करोड़ का निष्फल व्यय

दूरदर्शन ने फ्री टू एयर चैनलों को प्रसारित करने हेतु ₹5.50 करोड़ *प्रतिवर्ष* की लागत पर पट्टे पर एक नया ट्रांसपोंडर किराए पर लिया तथा अपनी अवसंरचना सुविधाओं को भी उन्नत किया। तथापि, ट्रांसपोंडर को किराए पर लेने के छः वर्षों से अधिक तथा उन्नयन के तीन वर्षों के बीत जाने के पश्चात् भी वह इन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सका था क्योंकि इस ट्रांसपोंडर के माध्यम से किसी भी चैनल को प्रसारित नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, इसका परिणाम मई 2012 से अप्रैल 2019 तक की अवधि के लिए ट्रांसपोंडर के किराए पर लेने में ₹38.50 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ।

दूरदर्शन (डीडी) ने दिसंबर 2004 में अपनी डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा, डीडी मुफ्त डिश शुरू किया। प्रारम्भ में, सेवा को 39 टीवी चैनलों तथा 12 रेडियो चैनलों के एक समूह के साथ शुरू किया गया था। 19 डीडी चैनलों तथा 20 निजी चैनलों को पहले आओ पहले पाओ आधार पर मुफ्त में डीटीएच प्लेटफार्म पर प्रस्तुत किया गया था। 2011 तक डीडी 59 चैनलों को प्रसारित कर रहा था।

प्रसार भारती ने मौजूदा 59 चैनलों से 97 चैनलों तक डीटीएच प्लेटफार्म की क्षमता को बढ़ाने के लक्ष्य से *दूरदर्शन* (डीडी) को डीडी की ग्यारहवीं योजनागत योजना-डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) के अंतर्गत ₹75.43 करोड़ संस्वीकृत किए (अक्तूबर 2010)। तद्नुसार, डीडी को उपकरण {आपूर्ति, संस्थापन, जांच तथा चालू करना (एसआईटीसी)} का प्रापण करते हुए, बेतार योजना एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी) से लाईसेंस प्राप्त करते हुए तथा अपने मौजूदा पांच ट्रांसपोंडरों के अतिरिक्त मैसर्स एंड्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड[1] (एसीएल) से एक नया छठा ट्रांसपोंडर किराए पर लेकर अपने डीटीएच प्लेटफॉर्म का उन्नत करना अपेक्षित था।

बाद में, डीडी ने अगस्त 2010 में एसीएल को एक ट्रांसपोंडर के लिए संपर्क किया जिसने ₹5.50 करोड़ प्रतिवर्ष के स्पेस सेगमेंट प्रभार पर एक ट्रांसपोंडर का आबंटन किया (मई 2012)। तत्पश्चात्, डीडी ने अगस्त 2013 में लाइसेंस डब्ल्यूपीसी से प्राप्त किया।

[1] अंतरिक्ष विभाग की एक 100 *प्रतिशत* सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी।

इसके अर्थ स्टेशन पर डीडी के डीटीएच प्लेटफार्म के विस्तारण हेतु अपेक्षित अतिरिक्त उपकरण की आपूर्ति संस्थापना, जांच तथा चालू करने का कार्य दिसंबर 2014 में पूर्ण किया गया था जो ट्रांसपोंडरों को पट्टे पर लेने के दो वर्षों के पश्चात है। उन्नयन के पश्चात, मौजूदा पांच ट्रांसपोंडर की क्षमता को 80 चैनलों तक बढ़ा दिया गया था तथा शेष 17 चैनलों का छठे ट्रांस्पोंडर के माध्यम से प्रसारित किया जाना था, जिसमें 24 चैनलों को प्रसारित करने की क्षमता थी। छठे ट्रांसपोंडर से एमपीईजी-4 स्लॉटों की पहली बार मई 2019 से मई 2020 की अवधि के लिए नीलामी की गई थी तथा ₹5.45 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया किः

(i) एक अतिरिक्त ट्रांसपोंडर जिसे अंतरिक्ष विभाग द्वारा 2013-14 में आंबटित किया जाना था, को समय से पहले 2012 में प्रदान किया गया था तथा इसे प्रसार भारती द्वारा ट्रांसपोंडर के पूर्व आवंटन के प्रभाव का निर्धारण किए बिना तथा नियोजन एवं निष्पादन में परिवर्तन किए बिना स्वीकार किया गया था।

(ii) ट्रांसपोंडर को किराए पर लेने के पश्चात छः वर्षों से अधिक तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के उन्नयन के तीन वर्षों से अधिक के बीत जाने के बावजूद भी इस छठे ट्रांसपोंडर के माध्यम से किसी एक चैनल को भी प्रसारित नहीं किया जा रहा है। इसलिए, अप्रयुक्त ट्रांसपोंडर हेतु पट्टा प्रभारों के भुगतान पर किया गया ₹38.50 करोड़ (मई 2012 से अप्रैल 2019 तक की अवधि के दौरान 7 x ₹5.50 करोड़) का व्यय निष्फल प्रस्तुत हुआ।

(iii) डीडी अतिरिक्त ट्रांसपोंडर का उपयोग नहीं कर सका था जिसका परिणाम स्पेक्ट्रम के अवरोधन में हुआ जिसका एसीएल द्वारा किसी अन्य उपभोक्ता को आवंटन किया जा सकता था तथा राजस्व सृजित किया जा सकता था।

(iv) डीडी बाजार में एमपीईजी-4 कंप्लायेंट डीटीएच एसटीबी की गैर-उपलब्धता का पूर्वानुमान नहीं कर सका था क्योंकि इसने नियोजन स्तर पर कोई बाजार सर्वेक्षण नहीं किया था।

जुलाई 2018/दिसंबर 2021 में इसे इंगित किए जाने पर, डीडी ने बताया (जनवरी 2019/जून 2022) कि छठे ट्रांसपोंडर का उपयोग डीडी डीटीएच प्लेटफार्म का 97 चैनलों तक विस्तार करने हेतु एमपीईजी-4 चैनलों की दो स्ट्रीम को प्रारम्भ करने के लिए किया गया था। तथापि, एमपीईजी-4 सेटटॉप बॉक्सों की अनुपलब्धता के कारण छठे ट्रांसपोंडर का उपयोग

नवीनतम स्पेक्ट्रम दक्ष एमपीईजी-4 कंप्रैशन चैनलों की जांच तथा प्रारम्भ करने के लिए किया गया था।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2022) कि डीओएस को 2013-14 में अपने ट्रांसपोंडर का आवंटन करना था परंतु उसने इसका मई 2012 में आवंटन किया। उसने आगे बताया कि एमपीईजी-4 स्लॉटों की मई 2019 से मई 2020 की अवधि के लिए पहली बार नीलामी की गई थी तथा ₹5.45 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीडी ने अतिरिक्त ट्रांसपोंडर का अधिग्रहण किया जबकि उसके पास इसकी क्षमताओं का उपयोग करने की कोई योजना नहीं थी तथा न केवल आवर्ती देयता वहन की बल्कि अन्य द्वारा इस कीमती स्पेस सेगमेंट के उपयोग को रोका। इसके अतिरिक्त, इसने एक ट्रांसपोंडर को एमपीईजी-4 से एमपीईजी-2 में परिवर्तित किया जिससे कि चैनलों को एमपीईजी-2 कंप्लायेंट एसटीबी के द्वारा देखा जा सकता था जिसने अतिरिक्त ट्रांसपोंडर का अधिग्रहण करने के उद्देश्य को विफल किया।

डीडी द्वारा एमपीईजी-4 सेट टॉप बॉक्सों तथा इसके एमपीईजी-4 चैनलों की वास्तविक आवश्यकताओं के गैर निर्धारण का परिणाम मई 2012 से अप्रैल 2019 तक की अवधि के लिए ट्रांसपोंडर को किराए पर लेने पर ₹38.50 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ।

अध्याय VII: जल शक्ति मंत्रालय

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

7.1 ब्याज अर्जित करने का अवसर खोना

ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी ने सहायता-अनुदान निधियों को जमा करने के लिए चालू खातों हेतु वर्तमान फ्लेक्सी जमा योजना को परिचालित नहीं किया जिसके कारण अप्रैल 2020 से मार्च 2022 के दौरान ₹3.94 करोड़ का ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया गया।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 (जीएफआर) का नियम 230(6) प्रावधान करता है कि अनुदान संस्वीकृत प्राधिकारियों ने अनुदान देने को विनियमित करते समय आंतरिक रूप से सृजित संसाधनों पर न केवल विचार करना चाहिए बल्कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों या संगठनों द्वारा आंतरिक संसाधन सृजन के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करने पर भी विचार करना चाहिए, विशेष रुप से जहां अनुदान प्रत्येक वर्ष आवर्ती आधार पर दिया गया है।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड, एक स्वायत्त सांविधिक निकाय संसद के अधिनियम जिसे सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) के तहत ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम 1980 की सं. 46 कहा जाता है, के तहत स्थापित किया गया। यह उत्तर-पूर्व क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंतर्गत आने वाले बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास योजनाएं एवं अन्य जल संसाधन परियोजनाओं के निष्पादन से संबंधित विभिन्न कार्यों को निष्पादित करता है। बोर्ड जल संसाधन मंत्रालय/जल शक्ति मंत्रालय एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के माध्यम से सहायता अनुदान के रूप में निधि प्राप्त करता है। यह ठेकेदारों से सुरक्षा जमा, सांविधिक देय राशि, कर्मचारियों से वसूली आदि के रूप में प्राप्त करते हैं। बोर्ड ने 2020-21 के दौरान एवं उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दो गैर-ब्याज-वाले चालू खातों में उपरोक्त निधियों के अप्रयुक्त हिस्से को जमा किया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि बोर्ड उसी बैंक में ब्याज वाला चालू खाता (अर्थात् चालू जमा खातों के लिए वर्तमान फ्लेक्सी जमा योजना) खोलने के लिए पात्र था। फिर भी, बोर्ड ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सामान्य चालू खाता खोला। यदि निधियां उक्त उल्लेखित ब्याज-वाले चालू खाते में रखी गई होती तो मासिक न्यूनतम शेष को ध्यान में रखते हुए इस पर ₹3.94 करोड़

का ब्याज अर्जित किया जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप ₹3.94 करोड़ का ब्याज अर्जित करने के अवसर की हानि हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2022) कि:

(i) भारत सरकार से प्राप्त अनुदान निधि हेतु संस्वीकृति आदेश में चालू खातों की फ्लेक्सी जमा योजना में निधि को रखने के लिए कोई अनुदेश नहीं होता है। इसलिए, फ्लेक्सी जमा योजना के माध्यम से बैंक से ब्याज की आय सरकार को नीति एवं प्रयोजन से परे हैं। आगे, जीएफआर नियम सं. 230(8) में निवेश के माध्यम से अर्जित ब्याज का प्रेषण विशेष रूप से शामिल नहीं होता है।

(ii) न्यूनतम शेष राशि जिस पर ब्याज की गणना की गई थी, अव्ययित अनुदान धन की राशि के साथ-साथ ठेकेदार द्वारा सुरक्षा जमा के प्रति जमा की गई राशि है। ऐसे एसडी धन का निवेश करके ब्याज की आय एसडी की कटौती के उद्देश्य एवं प्रयोजन के प्रति गम्भीर उपेक्षा को प्रभारित कर सकती है तथा ऐसे ब्याज का यदि ठेकेदार द्वारा उसके रोके गए धन पर आय होने से दावा किया जाता है तो ठेकेदार को उसको वापस करने की भी आवश्यकता हो सकती है एवं ऐसे मुद्दों पर न्यायालय के अधीन प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(iii) 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी राजकोष एकल खाता (टीएसए) के तहत निधि के प्रवाह के प्रति केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए परिवर्तनों में इसके परिचालन के संदर्भ लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तावित फ्लेक्सी जमा योजना के कार्यान्वयन की कोई गुंजाइश नहीं है।

प्रबंधन का उत्तर निम्नवत कारणों के कारण स्वीकार्य नहीं था:

(i) चालू खातों की फ्लेक्सी जमा योजना (एफडीएस) निधि के नकदीकरण को प्रभावित किए बिना सावधि जमा के ब्याज का लाभ सहित किसी चालू जमा खाते में लचीलापन का समेकित लाभ प्रदान करता है। एफडीएस चालू खाते का विकल्प चुनना बोर्ड के लिए लाभकारी था। अनुदान या नीति पर लागू निबंधन और शर्तों से कोई विचलन नहीं था।

(ii) प्रबंधन का तर्क कि ठेकेदार के एसडी धन का निवेश करके ब्याज की आय ठेकेदार को वापस किए जाने की आवश्यकता हो सकती है यदि ठेकेदार द्वारा दावा किया जाता है

तथा ऐसे मुद्दों पर न्यायालय के अधीन प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, के संबंध में यह बताता है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जीएफआर, 2017 के अनुरूप जारी वस्तुओं की खरीद 2017 मैन्युअल में कहा गया (अप्रैल 2017) है कि एसडी सहित निष्पादन सुरक्षा राशि बिना किसी ब्याज के वापस की जाएगी। इसलिए, इस संबंध में प्रबंधन का तर्क तर्कसंगत नहीं था।

(iii) जहां तक राजकोष एकल खाता (टीएसए) व्यवस्था की शुरुआत का संबंध है जिसे अप्रैल 2022 से लागू किया गया था, तथ्य यह है कि बोर्ड को टीएसए व्यवस्था के आने से पहले गैर ब्याज वाले चालू खातों में अप्रयुक्त निधियों को रखने के कारण ₹3.94 करोड़ का ब्याज अर्जित करने का अवसर खोना पड़ा।

इस प्रकार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा चालू खातों के लिए फ्लेक्सी जमा योजना के गैर-परिचालन के परिणामस्वरूप ₹3.94 करोड़ का ब्याज अर्जित नहीं किया जा सका।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (जून 2023); मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2023)।

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड

7.2 कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का अस्वीकार्य भुगतान

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय (जल शक्ति मंत्रालय) के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि संस्वीकृत की, जिसके परिणामस्वरुप ₹104.56 लाख का अस्वीकार्य भुगतान किया गया।

आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (एपीआरए), 2014 की धारा 85 के अनुसार जल शक्ति संघ मंत्रालय (एमओजेएस) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 2014 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) का गठन किया गया तथा यह समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए जो भी निदेश है, का पालन करेगा।

एपीआरए, 2014 की धारा 86(1) के अनुसार, बोर्ड ऐसे स्टाफ को नियुक्त करेगा जिन्हें इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के कुशल निर्वहन हेतु आवश्यक माने एवं पहले दृष्टांत में ऐसे स्टाफ को समान अनुपात में आनुक्रमिक राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा तथा बोर्ड में स्थायी रूप से शामिल किया जाएगा। तद्नुसार, बोर्ड तेलंगाना सरकार और आंध्र

प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को नियुक्त करता है। दोनों राज्यों से के आरएमबी में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी/स्टाफ को केआरएमबी द्वारा अपने संबंधित राज्यों के अनुसार समान वेतन और भत्तों का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त, एपीआरए 2014 की धारा 85(4), (5) एवं (6) में केन्द्र सरकार द्वारा कुछ पदों को नामांकित किया जाना निर्दिष्ट है। 31 मार्च 2022 तक, केन्द्र सरकार से तीन अधिकारी, आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकारों से 14 अधिकारी एवं तेलंगाना सरकार से नौ अधिकारी केआरएमबी में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे।

जून 2020 में आयोजित 12वीं बोर्ड बैठक के दौरान, बोर्ड ने निर्णय लिया कि केआरएमबी में सभी राज्य एवं केन्द्र सरकार के कार्मिक को अतिरिक्त प्रोत्साहन वेतन दिया जाएं। इसलिए सदस्य सचिव ने 01 अक्टूबर 2020 से प्रभावी केआरएमबी में सभी राज्य एवं केन्द्र सरकार के कार्मिक को मूल वेतन के 25 *प्रतिशत* की दर पर प्रोत्साहन वेतन का भुगतान करने के लिए एक संकल्प (20 अक्टूबर 2020) जारी किया।

इस संबंध में, जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण (डीओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर), जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस), भारत सरकार (जीओआई) ने केआरएमबी (31 मई 2021)से डीओडब्ल्यूआर के अनुमोदन के बिना केआरएमबी में कार्यरत कर्मचारियों की प्रत्येक महीने के मूल वेतन का 25 *प्रतिशत* की दर पर प्रोत्साहन वेतन के अनुदान के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। केआरएमबी ने उत्तर दिया (01 जून 21) कि केआरएमबी की कार्यपद्धति हेतु भारत सरकार की समेकित निधि से कोई भी आवंटन/आपूर्ति नहीं की गई है। इसके अतिरक्त, एक स्वायत्त निकाय होने के कारण, केआरएमबी को अपनी कार्य पद्धति के लिए वित्तीय मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार है। इस संबंध में, एमओजेएस ने अपने मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) के साथ परामर्श पर मामले की जांच की तथा बताया (14 जुलाई 2021) कि एपीआरए, 2014 की धारा 88(सी) के तहत, केआरएबी के पास केवल अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, इन्होंने केआरएमबी को राज्य एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को प्रोत्साहन वेतन देने तथा तुरन्त प्रभाव से सम्पूर्ण राशि की वसूली करने के लिए जारी ओदश को वापस लेने का आदेश दिया। उपरोक्त को पत्र दिनांक 10 सितम्बर 2021 के माध्यम से भी दोबारा सूचित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि केआरएमबी ने अक्टूबर 2021 में आयोजित 15$^{वीं}$ बैठक में अपने प्रशासनिक मंत्रालय के आदेशों को निरस्त करते हुए अपने कर्मचारियों को मूल वेतन का

25 *प्रतिशत* की दर पर प्रोत्साहन वेतन के भुगतान को जारी रखने का निर्णय लिया तथा इस प्रकार अक्टूबर 2020 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान ₹1,04,56,676/-का भुगतान किया गया।

बोर्ड ने उत्तर दिया कि केआरएमबी की कार्यपद्धति की निगरानी एपीआरए, 2014 के पैरा 84(3) (1) के अनुसार शीर्ष समिति का कार्य है तथा बोर्ड ने पहले ही 12 अक्टूबर 2021 को आयोजित अपनी बैठक के दौरान अवलोकन किया था कि डीओडब्ल्यूआर के जेएसएण्डएफए तथा जेएस (प्रशा.) द्वारा केआरएमबी को दिए गए निदेश तर्कसंगत नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शीर्ष समिति केआरएमबी (एपीआरए, 2014 की धारा 84 (3) की कार्यपद्धति की निगरानी हेतु है। धारा 85(8) के अनुसार, बोर्ड के कार्य में प्रोत्साहन राशि के भुगतान पर निर्णय करना शामिल नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, केआरएमबी एमओजेएस के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है तथा एमओजेएस के निदेशों का अनुपालन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एमओजेएस (03 जनवरी 2022) प्रोत्साहन वेतन को जारी रखने के बोर्ड के निर्णय (12 अक्टूबर 2021) से सहमत नहीं हुआ तथा आदेश को वापस लेने एवं आदेश के बल पर भुगतान की गई राशि की वसूली करने का अनुदेश दिया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में (28 मार्च 2023) लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के निदेशों की अनुपालना में, केआरएमबी ने प्रोत्साहन वेतन के भुगतान को रोकने तथा वसूली शुरू करने का आदेश दिया (24 मार्च 2023)। फिर भी, वसूली अभी भी नहीं की गई (मार्च 2023)।

इस प्रकार, केआरएमबी ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय के आदेशों की अवज्ञा करते हुए प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन के बिना कर्मचारियों को ₹104.56 लाख की राशि के लिए प्रोत्साहन वेतन का अस्वीकार्य भुगतान किया।

अध्याय VIII: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

8.1 ईडीएलआई लाभ का कम भुगतान- ₹52.72 लाख

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना, 1976 के प्रावधानों के अनुसार, मृत सदस्यों के नामांकित व्यक्तियों को स्वीकार्य ईडीएलआई आश्वासन लाभों का ₹52.72 लाख का कम भुगतान।

कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) योजना, 1976 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित है। ईडीएलआई योजना के पैरा 22(3) के नियम जिसकी संशोधित अधिसूचना सं.जी.एस.आर.170(ई) दिनांक 15 फरवरी 2018 के अनुसार कर्मचारी जो निधि[1] का सदस्य था तथा जिस महीने उसका/उसकी मृत्यु हुई, उससे पहले वह लगातार 12 महीने की अवधि के लिए उसी संस्थान में कार्यरत था/थी, की मृत्यु पर मृतक के भविष्य निधि संचय को प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को ऐसे संचय के अतिरिक्त एक आश्वासन लाभ का भुगतान किया जाएगा जो ₹2.5 लाख[2] से कम नहीं होगा। प्रारम्भ में दो वर्ष के लिए वैध संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से 15 फरवरी 2020 से अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया था तथा 'उसी प्रतिष्ठान' में रोजगार की आवश्यकता को भी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 299(ई) दिनांक 28 अप्रैल 2021 के माध्यम से हटा दिया गया।

आगे, ईडीएलआई योजना का पैरा 24(4) प्रावधान करता है कि दावों का निपटान किया जाएगा एंव लाभ की राशि का भुगतान दावे के प्रस्तुतीकरण के 20 दिनों के भीतर लाभार्थियों को किया जाएगा तथा यदि दावे में कोई भी विसंगति है तो उसे लिखित में अभिलेखित किया जाएगा और दावे की प्राप्ति तिथि से 20 दिनों के भीतर आवेदक को संप्रेषित किया जाएगा। अप्रैल 2018 से अप्रैल 2021 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ), ईपीएफओ, सॉल्ट लेक, कोलकाता द्वारा किए गए ईडीएलआई लाभ भुगतानों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि योजना संशोधन दिनांक 15 फरवरी 2018 के बाद पात्र कर्मचारियों की मृत्यु के 37 मामलों में ईडीएलआई लाभों की गणना की गई तथा नामित व्यक्तियों को ₹2.5 लाख के निर्धारित

---

[1] ईपीएफओ द्वारा संचालित कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) या ईपीएफ अधिनियम,1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त कोई भी निधि।

[2] दिनांक 15 फरवरी 2018 के संशोधन से पहले न्यूनतम आश्वासन लाभ ₹1.5 लाख था।

न्यूनतम आश्वासन लाभ से कम का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹31.22 लाख का कम भुगतान हुआ।

अन्य 23 मामलों में, यह अवलोकन किया गया कि एकल नामांकन था तथा लाभ का हिस्सा 100 *प्रतिशत* से कम था। योजना के पैरा 23(2) के अनुसार, यदि नामांकन मृत कर्मचारी के खाते में जमा राशि के केवल एक हिस्से से संबंधित है तो वह हिस्सा जिससे नामांकन संबंधित नहीं है, वह परिवार के अन्य सदस्यों को समान हिस्से में देय होगा। फिर भी, इन 23 मामलों में शेष राशि का भुगतान समान हिस्से में जैसा कि योजना दिशा-निर्देशों में निर्धारित है, परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं किया गया। परिवार के सदस्यों को कोई भी सूचना यह सूचित करते हुए नहीं भेजी गई कि केवल दावे का भाग ही जारी किया गया था। इन 23 मामलों में ₹21.50 लाख की राशि का कम भुगतान किया गया।

इस प्रकार, योजना के गलत कार्यान्वयन का परिणाम उपरोक्त उल्लिखित 60 (37+23) मामलों में ₹52.72 लाख के कम-भुगतान में हुआ।

ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता ने बताया (मार्च 2023) कि लेखापरीक्षा द्वारा किए गए अवलोकन के बाद, सभी 37 मामलों के संबंध में भुगतान जारी किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय (अप्रैल 2023) द्वारा प्रस्तुत नवीनतम उत्तर के अनुसार, 23 मामलों में से 18 मामलों के संबंध में शेष भुगतान जारी किया गया। शेष पांच मामलों के लिए, परिवार के सदस्यों के विवरण को अद्यतन करने हेतु नियमित अनुनय चल रहा है।

आगे, ईपीएफओ, आंचलिक कार्यालय, कोलकाता ने सूचित किया (मार्च 2023) कि लेखापरीक्षा द्वारा अनियमितताओं को इंगित किए जाने बाद, ईडीएलआई आश्वासन लाभ के भुगतानों की समीक्षा ईपीएफओ मुख्यालय नई दिल्ली के अनुदेशानुसार[3] उनके क्षेत्राधिकार के अधीन विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में की गई थी तथा 206 मामलों[4] की और पहचान की गई जहां न्यूनतम ईडीएलआई लाभ राशि का भुगतान नहीं किया गया एवं उन्हें प्रसंस्करण हेतु लिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए कम भुगतान के दृष्टांत ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय में अभिलेखों की केवल नमूना जांच पर आधारित हैं और इसलिए सम्पूर्ण नहीं हैं। इस प्रकार,

---

[3] दिनांक 02 जनवरी 2023

[4] आरओ जलापाईगुड़ी में 64 मामले, आरओ दुर्गापुर में 52 मामले, आरओ सिलीगुड़ी में 50 मामले, आरओ पोर्टब्लेयर में 18 मामले, आरओ कोलकाता में 11 मामले, आरओ पार्क स्ट्रीट में नौ मामले एवं आरओ बैरकपुर में दो मामले।

मंत्रालय ईडीएलआई लाभों के भुगतानों के सभी मामलों की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाए कि ईडीएलआई आश्वासन की पूरी राशि देश भर के सभी ईपीएफओ कार्यालयों में पात्र नामित व्यक्तियों को संवितरित की गई है।

मामला दिसम्बर 2022 एवं फरवरी 2023 में मंत्रालय को सूचित किया गया। उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2023)।

अध्याय IX: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

9.1 सावधि जमा में निवेश में विलम्ब के कारण ब्याज की हानि

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने विभिन्न अवसरों पर सावधि जमा खातों में कॉर्पस निधि का निवेश/पुनर्निवेश करने के संबंध में समय से निर्णय नहीं लिया था जिसका परिणाम अप्रैल 2014 से दिसंबर 2020 के बीच की अवधि के दौरान कुल ₹56.32 लाख के ब्याज की हानि में हुआ।

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) एक स्वैच्छिक, गैर-राजनीतिक, गैर-लाभकारी, सामाजिक सेवा संगठन है जिसका लक्ष्य सामान्य रूप में समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों तथा कमज़ोर वर्गों के लाभ हेतु शैक्षिक योजनाओं को तैयार तथा कार्यान्वित करना है। योजनाएं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) से समय समय पर प्राप्त *कॉर्पस* निधि पर अर्जित ब्याज से वित्तपोषित है। एमएईएफ ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए), भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2017-18 तक ₹1,362.00 करोड़ की कुल *कॉर्पस* निधि प्राप्त की है, जिसे बैंकों के पास सावधि जमा में निवेशित रखा गया है तथा *कॉर्पस* निधि के निवेश से प्राप्त ब्याज का प्रतिष्ठान द्वारा अपनी शैक्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उपयोग किया जाएगा।

एमएईएफ द्वारा प्राप्त राशियों के पुनर्निवेश हेतु निर्णय लेने की प्रक्रिया में इसके विलम्ब करने जिसका परिणाम ₹36.50 लाख के ब्याज की हानि में हुआ, जिसके संबंध में सीएजी के 2005 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 में पैरा 15 में उल्लेख किया गया था जो एमएईएफ को अपनी निवेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की शीघ्र आवश्यकता को दर्शाता है।

उत्तर में, एमओएमए ने लोक लेखा समिति को अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) (मार्च 2008) में बताया कि उसने एमएईएफ को निधि के परिपक्व होने की संभावना/निधि के निर्गम से कम से कम दो महीने पूर्व दरों की मांग करने की कार्रवाई प्रारम्भ करने की सलाह दी थी तथा प्राप्त प्रस्तावों की एक समिति द्वारा संवीक्षा की जानी चाहिए जो निवेश के देय होने से कम से कम एक महीने पूर्व निवेश के संबंध में सिफारिश करेगी। एमएईएफ

को वित्त मंत्रालय के अद्यतित दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पस निधि हेतु एक निवेश नीति तैयार करने का भी निदेश दिया था।

वित्त मंत्रालय ने एमएईएफ की कॉर्पस निधि के निवेश हेतु दिशा-निर्देश जारी किए (23 जुलाई 2009) जिसके द्वारा 60 प्रतिशत का सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में निवेश किया जाना था तथा 40 *प्रतिशत* निधि का अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों सहित अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश किया जा सकता था।

अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि एमएईएफ की *कॉर्पस* निधि के साथ साथ अधिशेष निधि का निवेश एमएईएफ के नियम एवं विनियमों के नियम VI के अधीन माननीय अध्यक्ष, एमएईएफ के अनुमोदन से किया जाता है। अध्यक्ष, एमएईएफ, की निवेश समिति[1] की सिफारिशों पर ऐसा निर्णय लेता है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों तथा अग्रणी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ब्याज की दरों की मांग करने के पश्चात् निवेश किए गए थे। जब कभी ऐसे किसी निवेश की अवधि समाप्त होने वाली थी अथवा नए अनुदान प्राप्त हुए तो एमएईएफ ने बैंकों से ब्याज दर उद्धरण की मांग की तथा फिर परिपक्व राशि का पुनर्निवेश किया था। चूंकि निवेश/पुनर्निवेश निर्णयों में विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन शामिल है इसलिए इसमें कोई भी विलम्ब प्रतिष्ठान को ब्याज की काफी हानि होती है।

लेखापरीक्षा ने पाया किः

(i) ₹1,362.12 करोड[2] के *कॉर्पस* का विभिन्न बैंकों में सावधि जमाओं में आवधिक रूप से निवेश/पुनर्निवेश किया जाना था। 12 मामलों में यह पाया गया था कि निवेश/पुनर्निवेश के संबंध में निर्णय में एमएईएफ द्वारा 2014-15 से 2020-21 (दिसंबर 2020 तक) के बीच की अवधि के दौरान 02 से 54 दिनों के बीच का विलम्ब किया गया था। जिसका परिणाम कुल ₹56.32 लाख के ब्याज की हानि में हुआ जैसा **अनुलग्नक-9.1** में विवरण दिया गया है।

---

[1] (1) संयुक्त सचिव, एमओएमए, (2) खजांची, एमएईएफ तथा (3) सचिव, एमएईएफ को शामिल करते हुए

[2] एमएईएफ ने वित्तीय वर्ष 1992-93 से वित्तीय वर्ष 2017-18 तक एमओएमए से कॉर्पस के रूप में ₹1362 करोड़ प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त, एमएईएफ ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड (₹0.05 करोड़), भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (₹0.02 करोड़) तथा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (₹0.05 करोड़) जैसे स्त्रोतों से ₹0.12 करोड़ भी प्राप्त किए।

(ii) विलम्ब निवेश/पुनर्निवेश की अवधि का निर्णय लेने तथा बैंकों के चयन में शामिल प्रक्रियाओं, क्योंकि यह पूर्व अनुमोदित नहीं थीं, पुराने बैंकों को नए में निधि को प्रेषित करने के पत्र की सुपुर्दगी में विलम्ब, अनुमोदन प्राप्त करने हेतु फाइलों के संसाधन में विलम्ब आदि को आरोपनीय थे। यह सभी प्रशासनिक कारण हैं तथा इससे बेहतर समन्वय तथा नियोजन के साथ बचा जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (जून 2021) किए जाने पर, एमएईएफ ने कॉर्पस निधियों के पुनर्निवेश/निवेश में प्रक्रियात्मक विलम्बों को स्वीकार किया (जुलाई 2021/दिसंबर 2022) तथा बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए आठ मामलों में परिपक्व प्राप्तियों को यूको बैंक बचत खाते में क्रेडिट किया गया था तथा इसको उसी दिन, सावधि जमा के मामले के समान ब्याज की दर वहन करने वाले फ्लेक्सी खाते में अंतरित किया गया था। उसने आगे बताया कि बैंकों को ब्याज की दरों की मांग करने वाले पत्र ई-मेल के माध्यम से भेजे जाते हैं तथा हाथ से भी वितरित किए जाते हैं जैसा एमएईएफ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है, तथा बैंकों से प्राप्त ई-मेलों को निवेश समिति के सदस्यों की उपस्थिति में खोला जाता है। निवेश समिति फिर बैंकों द्वारा प्रस्तावित ब्याज की दरों का विश्लेषण करती है तथा ब्याज की सर्वोत्तम दर देने वाले बैंक में निधि के निवेश की सिफारिश करती है। उसने दावा किया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए विलम्ब के सभी मामलों में निवेश हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया था परंतु विलम्ब कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों तथा प्रशासनिक कारणों की वजह से था तथा निवेश/पुनर्निवेश की प्रक्रिया सदैव समय पर प्रारम्भ की गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सावधि जमा बैंक खातों मे निवेश/पुनर्निवेश एमएईएफ के लिए ज्ञात प्रसंग है क्योंकि उनके पास निश्चित तिथियों पर परिपक्व हो रहे निवेशों/संस्वीकृत किए जा रहे सहायता अनुदान के सभी विवरण हैं। इसलिए समय से निवेश/पुनर्निवेश करने का दायित्व एमएईएफ पर था। आगे, यह तर्क कि फलेक्सी खाते की दर सावधि जमा की दर के समान है स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फ्लेक्सी खाते पर प्रदान किए गए ब्याज की दर के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, चूंकि दोनों जमा खाते अलग समय अवधि के लिए हैं इसलिए वे ब्याज की एक ही दर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसा **अनुलग्नक-9.1** में देखा गया है कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामलों में पुनर्निवेश प्रक्रिया परिपक्वता से एक से 14 दिनों पूर्व प्रारम्भ की गई थी (कॉलम डी), एक मामले में इसे एफडी की परिपक्वता के 48 दिनों के पश्चात् प्रारम्भ की गई थी। साथ ही लेखापरीक्षा

का विचार है कि बैंकों से ई-मेल के माध्यम से ब्याज दरों की मांग करना संपूर्ण प्रक्रिया के गोपनीयता पहलू को संभावित रूप से प्रभावित कर सकता है।

इस प्रकार, यदि एमएईएफ ने अपने निवेशों को कुशल तथा नियोजित रूप से प्रबंधित किया होता तो ₹56.32 लाख के ब्याज की हानि से बचा जा सकता था।

मामला नवम्बर 2022 में मंत्रालय को सूचित किया गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2023)।

नई दिल्ली **(सुबु आर)**
दिनांक : 19 दिसम्बर 2023 **प्रधान निदेशक (स्वायत्त निकाय)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांक : 20 दिसम्बर 2023 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(पैराग्राफ सं. 1.8 को संदर्भित)

31 मार्च 2022 को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में बकाया

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	कब से देय	विलंब वर्ष/वर्षों में
	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय		
1.	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली	2020-21	1
	संस्कृति मंत्रालय		
2.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तंजावुर	2020-21	1
3.	जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, अमृतसर	2016-17	5
	शिक्षा मंत्रालय		
4.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचूर	2020-21	1
5.	ऑरोविले फाउंडेशन, ऑरोविले	2020-21	1
6.	केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई	2020-21	1
7.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम, तमिलनाडु	2020-21	1
	भारी उद्योग मंत्रालय		
8.	नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, नई दिल्ली	2014-15	7
	गृह मंत्रालय		
9.	नगर परिषद, पोर्ट ब्लेयर	2020-21	1
10.	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, पोर्ट ब्लेयर	2017-18	4
11.	चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़	2018-19	3
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		
12.	लक्षद्वीप केवीआई बोर्ड, यूटीएल	2015-16	6
	जल शक्ति मंत्रालय		
13.	कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद	2020-21	1
14.	गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद	2020-21	1

परिशिष्ट-II

(पैराग्राफ सं. 1.9 को संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लेखापरीक्षित लेखे संसद में प्रस्तुत नहीं किए गए (31 दिसम्बर 2021 तक)

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
1.	राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, तेलंगाना
2.	रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी
3.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव
4.	नारियल विकास बोर्ड
5.	पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
	आयुष मंत्रालय
6.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (एनईआईएफएम), पासीघाट, अरूणाचल प्रदेश
7.	आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर
8.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
9.	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद
10.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई
11.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली
12.	केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
13.	केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
14.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
15.	राष्ट्रीय हौम्योपेथी संस्थान, कोलकाता
16.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा, संस्थान पुणे
17.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
18.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली
19.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद
20.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
21.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
22.	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन न्यास
23.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्रकाधिकरण
24.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
25.	भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता
26.	कॉफी बोर्ड (संशोधित लेखे)
27.	तम्बाकू बोर्ड
28.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
29.	कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
30.	फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
31.	विशाखापटनम विशेष आर्थिक क्षेत्र
32.	कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, गांधीधाम
	संचार और सूचना तकनीकी मंत्रालय
33.	भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)
34.	भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टाई)- सीपीएफ
	उपभोक्ता मामले मंत्रालय
35.	भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)
	संस्कृति मंत्रालय
36.	बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र, तवांग मठ विद्यालय, अरूणाचल प्रदेश
37.	जीआरएल मठवासी विद्यालय, बोमडीला (बौद्ध संस्कृति संरक्षण सोसायटी) अरूणाचल प्रदेश
38.	तिब्बती कार्य और अभिलेखागार पुस्तकालय, धर्मशाला
39.	दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी
40.	नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली
41.	एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता
42.	भारतीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता
43.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता
44.	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर
45.	केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
46.	कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई
47.	इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, इलाहाबाद
48.	खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना
	शिक्षा मंत्रालय
49.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
50.	योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा
51.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
52.	ओड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट, ओड़ीसा

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
53.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भुवनेश्वर, ओड़ीसा
54.	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, (आईआईएसईआर), बेरहामपुर, ओडिशा
55.	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) संबलपुर, ओड़ीसा
56.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), निर्जुली, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश
57.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
58.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोध-गया
59.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (भारतीय खानि विद्यापीठ), धनबाद
60.	राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, हतिया, रांची
61.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
62.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस
63.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (एनआर), कानपुर
64.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी-बीएचयू), वाराणसी
65.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
66.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
67.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर
68.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद
69.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर
70.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
71.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, (आईआईआईटी), वडोदरा
72.	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रोहतक
73.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र
74.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा, पंजाब
75.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर
76.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरतकल, कर्नाटक
77.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इन्दौर
78.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इन्दौर
79.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
80.	राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल
81.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
82.	योजना और वास्तुकला विद्यालय, भोपाल

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
83.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
84.	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रायपुर
85.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) मिजोरम
86.	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक
87.	तमिलनाडू केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवारूर
88.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
89.	भातीय प्रबंधन संस्थान, त्रिचरापल्ली
90.	भारतीय सूचना प्रौदयोगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम
91.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) कारैकाल पुदुचेरी
92.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड
93.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), कोट्टायम
94.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), पालक्काड़
95.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
96.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
97.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
98.	केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
99.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
100.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली
101.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली
102.	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
103.	योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
104.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
105.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
106.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
107.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
108.	केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
109.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
110.	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), नागपुर
111.	राष्ट्रीय औद्योगिकी अभियांत्रिकी संस्थान (एनआईटीआईई), मुम्बई
112.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर
113.	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
	इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
114.	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
115.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली
116.	राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, चेन्नई
	विदेश मंत्रालय
117.	अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासन केंद्र
	वित्त मंत्रालय
118.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
119.	पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण
	मत्स्यन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
120.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़
	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय
121.	भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
122.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), मंगलगिरि, एपी
123.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भुवनेश्वर, ओडिशा
124.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना
125.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायबरेली
126.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), ऋषिकेश, उत्तराखण्ड
127.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर
128.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
129.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बैंगलोर
130.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायपुर
131.	उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस), शिलांग
132.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर स्वास्थ्य शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमईआर), पुदुचेरी
133.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
134.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, (एम्स), कल्याणी
135.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, (एम्स), नागपुर
136.	भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली
137.	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
138.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, दिल्ली
139.	योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
	गृह मंत्रालय
140.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
141.	भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण
	आवासन और शहरी मंत्रालय
142.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
143.	राजघाट समाधि समिति
	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
144.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
	जल शक्ति मंत्रालय
145.	बेतवा नदी बोर्ड
146.	ब्रहमपुत्र बोर्ड
147.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण
148.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
149.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
	श्रम और रोजगार मंत्रालय
150.	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा
	विधि और न्याय मंत्रालय
151.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
152.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यूटी, चण्डीगढ़
153.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यूटी, चण्डीगढ़
	सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय
154.	कॉयर बोर्ड
	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
155.	केंद्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली
156.	अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
157.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड
158.	तेल उद्योग विकास बोर्ड
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
159.	मुम्बई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास
160.	मुम्बई पत्तन प्राधिकरण
161.	पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप
162.	चेन्नई पत्तन प्राधिकरण

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
163.	वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन प्राधिकरण
	विद्युत मंत्रालय
164.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
165.	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और यूटी के लिए)
	विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय
166.	विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली
167.	क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद
	कौशल विकास मंत्रालय
168.	राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मिडिया संस्थान, चेन्नई
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
169.	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यागंजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद (दिव्यांग) पूर्व में राष्ट्रीय विकलांग संस्थान के रूप में जाना जाता था
170.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक, ओडिसा
171.	भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली
172.	राष्ट्रीय ऑटिज्म सेरीब्रल पाल्सी, मानसिक मंदबुद्धि तथा बहुविकलांगता कल्याण न्यास
173.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान, मुम्बई
174.	राष्ट्रीय हड्डी रोग विकलांगता संस्थान, कोलकाता
	जनजातीय कार्य मंत्रालय
175.	जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी
	महिला और बाल विकास मंत्रालय
176.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
177.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली

परिशिष्ट-III

(पैराग्राफ सं. 1.9 को संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षित लेखे संसद में प्रस्तुत नहीं किए गए (31 दिसम्बर 2022 तक)

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
1.	राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद
2.	डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
3.	रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी
4.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव
5.	नारियल विकास बोर्ड
6.	पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
	आयुष मंत्रालय
7.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (एनईआईएफएम), पासीघाट, अरूणाचल प्रदेश
8.	आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान परिषद, जामनगर
9.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
10.	राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान (एनआईएसआर), लेह
11.	केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद्
12.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई
13.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान
14.	केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
15.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
16.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
17.	राष्ट्रीय होम्योपैथी परिषद्
18.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली
19.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
20.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर
21.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
22.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
23.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
24.	कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद विकास प्राधिकरण
25.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, एमपी
26.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, कुरूक्षेत्र
27.	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
28.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद
29.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम
30.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्रप्रदेश
31.	तम्बाकू बोर्ड
32.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड) प्राधिकरण
33.	मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
34.	फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
35.	सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण मुम्बई
36.	काण्डला विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, गांधीधाम
	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
37.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई)
38.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई)-सीपीएफ
	उपभोक्ता मामले मंत्रालय
39.	भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)
	संस्कृति मंत्रालय
40.	सालारजंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद
41.	केंद्रीय हिमालयन सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान, अरूणाचल प्रदेश
42.	बौद्ध सांस्कृति अध्ययन केंद्र, तवांग मठ विद्यालय, अरूणाचल प्रदेश
43.	जीआरएल मठ विद्यालय, बोमडीला (बोद्ध संस्कृति संरक्षण सोसायटी), अरूणाचल प्रदेश
44.	केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
45.	तिब्बती कार्य और अभिलेखागार पुस्तकालय, धर्मशाला
46.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल
47.	सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली
48.	दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी
49.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
50.	राष्ट्रीय नाटक विद्यालय, नई दिल्ली
51.	नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली
52.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
53.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
54.	राजा राम मोहन रॉय पुस्तकालय फाउण्डेशन, कोलकाता
55.	मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता
56.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता
57.	गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली
58.	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर
59.	केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
60.	उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला
61.	इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, इलाहाबाद
62.	खुदा बख्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना
63.	उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इलाहाबाद
64.	रामपुर राजा पुस्तकालाय बोर्ड, रामपुर
65.	राष्ट्रीय कला संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
	रक्षा मंत्रालय
66.	जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान, जम्मू एवं कश्मीर
67.	वैमानिकी विकास अभिकरण, बैंगलूरू
	शिक्षा मंत्रालय
68.	आंध्रप्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (सीटीयूएपी), विजयानारारम
69.	आंध्रप्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम
70.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दु विश्वविद्यालय, हैदराबाद
71.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, हैदराबाद

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
72.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
73.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (एनआईटी), ताडेपल्लीगुडम, आंध्रप्रेदश
74.	योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा
75.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं विश्वविद्यालय, हैदराबाद
76.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
77.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिनिर्माण संस्थान, (आईआईटीडीएम), कुर्नूल
78.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (आईआईटी), तिरूपति
79.	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट, ओडिशा
80.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भुवनेश्वर, ओडिशा
81.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला, ओडिशा
82.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), बेरहामपुर, ओडिशा
83.	भारतीय प्रंबधन संस्थान (आईआईएम), संबलपुर, ओडिशा
84.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), यूपीआ, अरूणाचल प्रदेश
85.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), निर्जुली, ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश
86.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
87.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
88.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोध-गया
89.	महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी, बिहार
90.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची
91.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) (भारतीय खनि विद्यापीठ धनबाद)
92.	राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची (भूतपूर्व-राष्ट्रीय फाउण्डी एवं फॉर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, हतिया, रांची)
93.	राष्ट्रीय प्रौदियोगिकी संस्थान, जमशेदपुर
94.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
95.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
96.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
97.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (आईआईटी-बीएचयू), वाराणसी
98.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
99.	केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा
100.	मोतीलाल नेहरू, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
101.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), लखनऊ
102.	नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा
103.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर
104.	हेमवती नंदन बहुगुणा गड़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड
105.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), पौडी, उत्तराखंड
106.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद
107.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
108.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), बड़ोदरा
109.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़ (अजमेर)
110.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राजस्थान, जोधपुर
111.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
112.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), कोटा
113.	हरियाणा केंद्रीय विश्वविदयालय, नारनौल/महेंद्रगढ़
114.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र
115.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), सोनीपत
116.	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
117.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला
118.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मण्डी, हिमाचल प्रदेश
119.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
120.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
121.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), ऊना, हिमाचलप्रदेश
122.	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
123.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हजरतबल, श्रीनगर
124.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (आईआईटी), जम्मू

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
125.	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), जम्मू
126.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बढिंडा, पंजाब
127.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
128.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
129.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर
130.	एबी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
131.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इन्दौर
132.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इन्दौर
133.	महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, मध्यप्रदेश
134.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
135.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल
136.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
137.	योजना और वास्तुकला विद्यालय, भोपाल
138.	भारतीय सूचना प्रौदयोगिकी संस्थान (आईआईआईटी), भोपाल
139.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
140.	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रायपुर
141.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर
142.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), मणिपुर
143.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), शिलांग
144.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
145.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), मिजोरम
146.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा
147.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), नागालैंड
148.	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक
149.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवारूर
150.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
151.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिचिरापल्ली
152.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
153.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), कारैकाल, पुदुचेरी
154.	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड़
155.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड़
156.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) कोट्टायम
157.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट
158.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
159.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
160.	केंद्रीय तिब्बती विद्यालयी प्रशासन, नई दिल्ली
161.	दिल्ली विश्वविद्यालय
162.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
163.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
164.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
165.	केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
166.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
167.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली
168.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली
169.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
170.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली
171.	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
172.	राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी
173.	योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
174.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
175.	व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता
176.	राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
177.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
178.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
179.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), कल्याणी, पश्चिम बंगाल
180.	केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
181.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
182.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर
183.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर
184.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
185.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), पुणे
186.	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), नागपुर
187.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), गोवा
188.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गोवा
189.	राष्ट्रीय बाल भवन सोसायटी, नई दिल्ली
	इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
190.	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)
	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
191.	केंद्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली
192.	राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, चेन्नई
193.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
194.	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और विनियोजन प्राधिकरण (सीएएमपीए), दिल्ली
195.	वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), नई दिल्ली
	विदेश मंत्रालय
196.	नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, बिहार
197.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली
198.	भारतीय वैश्विक परिषद
199.	दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय
200.	भारतीय प्रवासन केंद्र
	वित्त मंत्रालय
201.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
202.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़
203.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
204.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
205.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), बीबीनगर, हैदराबाद
206.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), मंगलगिरि, एपी
207.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भुवनेश्वर, ओडिशा
208.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना
209.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), देवघर
210.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), गोरखपुर
211.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायबरेली
212.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), ऋषिकेश
213.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर
214.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
215.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), विजयपुरा, जम्मू
216.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), बठिंडा, पंजाब
217.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, (पीजीआई एमईआर), चण्डीगढ़
218.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बैंगलोर
219.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल
220.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायपुर
221.	उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस), शिलांग
222.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली
223.	केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी
224.	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
225.	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
226.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली
227.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), कल्याणी
228.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
229.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), गुवाहाटी

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
230.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नागपुर
231.	भारतीय दंत परिषद्, नई दिल्ली
232.	भारतीय नर्सिंग परिषद्, नई दिल्ली
233.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
234.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, दिल्ली
235.	भारतीय फार्मेसी परिषद्, नई दिल्ली
236.	केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
	गृह मंत्रालय
237.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
238.	भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण
	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
239.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
240.	राजघाट समाधि समिति
241.	दिल्ली विकास प्राधिकरण
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
242.	भारतीय प्रेस परिषद्
	श्रम और रोजगार मंत्रालय
243.	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा
	विधि और न्याय मंत्रालय
244.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल
245.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
246.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यूटी, चण्डीगढ़
247.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यूटी, चण्डीगढ़
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय
248.	खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग
	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
249.	केंद्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली
250.	दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
251.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
252.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण
253.	दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण
254.	महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
255.	कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड, कोलकाता
256.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता
257.	परादीप पत्तन प्राधिकरण, परादीप (भूतपूर्व पारादीप पत्तन न्यास)
258.	विशाखापटनम पत्तन न्यास
259.	न्यू मैंगलोर पत्तन प्राधिकरण
260.	कोचीन पत्तन प्राधिकरण
261.	चेन्नई पत्तन प्राधिकरण
262.	वी.ओ. चिदम्बरानार पत्तन प्राधिकरण
263.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय
	विद्युत मंत्रालय
264.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
265.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
	कौशल विकास मंत्रालय
266.	राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण, नई दिल्ली (राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्)
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
267.	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद
268.	राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन संस्थान), देहरादून
269.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सिहोर, भोपाल
270.	राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई
271.	आत्मविमोह, मस्तिष्क पक्षाघात, मंदबुद्धि और बहु विकलांगता व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास (राष्ट्रीय न्यास)

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
272.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली
273.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवणबाधित दिव्यांगजन संस्थान, मुम्बई
274.	राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (दिव्यांगजन) कोलकाता (पूर्व राष्ट्रीय हड्डी रोग विकलांगता संस्थान, कोलकाता)
	वस्त्र मंत्रालय
275.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
	जनजातीय कार्य मंत्रालय
276.	राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति
	महिला और बाल विकास मंत्रालय
277.	चण्डीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग, चण्डीगढ़
278.	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली
279.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
280.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
281.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
282.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली
283.	राष्ट्रीय डोप-रोधी एजेंसी, नई दिल्ली

परिशिष्ट-IV

(पैराग्राफ सं. 1.12 को संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
1.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि
2.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद
3.	रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झाँसी
4.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
5.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव
	आयुष मंत्रालय
6.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
7.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई
8.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
9.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे
10.	केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
11.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली
12.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली
13.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
14.	केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
15.	केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
16.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली
17.	भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली
18.	केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
19.	उत्तर पूर्वी आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, मेघालय
20.	उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान पासीघाट
21.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलोर
22.	राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान, लेह
	नागरिक उड्डयन मंत्रालय
23.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
24.	राष्ट्रीय औषधि, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बालानगर, हैदराबाद
25.	राष्ट्रीय औषधि, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी
26.	राष्ट्रीय औषधि, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
27.	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
28.	राष्ट्रीय औषधि, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
29.	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, जोरहाट
30.	भारतीय चाय बोर्ड
31.	तम्बाकू बोर्ड
32.	कॉफ़ी बोर्ड
33.	मसाला बोर्ड
34.	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
	संस्कृति मंत्रालय
35.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तंजावुर
36.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता
37.	एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता
38.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली
39.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
40.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, नई दिल्ली
41.	रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, रामपुर
42.	खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना
43.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला
44.	तिब्बती कार्य एवं पुरालेख पुस्तकालय, धर्मशाला
45.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, दीमापुर
	रक्षा मंत्रालय
46.	राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान (एनआईएमएएस), दिरांग, अरुणाचल प्रदेश
	शिक्षा मंत्रालय
47.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना
48.	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, नारनौल/महेंद्रगढ़
49.	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
50.	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर
51.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हजरतबल, श्री नगर
52.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
53.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिपुरा
54.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा
55.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर
56.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल
57.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
58.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा
59.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड
60.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
61.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर
62.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा
63.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोटे
64.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश
65.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवारूर
66.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिची
67.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी
68.	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड
69.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट
70.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़
71.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,भोपाल
72.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल
73.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
74.	डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
75.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई
76.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरूपति
77.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, हैदराबाद
78.	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
79.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, करनूल
80.	आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम
81.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
82.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ताडेपल्लीडगुडेम, ए.पी
83.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
84.	राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरूपति
85.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
86.	आंध्र प्रदेश का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनाररम
87.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला
88.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बेरहामपुर
89.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर, असम
90.	केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार, असम
91.	गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मालदा
92.	भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
93.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
94.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर
95.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर
96.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल
97.	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
98.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा
99.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे
100.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुंबई
101.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर
102.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे
103.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, नागपुर
104.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे
105.	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई
106.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
107.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
108.	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
109.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
110.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
111.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
112.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
113.	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
114.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली
115.	नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली
116.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली
117.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची
118.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, हटिया, रांची
119.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची
120.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद
121.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
122.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ
123.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
124.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी
125.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
126.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा
127.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखंड

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
128.	गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय, हरिद्वार
129.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
130.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर
131.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
132.	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी
133.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
134.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
135.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर
136.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोध-गया
137.	महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार
138.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा
139.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
140.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
141.	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
142.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम
143.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
144.	राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, चंडीगढ़
	विदेश मंत्रालय
145.	दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग)
146.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
147.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, तंजावुर
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
148.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
149.	जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुदुचेरी
150.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
151.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलगिरि, आंध्र प्रदेश
152.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बीबीनगर, हैदराबाद, तेलंगाना
153.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
154.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी, असम
155.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
156.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
157.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
158.	भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली
159.	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
160.	फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
161.	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
162.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
163.	नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली
164.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली
165.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली
166.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली
167.	सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसायटी, नई दिल्ली
168.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मेघालय
169.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर
170.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली
171.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
172.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर
173.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना
174.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा
175.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर
176.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
177.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा (जम्मू-कश्मीर)
178.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, विजयपुर (जम्मू-कश्मीर)
179.	क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मणिपुर
	गृह मंत्रालय
180.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
181.	चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़
	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
182.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
183.	प्रसार भारती, नई दिल्ली
	जल शक्ति मंत्रालय
184.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर
185.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
	श्रम और रोजगार मंत्रालय
186.	केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर (दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड)

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
	विधि एवं न्याय मंत्रालय
187.	राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
188.	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़
	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
189.	भारतीय हज समिति, मुंबई
190.	दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर
191.	केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली
	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
192.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
193.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड
194.	वी.ओ चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण
	विद्युत मंत्रालय
195.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)
196.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
	रेल मंत्रालय
197.	रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डीएसटी)
198.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली
199.	श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डीएसआईआर)
200.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डीबीटी)
201.	क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, फ़रीदाबाद
	कौशल विकास मंत्रालय
202.	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
203.	राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद
204.	राष्ट्रीय लोकोमोटर विकलांगता संस्थान (दिव्यांगजन), कोलकाता
205.	अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, मुंबई
206.	पं. दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग व्यक्ति संस्थान, नई दिल्ली
207.	भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली
208.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली
209.	ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट, नई दिल्ली

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
	वस्त्र मंत्रालय
210.	केंद्रीय रेशम बोर्ड
211.	वस्त्र समिति
	पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय
212.	सालार जंग संग्रहालय (एसजेएम), हैदराबाद
	जनजातीय कार्य मंत्रालय
213.	जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी, नई दिल्ली
	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
214.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
215.	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली
	खेल और युवा मामले मंत्रालय
216.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
217.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरंबुदूर, चेन्नई
218.	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली
219.	नेहरू युवा केंद्र संगठन, नई दिल्ली
220.	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, मणिपुर

परिशिष्ट-V

(पैराग्राफ सं. 1.12 को संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम
	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
1.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रबंधन संस्थान (एमएएनएजीई), हैदराबाद
2.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
	आयुष मंत्रालय
3.	केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
4.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली
	नागर विमानन मंत्रालय
5.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
6.	राष्ट्रीय औषधि, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
	कोयला मंत्रालय
7.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
8.	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, जोरहाट
9.	चाय बोर्ड भारत
10.	मसाला बोर्ड
11.	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
12.	भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण एजेंसियां- दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और कोच्चि
13.	सांताक्रूज़ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन (सीप्ज) - विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), प्राधिकरण, मुंबई
	संस्कृति मंत्रालय
14.	बौद्ध संस्कृति संरक्षण सोसायटी, बोमडिला
15.	केंद्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान, दाहुंग
16.	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता
17.	दि एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता
18.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता
19.	अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, नई दिल्ली
20.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
21.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
22.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम
23.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
24.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
25.	रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, रामपुर
26.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नोएडा
27.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एनईजेडसीसी), दीमापुर
	रक्षा मंत्रालय
28.	वैमानिकी विकास एजेंसी, बेंगलुरु
	शिक्षा मंत्रालय
29.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
30.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर
31.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर
32.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोटे
33.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश
34.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिचिरापल्ली
35.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
36.	केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई
37.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझिकोड
38.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट
39.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक
40.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,भोपाल
41.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
42.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
43.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
44.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई
45.	एबी वाजपेई भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
46.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर
47.	मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी,हैदराबाद
48.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, करनूल।
49.	आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम
50.	आंध्र प्रदेश का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनाररम
51.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला
52.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बेरहामपुर, ओडिशा
53.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर, असम
54.	केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार, असम

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम
55.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी, पश्चिम बंगाल
56.	भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
57.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
58.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
59.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
60.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर
61.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल
62.	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा।
63.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे
64.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
65.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
66.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
67.	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
68.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
69.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर
70.	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर
71.	राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात
72.	राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर
73.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची
74.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची
75.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, हतिया, रांची
76.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची
77.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद
78.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
79.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
80.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा
81.	सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम
82.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम
83.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर
84.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
85.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
86.	महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार
87.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा
88.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
89.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम
90.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़
91.	संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बठिंडा
92.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
93.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर
94.	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, नारनौल/महेंद्रगढ़
95.	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
96.	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर
97.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हजरतबल, श्रीनगर
98.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू
99.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
100.	मिज़ोरम विश्वविद्यालय, आइजोल
101.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम
102.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर
103.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल
104.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर
105.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा
106.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड
	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
107.	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली
	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
108.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
109.	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून
110.	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैंपा), दिल्ली
111.	राज्य प्रतिपूरक वनिकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, चण्डीगढ
	विदेश मंत्रालय
112.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली
113.	दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
114.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
115.	जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुदुचेरी
116.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
117.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी, असम
118.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
119.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम
120.	चिकित्सा विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड
121.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
122.	राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नई दिल्ली
123.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट।
124.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर
125.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
126.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना
127.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा
128.	पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़
129.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा (जम्मू-कश्मीर)
130.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, विजयपुर (जम्मू-कश्मीर)
	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
131.	दिल्ली एनसीटी के लिए रियल एस्टेट विनियमन और विकास प्राधिकरण
	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
132.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
133.	प्रसार भारती, नई दिल्ली
	जल शक्ति मंत्रालय
134.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली
135.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
136.	खादी और ग्राम उद्योग आयोग
	पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय
137.	मुंबई पत्तन प्राधिकरण
138.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन
139.	पारादीप पत्तन प्राधिकरण
140.	विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण
141.	वी.ओ चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डीएसआईआर)
142.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डीबीटी)
143.	क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, फ़रीदाबाद
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
144.	अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीस, मुंबई
145.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली
146.	पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग व्यक्ति संस्थान, नई दिल्ली

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम
147.	ओटिज़्म सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट, नई दिल्ली
	शक्ति मंत्रालय
148.	राष्ट्रीय शक्ति प्रशिक्षण संस्थान
	वस्त्र मंत्रालय
149.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड
	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
150.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
151.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
	युवा मामले और खेल मंत्रालय
152.	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, मणिपुर

परिशिष्ट-VI

(पैराग्राफ़ सं. 1.12 को संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां माल-सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया

क्र.सं.	सीएबी का नाम
	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
1.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (एमएएनएजीई), हैदराबाद
2.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
3.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव
	आयुष मंत्रालय
4.	केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
5.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली
6.	केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
7.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
	संचार मंत्रालय
8.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जोरहाट
9.	भारतीय चाय बोर्ड
10.	मसाला बोर्ड
	संचार मंत्रालय
11.	भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
	संस्कृति मंत्रालय
12.	बौद्ध संस्कृति संरक्षण सोसायटी, बोमडिला
13.	केंद्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान, दाहुंग
14.	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता
15.	एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता
16.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता
17.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
18.	अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, नई दिल्ली
19.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
20.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
21.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
22.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
23.	तिब्बती कार्य एवं पुरालेख पुस्तकालय, धर्मशाला
24.	केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलमसर, लद्दाख
25.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, दीमापुर
26.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली

क्र.सं.	सीएबी का नाम
27.	केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी
28.	रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, रामपुर
	रक्षा मंत्रालय
29.	वैमानिकी विकास एजेंसी, बेंगलुरु
	शिक्षा मंत्रालय
30.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, डिंडीगुल
31.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
32.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
33.	केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई
34.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट
35.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,भोपाल
36.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
37.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
38.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ)
39.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई
40.	एबी वाजपेई भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
41.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर
42.	मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी,हैदराबाद
43.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कुरनूल।
44.	आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम
45.	योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा
46.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
47.	आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनाररम
48.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला
49.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बेरहामपुर, ओडिशा
50.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर, असम
51.	केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार, असम
52.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी, पश्चिम बंगाल
53.	भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
54.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
55.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
56.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
57.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर
58.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल

क्र.सं.	सीएबी का नाम
59.	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
60.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा
61.	राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुंबई
62.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुंबई
63.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे
64.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा
65.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
66.	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
67.	योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
68.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा
69.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
70.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़
71.	संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बठिंडा
72.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अमृतसर
73.	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
74.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
75.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना
76.	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, नारनौल/महेंद्रगढ़
77.	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
78.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हजरतबल, श्री नगर
79.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू
80.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल
81.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम
82.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला
83.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर
84.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल
85.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर
86.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा
87.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
88.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोटे
89.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश
90.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची
91.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची
92.	राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान हतिया, रांची
93.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची

क्र.सं.	सीएबी का नाम
94.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद
95.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
96.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
97.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा
98.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखंड
99.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर
100.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
101.	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
102.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
103.	महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार
104.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
105.	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर
	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
106.	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली
	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
107.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
108.	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून
109.	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए), दिल्ली
110.	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, चंडीगढ़
	वित्त मंत्रालय
111.	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, गांधीनगर
	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
112.	भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
113.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
114.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी, असम
115.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
116.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
117.	इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली
118.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली
119.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट
120.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर
121.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना
122.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा

क्र.सं.	सीएबी का नाम
123.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर
124.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
125.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा (जम्मू-कश्मीर)
126.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, विजयपुर (जम्मू-कश्मीर)
	गृह मंत्रालय
127.	राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात
128.	राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
129.	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक
130.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम
	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
131.	प्रसार भारती, नई दिल्ली
	जल शक्ति मंत्रालय
132.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
133.	भारतीय हज समिति, मुंबई
	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
134.	राजीव गांधी पेट्रोलियम एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
135.	मुंबई पत्तन प्राधिकरण
136.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन
137.	पारादीप पत्तन प्राधिकरण
138.	वी.ओ चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण
	विद्युत मंत्रालय
139.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए))
140.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डीएसआईआर)
141.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डीबीटी)
142.	क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
143.	राष्ट्रीय न्यास स्वपरायणता, प्रमस्तिकघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए, नई दिल्ली
	वस्त्र मंत्रालय
144.	केंद्रीय रेशम बोर्ड

क्र.सं.	सीएबी का नाम
	जनजातीय कार्य मंत्रालय
145.	जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी
	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
146.	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली
	युवा मामले और खेल मंत्रालय
147.	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, मणिपुर

परिशिष्ट-VII

(पैराग्राफ सं. 1.13 को संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जो वसूली/नकद आधार पर अनुदान को लेखाबद्ध कर रहे हैं

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
1.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि
2.	रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि, झाँसी
3.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
4.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव
5.	पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
6.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
	आयुर्वेद मंत्रालय
7.	उत्तर पूर्वी आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, मेघालय
8.	पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान, पासीघाट
9.	राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान, लेह
	नागर विमानन मंत्रालय
10.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय
11.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
12.	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी
13.	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
14.	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,रायबरेली
15.	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,हाजीपुर
16.	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
17.	चाय बोर्ड भारत
18.	मसाला बोर्ड
19.	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
20.	भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण अभिकरण - दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और कोच्चि
21.	फुटवियर डिज़ाइन एवं विकास संस्थान
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
22.	भण्डारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
23.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
24.	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
25.	निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण
	संस्कृति मंत्रालय
26.	बौद्ध संस्कृति संरक्षण सोसायटी, बोमडिला
27.	केंद्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान, दाहुंग
28.	बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र, तवांग
29.	पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता
30.	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता
31.	एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता
32.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
33.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली
34.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
35.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
36.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
37.	नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली
38.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
39.	केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी
40.	इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, इलाहाबाद
41.	खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना
42.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला
43.	जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, अमृतसर
44.	तिब्बती कार्य एवं पुरालेख पुस्तकालय, धर्मशाला
45.	केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलमसर, लद्दाख
46.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, दीमापुर
	रक्षा मंत्रालय
47.	वैमानिकी विकास एजेंसी, बेंगलुरु
48.	जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान, पहलगाम
	शिक्षा मंत्रालय
49.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश
50.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट
51.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़
52.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम
53.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझिकोड
54.	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड
55.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे
56.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
57.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
58.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, (एनआर) कानपुर
59.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
60.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ
61.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
62.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की
63.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा
64.	नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा
65.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
66.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
67.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर
68.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोध-गया
69.	महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार
70.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिपुरा
71.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला
72.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर
73.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल
74.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर
75.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा
76.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड
	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
77.	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, चंडीगढ़
	विदेश मंत्रालय
78.	नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर, बिहार
	वित्त मंत्रालय
79.	तनावग्रस्त संपत्ति स्थिरीकरण कोष
80.	पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
81.	भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
82.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी
83.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
84.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
85.	नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली
86.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
87.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मेघालय
88.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
89.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना
90.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा
91.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर
92.	स्नानत्तकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
93.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा (जम्मू-कश्मीर)
94.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, विजयपुर (जम्मू-कश्मीर)
	भारी उद्योग मंत्रालय
95.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी
	गृह मंत्रालय
96.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
97.	चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग, चंडीगढ़
	आवासन और शहरी मामले मंत्रालय
98.	राजघाट समाधि समिति
99.	दिल्ली शहरी कला आयोग
100.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
101.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
102.	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक
103.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम
	जल शक्ति मंत्रालय
104.	बेतवा नदी बोर्ड, झाँसी
105.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली
106.	राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की
107.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, विजय नगर, इंदौर
108.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
109.	राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली
	श्रम और रोजगार मंत्रालय
110.	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा
	विधि एवं न्याय मंत्रालय
111.	राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
112.	राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़
113.	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
114.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
115.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड
116.	राजीव गांधी पेट्रोलियम एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
117.	तेल उद्योग विकास बोर्ड
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
118.	मुंबई पत्तन प्राधिकरण
119.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण
120.	दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण
121.	मोरमुगाओ पत्तन प्राधिकरण
122.	प्रमुख पत्तन के लिए टैरिफ प्राधिकरण
123.	मुंबई पोर्ट अथॉरिटी पेंशन फंड ट्रस्ट
124.	पारादीप पत्तन प्राधिकरण
	विद्युत मंत्रालय
125.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (गोवा राज्य एवं यूटी)
126.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान
127.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
	रेल मंत्रालय
128.	रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए)
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डीएसटी)
129.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली
130.	श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम
131.	विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
132.	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून (तत्कालीन एनआईवीएच, देहरादून)
133.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली
	वस्त्र मंत्रालय
134.	वस्त्र समिति
	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय
135.	नेहरू युवा केंद्र संगठन, नई दिल्ली
136.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली
137.	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली
138.	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, मणिपुर

परिशिष्ट-VIII

(पैराग्राफ सं. 1.13 को संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने न तो ब्याज लौटाया और न ही अपने वार्षिक लेखाओं में इसके लिए देयता सृजित की

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
	आयुष मंत्रालय
1.	केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
2.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
	नागर विमानन मंत्रालय
3.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण
4.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
5.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
6.	भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण अभिकरण- दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और कोच्चि
7.	राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान, भोपाल
	संस्कृति मंत्रालय
8.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
9.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
10.	एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता
11.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, दीमापुर
	शिक्षा मंत्रालय
12.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची
13.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची
14.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद
15.	मिज़ोरम विश्वविद्यालय, आइज़वाल।
16.	राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, रांची
17.	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक
18.	संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बठिंडा
19.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
20.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र
21.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा
22.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़
23.	राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ),तिरुपति
24.	केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
25.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
26.	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
27.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
28.	एबी वाजपेई भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
29.	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए), दिल्ली
	विदेश मंत्रालय
30.	दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
31.	भण्डारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
32.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा (जम्मू-कश्मीर)
33.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, विजयपुरा (जम्मू-कश्मीर)
34.	स्नानत्तकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
35.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा
	विधि एवं न्याय मंत्रालय
36.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल
	माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
37.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
38.	कोचीन पत्तन प्राधिकरण
39.	मोरमुगाओ पत्तन प्राधिकरण
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
40.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली
41.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
	वस्त्र मंत्रालय
42.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड
43.	केंद्रीय रेशम बोर्ड
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
44.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर, भोपाल
	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
45.	चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग, चंडीगढ़

सीएबी की सूची जिन्होंने एकल बचत बैंक खाता होने के कारण ब्याज की गणना नहीं की है

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के नाम
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
1.	राष्ट्रीय औषधि, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
	संस्कृति मंत्रालय
2.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता
	शिक्षा मंत्रालय
3.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची
4.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अमृतसर
5.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
6.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना
7.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हजरतबल, श्रीनगर
8.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू
9.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा
10.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूपति, चित्तूर
11.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
	युवा मामले और खेल मंत्रालय
12.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

परिशिष्ट-IX

(पैराग्राफ सं. 1.13 को संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपादान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का लेखाबद्ध नहीं किया गया है

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
1.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि
2.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव
3.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
	आयुष मंत्रालय
4.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
5.	केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई
6.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
7.	केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
8.	केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
9.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली
10.	केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
11.	केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
12.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली
13.	आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर
14.	पूर्वोतर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पासीघाट
	नागर विमानन मंत्रालय
15.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
16.	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी
17.	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली
18.	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
19.	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, जोरहाट, असम
20.	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश
21.	कॉफ़ी बोर्ड
22.	रबर बोर्ड
23.	भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण अभिकरण - दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और कोच्चि

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	संस्कृति मंत्रालय
24.	केंद्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान, दाहुंग
25.	बौद्ध संस्कृति संरक्षण सोसायटी, बोमडिला
26.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल
27.	एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता
28.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता
29.	दक्षिण मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र, नागपुर
30.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
31.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
32.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली
33.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
34.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, नई दिल्ली
35.	सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली
36.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
37.	अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, नई दिल्ली
38.	केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी
39.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नोएडा
40.	रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, रामपुर
41.	इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, प्रयागराज
42.	उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इलाहाबाद
43.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला
44.	जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, अमृतसर
45.	तिब्बती कार्य एवं पुरालेख पुस्तकालय, धर्मशाला
46.	केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलमसर, लद्दाख
47.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, दीमापुर
	रक्षा मंत्रालय
48.	जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान, पहलगाम
	शिक्षा मंत्रालय
49.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा
50.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोटे
51.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश
52.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, डिंडीगुल
53.	ऑरोविले फाउंडेशन, पुडुचेरी
54.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
55.	केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
56.	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड
57.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम
58.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,भोपाल
59.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल
60.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
61.	डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
62.	राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरूपति
63.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कुरनूल
64.	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट
65.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर
66.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला
67.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बेरहामपुर, ओडिशा
68.	केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
69.	गनी खान चौधरी अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, मालदा
70.	भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर, हावड़ा
71.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी
72.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
73.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
74.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर
75.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
76.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल
77.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर
78.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे
79.	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई
80.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुंबई
81.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर
82.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
83.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची
84.	राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, रांची
85.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची
86.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा
87.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखंड
88.	नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा
89.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
90.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
91.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर
92.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, प्रयागराज
93.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर
94.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
95.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
96.	संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बठिंडा
97.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला
98.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर
99.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
100.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना
101.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत
102.	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
103.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हजरतबल, श्री नगर
104.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
105.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम
106.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर
107.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा
108.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड
	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
109.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
110.	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून
111.	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली
112.	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई
113.	प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, दिल्ली
114.	वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, नई दिल्ली
	विदेश मंत्रालय
115.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली
116.	विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली
	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
117.	भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
118.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, तंजावुर
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
119.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
120.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
121.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर
122.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी
123.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
124.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
125.	भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली
126.	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
127.	भारतीय भेषजी परिषद, नई दिल्ली
128.	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
129.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
130.	आयुर्विज्ञान राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
131.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली
132.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली
133.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली
134.	केन्द्रीय चिकित्सा सेवा समिति, नई दिल्ली
135.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मेघालय
136.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर
137.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा
138.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर
139.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
140.	क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मणिपुर
	भारी उद्योग मंत्रालय
141.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी
	गृह मंत्रालय
142.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
143.	राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर
144.	चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़
145.	चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग, चंडीगढ़
	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
146.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
	जल शक्ति मंत्रालय
147.	बेतवा नदी बोर्ड, झाँसी, उत्तर प्रदेश
148.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली
149.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर
150.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	श्रम और रोजगार मंत्रालय
151.	केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर (दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड)
	विधि एवं न्याय मंत्रालय
152.	राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
153.	राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़
154.	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
155.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
156.	केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली
	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
157.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
158.	मुंबई पत्तन प्राधिकरण
159.	मुंबई पोर्ट अथॉरिटी पेंशन फंड ट्रस्ट
160.	नाविक भविष्य निधि संगठन
161.	विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण
	रेल मंत्रालय
162.	रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डीएसटी)
163.	विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली
	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
164.	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
165.	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक, ओडिशा
166.	अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, मुंबई
167.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली
168.	पं. दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली
169.	राष्ट्रीय न्यास स्वपरायणता, प्रमस्तिकघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए, नई दिल्ली
	खेल और युवा मामले मंत्रालय
170.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
	वस्त्र मंत्रालय

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
171.	वस्त्र समिति
	पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय
172.	सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद
	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
173.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
	युवा मामले और खेल मंत्रालय
174.	राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नई दिल्ली
175.	नेहरू युवा केंद्र संगठन, नई दिल्ली

परिशिष्ट-X

(पैराग्राफ सं. 1.13 को संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने लेखाओं को संशोधित किया

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
1.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई
	आयुष मंत्रालय
2.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई
3.	केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई
4.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलोर
	संस्कृति मंत्रालय
5.	कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई
6.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तंजावुर
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
7.	कॉफ़ी बोर्ड
	रक्षा मंत्रालय
8.	जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान, पहलगाम
9.	हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग
	शिक्षा मंत्रालय
10.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर
11.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिची
12.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
13.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई
14.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम
15.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कराईकल
16.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
17.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी
18.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर
19.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर
20.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
21.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
22.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सुरथकल
23.	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
24.	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून
	वित्त मंत्रालय
25.	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
26.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, तंजावुर
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
27.	जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुदुचेरी
28.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली
29.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू
	गृह मंत्रालय
30.	चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग, चंडीगढ़
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
31.	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक
32.	भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, सिक्किम
	पोत परिवहन मंत्रालय
33.	विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण
	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
34.	राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
35.	राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई
	वस्त्र मंत्रालय
36.	केंद्रीय रेशम बोर्ड
	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय
37.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरंबुदूर, चेन्नई

अनुलग्नक

अनुलग्नक-1.1

(पैराग्राफ सं. 1.14 को संदर्भित)

लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूली के मामले

(राशि ₹ करोड में)

क्र.सं.	सीएबी का नाम	मंत्रालय	अधिक भुगतान/कम उगाही की प्रकृति	अधिक भुगतान/कम उगाही की राशि	वसूली गई राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
1	सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर	शिक्षा	अभिकरण प्रभारों का अधिक भुगतान	1.10	1.10	अभिकरण प्रभारों के परिकलन हेतु परियोजना लागत के रूप में ₹13.31 करोड़ के सीजीएसटी एवं एसजीएसटी के गलत समावेशन के परिणामस्वरुप एनबीसीसी को अभिकरण प्रभारों की राशि पर ₹1.10 करोड़ के अधिक भुगतान किया गया। मंत्रालय ने भी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की (जून 2022)।
2	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे	शिक्षा	पट्टा किराए की कम उगाही	0.83	0.91	आईआईटी ने संपदा निदेशालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नियमित अंतरालों पर लाइसेंस शुल्क की दरों के संशोधन के बावजूद पट्टा किराए में संशोधन नहीं किया था
3	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	शिक्षा	फर्जी एलटीसी दावों का भुगतान	0.74	0.64	एम्स, नई दिल्ली ने 2018-19 की अवधि के दौरान फर्जी एलटीसी दावों

क्र.सं.	सीएबी का नाम	मंत्रालय	अधिक भुगतान/कम उगाही की प्रकृति	अधिक भुगतान/कम उगाही की राशि	वसूली गई राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
						के लेखे पर अपने कर्मियों को ₹74 लाख की प्रतिपूर्ति की। एम्स ने लेखापरीक्षा किये जाने पर इसमें से ₹63.61 लाख की वसूली की।
4	केवीएस, चेन्नई	शिक्षा	एचआरए क्षतिपूर्ति की गैर-प्राप्ति	0.46	0.46	चेन्नई मेट्रो रेल लि. ने केवीएस को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद केवीएस स्टाफ क्वार्टरों को गिराने हेतु एचआरए क्षतिपूर्ति के रूप में ₹45.66 लाख की राशि का भुगतान किया है।
5	लोकप्रिय गोपीनाय बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	कठिन स्थान भत्ता का अनियमित भुगतान	0.62	0.62	एलजीबीआरआईएमएच ने लेखापरिक्षा किये जाने पर कठिन स्थान भत्ता के अनियमित भुगतान के लेखे पर कर्मचारियों से ₹62.22 लाख की राशि की वसूली की है।

अनुलग्नक-9.1

(पैराग्राफ सं. 9.1 को संदर्भित)

सावधि जमा खातों में पुनर्निवेश में विलम्ब के कारण हुई ब्याज की हानि को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	निवेश/ पुनर्निवेश की राशि	परिपक्वता की तिथि/ कॉर्पस निधि की प्राप्ति की तिथि	निवेश कार्यवाहियों को प्रारंभ करने की तारीख	परिपक्वता तिथि से पहले के दिनों की संख्या जब कार्यवाही प्रारंभ की गई थी	निवेश की गई राशि	निवेश/ पुनर्निवेश की तिथि	निवेश/ पुनर्निवेश में विलम्ब (दिनों में)	सावधि जमा के लिए ब्याज दर (प्रतिशत में)	सावधि और फ्लेक्सी खाते के बिच ब्याज की अंतर राशि (एच-5 %)	ब्याज की हानि (₹ वास्तव में)
	(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	जे=(ई*आई %)*जी/365
1	80.00*	03.01.16	28.12.2015	6	150.00	20.01.16	17	7.55	2.55	17,81,507
2	80.00*	03.01.16	28.12.2015	6	10.00		17	7.25	2.25	1,04,795
3	12.51	30.08.14	21.08.2014	9	17.51	03.09.14	2**	9.15	4.15	39,817
4	5.00	30.08.14	21.08.2014	9						
5	17.51*	03.09.16	02.09.2016	1	17.51	22.09.16	19	7.25	2.25	2,05,083
6	17.51	22.09.17	28.09.2017	6 दिन बाद	17.51	04.10.17	12	6.26	1.26	72,535
7	113.00*	21.09.16	19.09.2016	2	112.00	29.09.16	8	7.25	2.25	5,52,329
					0.50		8	7.25	2.25	2,466
					0.50		8	7.25	2.25	2,466
8	112.00*	29.09.17	28.09.2017	1 दिन	113.00	04.10.17	5	6.26	1.26	1,95,041
9	0.50*									

क्र.सं.	निवेश/ पुनर्निवेश की राशि	परिपक्वता की तिथि/ कॉर्पस निधि की प्राप्ति की तिथि	निवेश कार्यवाहियों को प्रारंभ करने की तारीख	परिपक्वता तिथि से पहले के दिनों की संख्या जब कार्यवाही प्रारंभ की गई थी	निवेश की गई राशि	निवेश/ पुनर्निवेश की तिथि	निवेश/ पुनर्निवेश में विलम्ब (दिनों में)	सावधि जमा के लिए ब्याज दर (प्रतिशत में)	सावधि और फ्लेक्सी खाते के बिच ब्याज की अंतर राशि (एच-5 %)	ब्याज की हानि (₹ वास्तव में)
	(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	जे=(ई*आई %)*जी/365
	0.50*									
10	113.00*	11.08.17	28.09.2017	48 दिनों बाद	113.00	04.10.17	54	6.26	1.26	21,06,444
11	129.99*	24.10.14	10.10.2014	14	129.99	27.10.14	3	8.8	3.8	4,05,996
12	50.00	24.03.16	21.03.2016	3	50.00	28.03.16	4	8	3	1,64,384
									कुल	56,32,861

* परिपक्वता पर सावधि जमा स्वतः ही फ्लेक्सी जमा लेखाओं में अतंरित हो जाती है जब तक की सावधि जमा में उनका अगला निवेश न हो जाए।

+ ब्याज दर के अंतर की गणना सावधि जमा और फ्लेक्सी बैंक खाता पर ब्याज दर के अंतर के आधार पर यह मानते हुए की जाती है कि फ्लेक्सी बैंक ब्याज दर समान रूप से 5% है।

** 30 और 31 अगस्त 2014 को कार्यालय बंद था । इसलिए, विलम्ब की गणना 4 दिनों के बजाए 2 दिनों के लिए की गई है।

©
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in